लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XII contains Nos.1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/Contents

अंक 10—शुक्रवार, 23 फरवरी, 1968/ 4 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 10—Friday, February 23, 1968/ Phalguna 4, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय / Subject	पृष्ठ/Pages
241.	पश्चिमी अभिकरण — Western Agencies	1209-1211
245.	नागाओं तथा मिजो लोगों द्वारा सीमा पार करना — Crossing over by Nagas and Mizos	1211-1215
247.	मेरठ (उत्तरप्रदेश) में साम्प्रदायिक दंगे — Communal Disturbances at Meerut (U.P.)	1216
257.	चिक्कामगलूर में साम्प्रदायिक दंगे — Communal riots in Chikkamagalur	1216-1224

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
243.	हिन्दी में विधेयकों का पुरः-स्थापन — Introduction of Bills in Hindi	1224
244.	इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन — India Office Library, London	1224-1225
246.	नेफा (उपूसी) — NEFA	1225

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त

अनूदित संस्करण

23 फरवरी , 1968 । 4 फाल्गुन , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
1320	नीचे से दूसरी पंक्ति में `संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) ` के स्थान पर `संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा.राम सुभग सिंह ) `पढ़िये ।

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

21 मार्च फरवरी , 1968 । 10 चैत्र फाल्गुन, 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
905	नीचे से छठी पंक्ति में `वणी `के स्थान पर `वेणी `पढ़िये ।
924	ऊपर से चौथी पंक्ति में `12 `के स्थान पर `92 `पढ़िये ।
931	ऊपर से 16 वीं पंक्ति में `20 रुपये ` के स्थान पर ` 520 रुपये `पढ़िये

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
248.	बौद्ध पर्यटक	Buddhist Tourists	1225-1226
249.	जॉन स्मिथ की "आई वाज ए० सी० आई ए० एजेन्ट" पुस्तक	John Smith's Book "I was a CIA Agent"	1226
250.	दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi	1226-1227
251.	हिमाचल प्रदेश के लिये राज्य का दर्जा	Statehood for Himachal Pradesh	1227
252.	राजनैतिक बन्दी	Political Prisoners	1227-1228
253.	गोआ में औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects in Goa	1228
254.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में स्थानों का आरक्षण	IAC Reservations	1228
255.	शिव सेना	Shiv Sena	1228-1229
256.	"मुक्ति सेना"	"Mukti Sena"	1229
258.	आसाम में लचित सेना की गतिविधियाँ	Activities of Lachit Sena in Assam	1229
259.	कच्छ विवाद सम्बन्धी पाकिस्तानी सलाहकार के साथ स्वातन्त्र पार्टी के नेताओं के कथिक सम्बन्ध	Reported links of Swatantra Leaders with Pak. Adviser on Kutch Dispute	1230
260.	डा० धर्म तेजा के विरुद्ध डिग्री	Decree against Dharma Teja	1230-31
261.	अमरीकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) की गतिविधियाँ	C. I. A. Activities	1231
262.	एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों (पायलटों) के वेतन-मान	Pay scales for Pilots of Air India and I.A.C.	1231
263.	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन-वर्ष	International Tourist Year	1231-1232
264.	पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बन्द्ध कालेजों के क्षेत्रों की केन्द्रीय एसोसिएशन	Central Association of students of Colleges affiliated to Punjab University	1232

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
265.	राज्यपालों की नियुक्त	Appointment of Governors	1232-1233
266.	भूतपूर्व नरेशों के परिवारों को ब्रिटिश अनुदान	British grants to families of ex-rulers	1233
267.	आम चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग	Use of foreign money in General Elections	1233
268.	बड़े पत्तन	Major Ports	1233-1234
269.	जहाजरानी और जहाज-निर्माण के बारे में सम्मेलन	Conference on Shipping and Shipbuilding	1234

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1651.	एक मूर्ति की चोरी	Theft of Idol	1234
1652.	रायबरेली में हवाई-पट्टी	Air-strip at Rai Barailly	1235
1653.	पहाड़ी लोगों के लिये स्वतन्त्र राज्य	Independent States for Hill Peoples	1235
1654.	अश्लीलता सम्बन्धी कानून में संशोधन	Amendment of Law Re. Obscenity	1235
1655.	कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार	Communications through Artificial Satellities	1235-1236
1656.	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू कानून	Laws in Force in Chandigarh Union Territory	1236
1657.	मंत्रियों द्वारा अपनी विदेश यात्राओं की संसद् को रिपोर्ट	Ministers' Account on their Tour Abroad to Parliament	1236
1658	केरल के एक मंत्री के बारे में अमरीका की एक पत्रिका में छपा समाचार	American Magazine's Report regarding Kerala Minister	1236-1237
1660.	दिल्ली में शान्ति वन के निकट पुल	Bridge near Shanti Vana, Delhi	1237
1661.	दिल्ली में बिक्री-कर की बकाया राशि	Sales Tax Arrears in Delhi	1237-1238
1662.	शेख अब्दुल्ला की नजरबन्दी पर व्यय	Expenses on Detention of Sheikh Abdullah	1238-1239
1663.	नर्मदा नदी पर पुल	Bridges over Narmada River	1239
1664.	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads	1239

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ /Pages
1665.	जनवरी, 1968, में कच्छ भूकम्प	Earthquake in Kutch during January, 1968	1240
1666.	सैंचुरी मिल के पकड़े गये कागजात	Seized Documents of Century Mills	1240
1667.	पाकिस्तानियों द्वारा छापे मारना	Pak Raids	1240-1241
1668.	पालम हवाई अड्डे पर पड़े हुए उपकरण	Equipment lying at Palam Air Port	1241-1242
1669.	गोहाटी में हुए दंगों के समय सेना की सहायता	Army's Assistance during Gauhati Riots	1242
1670.	नेफा (उपूसी) में सामाजिक सुधार	Social Reforms in NEFA	1242
1671.	बिहार के पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों द्वारा भूमि की खरीद	Purchase of Land by Pro-Pak. Muslims of Bihar.	1242-1243
1672.	माओ को पुस्तक के बारे में रेडियो पेकिंग से प्रसारण	Radio Peking Broadcast about Mao's Book	1243
1674.	बम्बई में तमिल भाषा में बनी फिल्मों के 'शो' रद्द किये जाना	Cancellation of Tamil Film shows in Bombay	1243
1675.	विदेशों में बने बम	Bombs of Foreign Origin	1243-1244
1676.	एयर इंडिया की उद्घाटन उड़ाने	Inaugural Flights of Air India	1244
1677.	इंडियन एयर लाइन कारपोरेशन द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार	Alleged ill-treatment of Passengers by I.A.C.	1244
1678.	मोहित चौधरी का मामला	Mohit Chowdary Case	1244-1245
1679.	उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Cases Pending in Supreme Court	1245
1680.	सीमा पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना	Lateral Road Project	1245-1246

अत ० प्र० संख्या
U. S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1681.	सेना के हैलीकाप्टर पर नागाओं द्वारा गोली चलाया जाना	Firing by Nagas at Military Helicopter	1246
1682.	गणतंत्र-दिवस पुरस्कार	Republic Day Awards	1246
1683.	पत्राचार के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम	Higher Secondary Course Through Correspondence	1246-1247
1684.	सीमा पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना	Lateral Road Project	1247
1685.	राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों का बसाया जाना	Settlement of People in Rajasthan Border Areas	1247
1686.	हिन्दी में पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Course in Hindi	1247-1248
1687.	उप-राज्यपाल का दिल्ली नगर निगम सम्बन्धी नोट (टिप्पण)	Lieutenant Governor's Note on Delhi Municipal Corporation	1248
1688.	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली	Safdarjung Airport, New Delhi	1248
1689.	शिव सेना के व्यक्तियों द्वारा कार्मिक संघ के कार्यालय पर हमला	Attack on Trade Union Office by Shiv Sena Men	1248-1249
1690.	गोआ में विकास परियोजनायें	Development Projects in Goa	1249
1691.	सतर्कता आयोग	Vigilance Commissions	1249-1250
1692.	इंडियन असेम्बली ऑफ यूथ की कार्यकारिणी की बैठक के बारे में जाँच	Enquiry into the Meeting of Executive of India Assembly of Youth	1250
1693.	आसाम में विदेशी धर्म-प्रचारक	Foreign Missionaries in Assam	1250-1251
1694.	शेख अब्दुल्ला के दौरों पर खर्च	Tour Expenses of Sheikh Abdullah	1251
1695.	सरकारी समारोहों के अवसर पर शेख अब्दुल्ला के साथ गण्यमान्य व्यक्तियों जैसा व्यवहार	VIP Treatment to Sheikh Abdullah at Government Function	1251

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1696.	कोवालय का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Kovalm as a Tourism Centre	1251-1252
1697.	आनन्द मार्ग नामक धार्मिक संस्था	Anand Marg Religious Organisation	1252
1698.	निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियाँ	Arrests under Preventive Detention Act	1252
1699.	दरभंगा में मिथिला विश्व-विद्यालय	Mithila University at Darbhanga	1252-1253
1700.	दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी शिक्षा का माध्यम	Hindi Medium in Delhi University	1253
1701.	चुनावों में हारे हुए उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ	Appointments of Defeated Candidates in Elections	1253-1254
1702.	पर्यटन से आय	Income from Tourism	1254
1703.	श्रीनगर में परमेश्वरी हंडू का कथित अपहरण	Alleged Abduction of Parmeshwari Handoo in Srinagar	1254
1704.	हवाई अड्डों पर तथा विमानों की उड़ानों के दौरान घोषणा	Announcements at Airports and during Flight	1254-1255
1705.	एयरलाइनों का पूँजी परिव्यय	Capital Outlay of Airlines	1255
1706.	भारत और सिंगापुर के बीच विमान सम्बन्धी वार्ता	India Singapore Air Talks	1255-1256
1707.	भारत मंगोलिया संस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	India Mongolia Cultural Exchange Programme.	1256
1708.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान चालकों की भर्ती	Recruitment of Pilots by IAC	1256-1257
1709.	एयर इंडिया की विमान-सेवाएँ	Air India Services	1257
1710.	गोहाटी में बमों का बरामद किया जाना	Recovery of bombs in Gauhati	1257-1258
1711.	सरदार सेन जुसी संगठन	Sardar Sen Jusi Organisation	1258

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1712.	सिलीगुड़ी विश्वविद्यालय में घटनाएँ	Incidents in Siliguri University	1258-1259
1713.	उत्तरी बंगाल में अत्यावश्यक सेवाओं में वामपंथी साम्यवादियों तथा उग्रपंथियों का घुसना	Infiltration of Left Communists and Extremists in essential services in North Bengal	1259
1714.	दिल्ली के मुअत्तिल पुलिस कर्मचारी	Suspended Delhi Policemen	1259
1716.	दिल्ली के अध्यापकों में अनुसूचित जातियों के लोग	Scheduled Castes among Delhi Teachers	1259-1260
1717.	साम्प्रदायिक दंगे	Communal disturbances	1260
1718.	राष्ट्रपति से प्राप्त पुरस्कारों का लौटाया जाना	Return of Presidential Awards	1260-1261
1719.	भारतीय खिलाड़ियों के खेल का स्तर	Performance of Indian Sportsmen	1261
1721.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	India Tourism Development Corporation	1261-1262
1722.	शाहाबाद जिले में मोहोनिया और आरा शहर को मिलाने वाला राष्ट्रीय राजपथ	National Highway connecting Mohonia to Arrah City in Shahabad District.	1262
1723.	मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s. Amichand Pyarelal and Co. Ltd.	1262-1263
1724.	भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापारी	Smugglers on Indo-Pak. Border	1263
1725.	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi	1263
1726.	गणराज्य-दिवस समारोह, 1968	Republic Day Celebrations, 1968	1264
1727.	विशाखापत्तनम् स्थित जहाज कारखाना	Visakhapatnam Shipyard	1264
1728.	ऐतिहासिक अनुसंधान	Historical Research	1264-1265

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1729.	हैदराबाद के निजाम को केन्द्र का प्रमाण-पत्र	Centre's Certificate to Nizam	1265
1730.	नौवहन टनभार	Shipping Tonnage	1265
1731.	पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद	Translation of Text Books	1265-1266
1732.	कालीकट तथा एरणाकुलम में विश्वविद्यालय	University at Calicu t and Ernakulam	1266
1733.	मंगलौर पत्तन	Mangalore Port	1266-1267
1734.	दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में बम विस्फोट	Bomb blast in Delhi University Area	1267
1736.	पश्चिम बंगाल में पुलिस की बर्बरता	Police Excesses in West Bengal	1267
1737.	रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी के कर्मचारी	Employees of River Steam Navigation Company.	1268
1738.	शिक्षकों के लिये त्रिलाभ योजना	Tripple Benefit Scheme for Teachers	1268-1269
1739.	पुराने जलयानों की खरीद	Purchase of second Hand Ships	1269-1270
1740.	भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था	Indian Institute of Historical Studies	1270
1741.	अध्यापकों के वेतम-मान	Pay Scales of Teachers	1270-1271
1742.	विदेशी धर्म-प्रचारकों और बागान मालिकों को देश से चले जाने के आदेश	Quit Orders on Foreign Missionaries and Planters	1271
1743	वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी	English as optional Subject	1271
1744.	स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास	History of Freedom Movement	1271-1272
1745.	भीड़ के समय दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा	DTU Bus Service during peak hours	1272
1746.	मिजो विद्रोहियों द्वारा पाकिस्तान से चोरी-छिपे लाये गये शस्त्रास्त्र	Arms smuggled from Pakistan by Mizo Hostiles	1273

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1747.	रतलाम में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाया जाना	Pro-Pak. Slogans raised in Ratlam	1273
1748.	चण्डीगढ़ प्रसाशन के सरकारी कर्मचारियों के लिये मंहगाई-भत्ता	D. A. for Haryana Employees of Chandigarh Administration	1273-1274
1749.	चण्डीगढ़ के लिये बसें	Buses for Chandigarh	1274
1750.	मद्रास पत्तन	Madras Port	1274-1275
1751.	गाँधी हत्या –षडयंत्र जाँच आयोग	Gandhi Murder Conspiracy Enquiry Commission	1275
1752.	तेलवाहक जहाज और भारी माल के जहाज	Acquisition of Oil Tankers and Bulk Carriers	1275
1753.	रिंग रोड, दिल्ली	Ring Road, Delhi	1276
1754.	दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान विषय का पढ़ाया जाना	Teaching of Science in Delhi Schools	1276
1755.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक (इंस्ट्रक्टर)	Instructors of National Discipline Schemes	1277
1756.	दिल्ली प्रशासन से सम्बन्धित आरक्षित विषय	Reserved subjects concerning Delhi Administration	1277
1757.	'नाइट रनर्ज़ आफ बंगाल' नामक पुस्तक	'Night Runners in Bengal'	1277-1278
1758.	पत्तन विकास-कार्य	Port Development Works	1278-1279
1759.	एक विमान का अमौसी इवाई अड्डे पर विवश हो कर उतरना	Forced landing by an Air craft at Amausi Airport	1279
1760.	आई० आई० टी०, नई दिल्ली के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships to students of IIT, New Delhi	1279
1761.	आई० आई० टी०, नई दिल्ली के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships to students of IIT, New Delhi	1279-1280

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1762.	आपातकाल का समाप्त किया जाना	Lifting of Emergency	1280
1763.	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi	1280
1764.	सीमा सुरक्षा दल तथा कलकत्ता सशस्त्र पुलिस का झगड़ा	Clash between Border Security Force and Calcutta Armed Police	1280-1281
1765.	महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission Report	1281
1766.	तूतीकोरिन पत्तन	Tuticorin Port	1281-1282
1767.	पांडिचेरी पत्तन	Pondicherry Port	1282
1768.	कोचीन पत्तन के ड्रैजर	Dredger for Cochin Port	1282-1283
1769.	ड्रैजिंग सैक्शन, कोचीन पत्तन	Dredging Section, Cochin Port	1283
1770.	एडक्काथिवायल (केरल) में हवाई अड्डा	Airport at Edakkathivayal, (Kerala)	1283-1284
1771.	विदेशी धर्म-प्रचारक	Foreign Missionaries	1284
1772.	विदेशी धर्म-प्रचारक	Foreign Missionaries	1284-1285
1774.	सड़क परिवहन के लिये पश्चिम क्षेत्र	Western Zone for Road Transport	1285
1775.	उत्पल दत्त द्वारा निर्मित ड्रामा	Drama produced by Utpal Dutta	1285
1776.	इंजिनियरों का भारी संख्या में विदेशों में चले जाना	Effiux of Engineers	1285-1286
1777.	ईसाई धर्म-प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Christian Missionaries	1286
1778.	कृषि तथा खनिज उपज के बारे में अनुसन्धान	Research in Agricultural and Mineral Produce	1286
1779.	सिखस्तान की मांग	Demand for Sikh Homeland	1286-1287
1780.	पाकिस्तानी जासूस	Pakistani Spies	1287
1781.	मध्य प्रदेश आये पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Nationals who visited Madhya Pradesh	1287

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1782.	ओखा तथा माण्डवी पत्तनों के बीच जहाज का गुम हो जाना	Missing a ship between Okha and Mandwi Ports	1287
1784.	बिहार में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Bihar	1288-1289
1785.	सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार	Highest National Award	1289-1290
1786.	भ्रष्टाचार के तथाकथित मामले की जाँच के लिये योजना	Schemes for enqiring into alleged case of corruption	1290
1787.	दिल्ली के एक होटल में समाज-विरोधी गतिविधियां	Anti-Social Activities in a Delhi Hotel	1290-1291
1788.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अभिलेख	Records of Class IV Employees	1291
1789.	शिक्षा पर व्यय	Expenditure on Education	1291
1790.	हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers	1291-1292
1791.	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा	Compulsory National Service for University Students	1292
1792.	दिल्ली नगर निगम	Delhi Municipal Corporation	1292
1793.	दिल्ली प्रशासन के लिये धन	Funds for Delhi Administration	1292-1293
1794.	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत	Sanskrit in Higher Secondary Schools	1293-1294
1795.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में आरक्षण रद्द करने का प्रभार	Charges for Cancellation of Reservations on IAC	1294
1796.	हिन्द महासागर की खोज	Exploration of Indian Ocean	1294
1797.	शिक्षा क्षेत्र में बुराइयां	Maladies in the Field of Education	1294-1295
1798.	दिल्ली में किशोरों द्वारा अपराध	Teen-age Crimes in Delhi	1295
1799.	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएँ	Road Accidents in Delhi	1296-1297
1800.	सालारजंग संग्रहालय	Salarjung Museum	1297-1298
1801.	मैसूर राज्य में हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of Aerodromes in Mysore State	1298
1802.	मेरठ में पाकिस्तान समर्थक नारों का लगाया जाना	Raising of Pro-Pakistani Slogans in Meerut	1298-1299

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1803.	दिल्ली प्रशासन के जाँच अधिकारी	Inquiry Officers of Delhi Administration	1299
1804.	हिमाचल प्रदेश के उप-राज्यपाल का सैनिक सचिव	Military-Secretary to Lt. Governor of Himachal Pradesh	1299-1300
1805.	पांडिचेरी बन्दरगाह	Pondicherry Port	1300
1806.	दिल्ली विश्वविद्यालय में प्री-मैडिकल पाठ्यक्रम	Pre-Medical Course at Delhi University	1300-1301
1807.	नई कछार सड़क	New Cachar Road	1301
1808.	मनीपुर में कुकी लोगों का अवैध प्रवेश	Infiltration of Kukis into Manipur.	1301-1302
1809.	निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता	Assistance to Students in low income group.	1302
1810.	मंत्रियों द्वारा पुस्तकें लिखा जाना	Writing of books by Ministers	1302
1811.	नागाओं/मिजो लोगों द्वारा लगाये गये कर	Taxes imposed by Nagas/Mizos	1302-1303
1812.	इंजीनियरी ग्रेज्युएट	Engineering Graduates	1303
1813.	कछार में पकिस्तानियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistanis in Cachar	1303-1304
1814.	केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	Central Vigilance Commissioner	1304
1815.	प्रशासनिक सुधार अयोग	Administrative Reforms Commission	1304-1305
1816.	हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों के वेतनमान	Pay scales of Himachal Pradesh Teachers	1305-1306
1817.	भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियाँ	Arrests under D. I. R.	1306
1818.	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	I. A. C. strikes	1306-1307
1819.	दिल्ली में स्कूटरों, कारों की प्लेटों में देवनागरी के अंकों का प्रयोग	Use of Devanagari Numerals in Scooter, Car Plates in Delhi	1307-1308
1820.	कच्छ में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Inflitrators in Kutch	1308

अता० प्र० संख्या
U.S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1821.	दिल्ली में राजनैतिक पीड़ित	Political Sufferers in Delhi	1308
1822.	दिल्ली में मनोरंजन कर	Entertainment Tax in Delhi	1308-1309
1823.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5	National Highway no. 5	1309-1310
1824.	काश्मीर संघर्ष समिति	Kahmir Action Committee	1310
1825.	चपरासी भर्ती होने के लिये आयुसीमा	Age limit for entry in service for peons	1310-1311
1826.	कोचीन पत्तन में विस्फोटक सामान के लिये स्थान (एक्सप्लोजिव्स बर्थ)	Explosives Berth at Cochin Port	1311-1312
1827.	पर्यटक होटल	Tourist Hotels	1312
1828.	केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को धन का नियतन	Allocation for Central Roads Fund Madhya Pradesh	1312
1829.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Cases pending in M. P. High Court	1312-1313
1830.	संसद् सदस्यों की पाश्चिम बंगाल की यात्रा	M. Ps. visit to West Bengal	1313
1831.	राष्ट्रीय गीत के गाये जाने पर कथित प्रतिबंध	Alleged Forbiding of Singing of National Anthem	1313
1832.	दिल्ली में रिहायशी मकानों में दुकानें	Shops in Portions of Residential Houses in Delhi	1314
1833.	पाकिस्तनी उच्च आयुक्त का कथिक पत्र जिससे अतुल्य घोष पर दोष आता है	Pak. High Commissioner's alleged letter implicating Atulya Ghosh	1314
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	Re : Calling Attention notice	1315
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table.	1316-1320
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	1320
	तीसवाँ प्रतिवेदन	Thirtieth Report	
	सदस्य को दोषसिद्धि के बारे में घोषणा	Announcement Re: Conviction of Member	1320
	(श्री समर गुह)	(Shri Samar Guha)	
	सभा का कार्य	Business of the House	1320-1321
	नेशनल फिटनेस कोर के विकेन्द्रीकरण के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Decentralisation of National Fitness Crops	1321-1322

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	1322
दिल्ली में अध्यापकों की हड़ताल के बारे में	Re. Teacher's Strike in Delhi	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address	1323-1333
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	
श्री बि० ना० शास्त्री	Shri B. N. Shastri	
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	1334
बीसवाँ प्रतिवेदन	Twentieth Report	
भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में संकल्प	Resolution Re: Defence Needs of India	1334-1344
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh	
श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata	
श्री विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	
श्री वेद व्रत बरुआ	Shri Bedabrat Barua	
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	
स्वर्ण-नियन्त्रण के बारे में संकल्प	Resolution Re. Gold Control	1344
श्री जेवियर	Shri S. Xavier	

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 23 फरवरी, 1968/ 4 फाल्गुन, 1889 (शक)

Friday, February 23, 1968/ Phalguna 4, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिमी अभिकरण

*241. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता हैं कि भारत में काम कर रहे 46 पश्चिमी अभिकरणों में से 7 अभिकरणों को सरकार की ओर से किसी रोक-टोक के बिना निर्बाध रूप से काम करने की अनुमति है ;

(ख) क्या हमारे देश में इन विदेशी अभिकरणों के कार्यों को विनियमित करने के लिये सरकार का कोई उपाय करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा "जी नहीं" । क्या सरकार को पता है कि पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और अमरीका और ऐसे ही अन्य पश्चिमी देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न अभिकरण इस देश में काम कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न बहुत अस्पष्ट है। यह साफ नहीं है कि माननीय सदस्य के दिमाग में कौन-कौन से अभिकरण और उनकी क्या-क्या गतिविधियां हैं ? परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी अभिकरण को इतनी स्वतन्त्रता से काम करने की अनुमति नहीं।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : इस देश में सांस्कृतिक सम्बन्धों, प्रचार तथा आर्थिक सम्बन्धों आदि क्षेत्रों में राजदूतावासों से सम्बद्ध कितने अभिकरण कार्य कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारत में काम करने वाली विदेशी संस्थाओं या प्रतिष्ठानों आदि के बारे में हमारे पास कुछ जानकारी है। जहां तक राजदूतावासों और उनके अभिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता माननीय सदस्य के दिमाग में कौन से अभिकरण हैं ? मैं समझता हूँ कि ऐसा ही एक प्रश्न इस सभा में पूछा गया था और वैदेशिक–कार्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि वह अपेक्षित जानकरी प्राप्त करके सभा-पटल पर रख देंगे।

Shri Rabi Ray : Are Government aware of the activities of the Asian Foundation and if so, what steps are being taken in that regard ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में जानकारी दे दी गई थी कि उस प्रतिष्ठान को भारत में अपना कार्य बन्द करने के लिये कह दिया गया था क्योंकि उसने अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त किया था।

श्री इंद्रजीत गुप्त : इस देश में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के इन पश्चिमी अभिकरणों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सामान्यत: क्या निति अपनाई जाती है ? क्या ऐसे अभिकरणों को अपनी कार्यवाहियों और आय के क्षेत्रों के बारे में सरकार को नियमित रूप से जानकारी नहीं देनी चाहिये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह कहना तो कठिन है कि केवल पश्चिमी अभिकरण हैं। जहाँ तक उनके वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है सामन्यत: वित्त मंत्रालय इसकी ओर ध्यान देता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हमारी सरकार को कोई नियमित प्रतिवेदन दिया जाता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसके लिये आपको एक विशिष्ट प्रश्न पूछना होगा। जहाँ तक सुरक्षा के पहलू का सम्बन्ध है मेरे पास निश्चय ही कुछ जानकारी है।

श्री नायनार : क्या यह सच है कि 'केयर' फोर्ड प्रतिष्ठान रोकफैलर, एशिया प्रतिष्ठान और ऐसे अन्य अभिकरणों के भारत में अपने कार्यालय हैं और क्या वे भारत में विशेष प्रयोजनों, जासूसी के लिये धन दे रहे हैं और क्या ये अभिकरण विदेश यात्रा करने वाले मंत्रियों को सुविधाएं दे रहें हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं, क्यों कि सामान्यत : मंत्री सरकारी कार्य पर जाते हैं और वे हमारी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलबत्ता कुछ संसद् सदस्य इसका लाभ उठा रहे होंगे।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को पता है कि पूर्वी सीमा क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ धर्म-प्रचारकों और इन पश्चिमी अभिकरणों में सीधा सम्पर्क है और यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

नागाओं तथा मिजो लोगों द्वारा सीमा पार करना

*245. †**श्री बे० कृ० दास चौधरी** : **श्री सीताराम केसरी** :
श्री लीलाधर कटकी : **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री रा० बरुआ** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागाओं तथा मिजो लोगों द्वारा सीमा पार करके पाकिस्तान और चीन जाने तथा वहां से वापस आने और इन देशों से हथियार तथा सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में सरकार को समाचार मिले हैं ;

(ख) पिछले छः महीनों में सीमा पार जाने वाले तथा वापस आने वाले नागाओं और मिजो लोगों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनके सीमा पार करने और वहाँ से वापस आने को रोकने तथा उनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इन देशों को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) पकिस्तान द्वारा नागा और मिजो गिरोहों को दी गई मदद के बारे में सरकार को जानकारी है । यह भी मालूम है है कि कुछ नागा गिरोह चीन गये थे और उनमें से कुछ लौट आये हैं। सरकार के पास यह ठीक-ठीक सूचना नहीं है कि किस संख्या में वे लौटे हैं और किस मात्रा में हथियार लाये हैं । ऐसी कोई सूचनायें नहीं हैं कि मिजो विद्रोही चीन को गये हैं ।

(ग) सीमाओं पर सुरक्षा दल लगातार चौकसी के लिये सतर्कता बरत रहे हैं । इन क्षेत्रों में उन्होंने गश्त भी बढ़ा दी है ।

(घ) पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे गये हैं ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या भारत-पकिस्तान सीमा और भारत–बर्मा सीमा को बन्द करने के उद्देश्य से सरकार ने पाकिस्तान और बर्मा सरकार से बातचीत की है ताकि विद्रोही नागा चीन न जा सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चूंकि यह सीमा बर्मा और भारत के बीच है , अतः अपनी सीमा को बन्द करना हमारी भी जिम्मेदारी है।

Shri Beni Shanker Sharma : May I know whether Government are aware that hostile Nagas and Mizos are incited to these rebellious activities by the Christian missonaries operating there ? if so, whether their activities are proving detrimental to the soverignty and integrity

of the country. May I also know the steps taken so far by Government to make these missionaries quit India and if no steps have been taken, the reasons therefor ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब भी देश की सुरक्षा विरोधी किसी कार्यवाही में इन धर्म-प्रचारकों का हाथ पाया जाता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती हैं। यह तो एक सामान्य नीति है। किन्तु प्रत्येक मामले की जांच उसके गुण के आधार पर की जाती है।

श्री रा० बरुआ : इनमें से कुछ मिजो राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं, तो क्या सरकार उनको निरुद्ध रखने की स्थिति में है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि हमें उनका पता लग जाये तो उन्हें केवल निरुद्ध ही नहीं रखा जायेगा, अपितु उनके विरुद्ध अधिक कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि नागालैंड में विद्रोही कार्यवाही में चीन ने हाल ही में सक्रिय भाग लिया है और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में माओत्सेतुंग के चित्र बांटे गये हैं ? और यदि हाँ, तो चीन के इस प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारत के अन्य भागों में भी माओ के चित्र बाँटे गये हैं। निश्चय ही इससे हमारी राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुँचती है किन्तु मैं इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कर्यवाही नहीं कर सकता हूँ। इस मामले में जनता को इसके विरुद्ध अपनी राय बनानी होगी।

श्री स्वैल : लचित सेना के नवीनतम बुलेटिन में कहा गया हैं : "हम नागा और मिजो स्वतन्त्रता सैनिकों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं। अतः अपने देशवासियों को बता दो कि वे आसाम में प्रवेश करके हमारे जीवन में विघ्न न डालें। अन्यथा आपको गंभीर परिमाणों का सामना करना पड़ेगा। 26 जनवरी को याद रखो—वह केवल एक चेतावनी थी और कुछ नहीं। उस दिन हमने किसी की हत्या नहीं की।" क्या गृह-मंत्री ने इस मामले में जांच की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चीन या नागा विद्रोहियों के साथ लचित सेना द्वारा संपर्क स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसकी बड़ी ध्यानपूर्वक जांच करनी होगी।

श्री हेम बरुआ : क्या आपके पास वह बुलेटिन है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हाँ, यह मेरे पास है। हमें निश्चय ही इसे एक चेतावनी के रूप में लेना है और इन कार्यवाहियों के बारे में अधिक सतर्क होना है। माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत हूँ।

Shri O. P. Tyagi : May I know whether Government have tried to ascertain whether there is any co-ordination between Mizos and Naga hostiles ? if so, the nature thereof ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मिजो और नागाओं और नागाओं और चीन के बीच संपर्क के सम्बन्ध में मेरे पास कुछ जानकारी है और मुझे आशा है इसका ब्यौरा देने के लिये नहीं कहेंगे।

Shri Lakhan Lal Kapoor: How does the hon. Ministers claim, that our security forces are active, reconcile with the press reports of 18th Febuary to the effect that several thousand Nagas crossed over to China for receiving training in guerrilla warfare ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनकी संख्या के बारे में तो सही-सही कुछ भी कहना कठिन है । किन्तु कुछ छोटे ग्रुपों ने चीन प्रदेश के साथ संपर्क स्थापित किया है । हमारी यह जानकारी है कि उन्होंने चीनियों से छोटे शस्त्र प्राप्त कर लिये हैं ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या यह लचित सेना आसाम सरकार की कृति है जैसा कि मिजो संघ की कार्यवाहियों को दबाने के लिये मिजो राष्ट्रीय मोर्चा आसाम सरकार की कृति थी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरी जानकारी के अनुसार यह सच नहीं है ।

Shri Y. S. Kushwah : May I know whether Government are aware of the secret places of operation of Nagas and if not, whether efforts are being made to locate them and if these are known to the Government, the reasons for not dismantling them ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नागा विद्रोही जब कोई अवैध कार्यवाही करते हैं तो हमें बता कर नहीं करते । उनके अड्डों का पता लगाने का हम भरसक प्रयत्न करते रहते हैं ।

Shri Tulsidas Jadhav : Have Government drawn any constructive programme for Nagas and Mizos as would engender among them the feeling of love for the country, if so, what is that programme ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस दिशा में सर्वोत्तम कदम यह है कि वहाँ पर संवैधानिक तथा लोकतन्त्रात्मक तरीके से स्वयं नागा सरकार कार्य कर रही है । वह सरकार उस क्षेत्र के लिये विकास कार्यक्रम आरम्भ कर रही है । इससे अधिक हमसे और क्या आशा की जा सकती है ?

श्री कृ० मा० कौशिक : माननीय मंत्री ने कहा कि माओ के चित्रों के वितरण के सम्बन्ध में वह कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । क्या यह समाजविरोधी और राष्ट्रविरोधी कार्यवाही नहीं है और क्या हाल ही पारित किये गये अधिनियम में इस सम्बन्ध में उपबन्ध नहीं है ? यदि नहीं है तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधेयक लायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे सन्देह है कि इस सम्बन्ध में कोई विधान लाया जा सकता है, किन्तु मैं निश्चय ही इस मामले पर पुनः विचार करने से इन्कार नहीं करूंगा ।

श्री वेदव्रत बरुआ : जब युद्ध-विराम लागू हुआ तो नागाओं के पास हथियारों की कमी थी । यह भी सिद्ध हो गया है कि वे चीन से हथियार प्राप्त कर रहे हैं । साथ ही वे युद्ध-विराम को बढ़ाने के लिये भी कह रहे हैं । क्या सरकार ने युद्ध-विराम के समूचे प्रश्न की जांच की है और क्या यह वास्तव में हमारे लिये हानिकारक सिद्ध हुआ है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चीन के साथ नागाओं के बढ़ते हुए सम्पर्क और वहाँ से हथियार प्राप्त करने को देखते हुए इस प्रश्न पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है ।

Shri Raghvir Singh Shastri : May I know whether the cease-fire agreement had been extended at the request of the Naga National Council and whether the Council has confirmed this agreement ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : युद्ध-विराम की अवधि सामान्यतः तभी बढ़ाई जाती है जब दोनों पक्ष सहमत हों । हम तो युद्ध-विराम की अवधि बढ़ाने के सदा ही इच्छुक रहते हैं।

श्री हेम बरुआ : "युद्ध-विराम" शब्द का प्रयोग न कीजिये ; यह तो केवल सैनिक कार्यवाही निलम्बित करना है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक अच्छा सुझाव है और मैं इसे स्वीकार करता हूं । मैंने भूल की, क्योंकि मैंने माननीय सदस्य द्वारा प्रयुक्त युद्ध-विराम शब्द को दोहराया ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Naga hostiles do not have connections only with China and Pakistan but with our Government also. The Hon. Minister has just now said that the Nagas who cross over to China cannot be arrested as they cross over one by one or so They function as a special group and under their self-appointed Government. But those who sent these Naga hotiles to China and Pakistan to get arms and training, and those who orgaise them ;- they come here for talks with the Government. Is the Government opening some schools for them to make them Nationalists ? Why does not the Government take action against that administration or 'Government' under which they go to China or Pakistan ?

My second question is that.....

अध्यक्ष महोदय : यही मेरी कठिनाई है । जब भी मैं उन्हें एक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूँ तो वह अनुपूरक पर अनुपूरक प्रश्न करते हैं ।

Shri Kunwar Lal Gupta : Have you got any intimation from Government of Naga land saying that they cannot make appropriate arrangements until you have an teffective policy?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न के अन्तिम भाग का जहाँ तक सम्बन्ध है नागालैंड सरकार ने इस विषय में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं यह एक अत्यन्त जटिल मामला है जिसको कानूनी और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर सम्भालना है । यद्यपि हम उन्हें विद्रोही नागा मान रहे हैं, तथापि सदन की अनुमति से इस सम्बन्ध में वार्ता चलती रहेगी तथा सदन को समय-समय पर सूचित किया जाता रहेगा । हमारा प्रयत्न है कि हम उन्हें मार्ग पर ले आयें परन्तु साथ ही यदि वे कुछ और करते हैं तो उसको ध्यान में रख कर उचित समय पर हमें कोई निर्णय लेना होगा ।

Shimati Jayaben Shah : The issue of Nagas and Mizos is a long issue and all the political parties are taking interest in it. I would like to know their real difficulty and their special problems. I would also like to know what the Government wants to do or has done in this behalf ? what is your plan in this regard?

Shri Y. B. Chavan : What plan can be there ? If they maintain that they might secede from India, then this issue is not worth considering.

Shrimati Jayaben Shah : I would like to know whether you want to take certain special steps to satisfy them ? If so, what are those ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है । इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं ।

Shri Ram Charan : I want to ask the Hon'ble Minister to go into the history as to how this Naga or Mioz Hill problem rose and what were the social circumstances under which they got separated from India ; and later, some religious organisations were born and so they remained separated.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री महोदय को बहुत सुन्दर जानकारी दे रहे हैं ।

Shri Ram Charan : The foreigners belonging to western countries were settled there. Then something political came into existence and the politicans have found a solution..... (**interruption**).....The solution you have found out is that you may solve this problem with the help of arms, but you failed in it, so, are you ready to accept my suggestion that the social or reilgious organisations in India which.....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अत्यधिक जानकारी प्रदान कर दी हैं । अब क्या वह कृपया बैठ जायेंगे ? उन्होंने मंत्री को जानकारी और भाषण दिये हैं ।

Shri Prem Chand Verma : I want to know from the Hon'ble Minister as to how many soldiers are there in Mizo and Naga Hills and whether it a fact that the Commander there has said that if he were given the permission and arms, he could solve this problem within three months and not even a sinlge Naga or Mizo could cross over to China. If so, is the Government ready to act upon that ? If not, the reasons therefor ?

अध्यक्ष महोदय : वे चीन जाने के लिये सरकार की अनुमति नहीं लेते ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सदस्य महोदय को इन मामलों में पूर्णतया गलत जानकारी दी गई है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : सैनिक कार्यवाही को बन्द करने की दो प्रमुख शर्तों में एक तो यह थी कि विद्रोही नागा अपनी युद्ध-शक्ति नहीं बढ़ायेंगे तथा दूसरी यह कि वे अपने आदमियों को प्रशिक्षण के लिये चीन न तो जाने देंगे और न ही उन्हें वहाँ भेजेंगे । अब इन दोनों शर्तों का उल्लंघन किया गया है । क्योंकि युद्ध-विराम समझौते की मूल-भूत और प्रमुख इद दोनों शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो युद्ध-विराम तो बस एक एक-पक्षीय यातायात बनकर रह गया है । यह देखते हुए क्या सरकार इस का ध्यान रखेगी कि भविष्य में इस प्रकार के एक-पक्षीय युद्ध-विराम समझौते को शुरू न किया जाये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं कह चुका हूँ कि इन नई घटनाओं से एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है और अब एक नया ही दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा ?

मेरठ (उत्तर प्रदेश) में साम्प्रदायिक दंगे

*247. †श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रामभद्रन :
श्री मयाबन .
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री लतीफत अली खां :
श्री वलराज मधोक :
श्री टी० पी० शाह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री अमृत नहाटा :
श्री महराज सिंह भारती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में शेख अब्दुल्ला ने मेरठ में जमयत-उल-उलेमा की एक सभा में भाषण किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मेरठ के दौरे के बाद वहाँ हिंसात्मक दंगे हुए थे ;

(ग) इन दंगो में कितने व्यक्ति मारे गये तथा जखमी हुए ; और

(घ) क्या दंगो के कारणों तथा उनसे सम्बन्धी घटनाओं की कोई जांच की गई है और यदि हाँ, तो जाँच का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) 28 जनवरी, 1968 से 1 फरवरी, 1968 तक साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएँ हुईं ।

(ग) 16 व्यक्ति मारे गये तथा 85 घायल हुए। पचास पुलिसवाले भी घायल हुए।

(घ) राज्य सरकार इस मामले में छानबीन कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न संख्या 257 का भी उत्तर देंगे ?

श्री कंवर लाल गुप्त : यह प्रश्न मेरठ के बारे में है तथा भिन्न प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह भी साम्प्रदायिक दंगों के बारे मे है ।

चिक्कामगलूर में साम्प्रदायिक दंगे

*257. **श्री मोहसिन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 6 और 8 जनवरी, 1968 के मैसूर राज्य में चिक्कामगलूर में हुए साम्प्रदायिक दंगो की जानकारी है ;

(ख) अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों की सम्पत्ति की अनुमानत: कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त किये गये साम्प्रदायिक दंगों में सम्बन्धी आयोग को यह मामला सौंप दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार इन दंगों के दौरान हुई हानि की मात्रा की छानबीन कर रही है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

Shri Yashpal Singh : May I know the reason why a person, who was kept under detention for the last 11 years was released to propagate his ideas, though he had not announced any kind of change in his ideology ? Is it not an act of foolishness ? I would like to know whether Government have declared that such kinds of foolishness will not be repeated in future.

Shri Y. B. Chavan: Hon. Member has not tried to understand. These leaders are not sent by Government but it is their claim and they are entitled to go to public for this purpose.

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government had consulted the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Charan Singh before allowing Sheikh Abdullah to go to his State for propagation of his ideas ?

Shri Y.B. Chavan : He is a free citizen and he can go wherever he likes. The Government is in no way responsible for his going anywhere.

Shri Hukam Chand Kachwai : He does not call himself as the citizen of India.

Shri Y. B. Chavan : But I say that he is a citizen of India .....

(Interruptions)

Shri Beni Shankar Sharma : I would like to know whether the statements of Sheikh Abdullah were termed objectionable by U. P. Government and that U. P. Government had sought permission of the Central Government for trying him in the Court ? if so, may I know whether Government have replied in reference thereto and if not, why ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि राज्य सरकार विधिविरुद्ध गतिविधियों (निशेध) अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहती है तो उसे केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी । यह निश्चय राज्य सरकार ही करेगी कि उसे किस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करनी है । मुझे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से पत्र मिला है और उसका कानूनी दृष्टि से अध्ययन किया जा रहा है । यदि वह मेरी व्यक्तिगत सलाह मांगती है तो मैं निश्चय ही यह सलाह दूंगा कि शेख अब्दुल्ला पर मुकदमा चलाने में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये ।

Shri Shiv Kumar Shastri : Are Government aware of the fact that a Reception Committee headed by Gen. Shah Nawaz was constitued to receive Sheikh Abdullah in Meerut and that he refused to sign the peace appeal issued by the U. P. Chief Minister after the riots ?

Shri Y. B. Chavan : I do not know whether he refused it or not. But he was one of those who invited him and there is nothing wrong in it.

He was there in the Reception Committee and his being in the Committee is not wrong.

Shri Latafat Ali Khan : Was the Government aware of the fact that a conspiracy to murder the Sheikh on the way to Meerut was being planned since long ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को पता था कि मेरठ में साम्प्रदायिक दंगों से पूर्व कुछ हिन्दुओं ने उत्तेजनात्मक भाषण दिये थे जिनके परिणामस्वरूप शेख के मेरठ

पहुँचते ही दंगे शुरू हो गये ? क्या हिन्दुओं ने पहले मुसलमानों पर आक्रमण किया था ? सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास इस बारे में पूरा ब्यौरा नहीं है। जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं मिलती मैं अपनी राय देने में असमर्थ हूँ।

Shri Chandra Jeet Yadav : There are several organizations or communal parties, which strike at the very root of secularism. Often police and Government employees take part in communal riots. May I know whether Government propose to take action against them under Preventive Detention Act or unlawful Activities Act, and whether Government are considering to call a meating of the advocates of the securlarism to create an atmosphere siutable for the growth of secularism ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की यह बात तो मानता हूँ कि साम्प्रदायिक तनाव से धर्म निर्पेक्ष राज्य की जड़ें कटती जा रही हैं। सब राजनीतिक दलों तथा नेताओं को बड़ी सावधानी से ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे साम्प्रदायिक दंगे न हों। दंगों का ठीक कारण जानने और उसके सम्बन्ध में नीति निर्णय करने के लिये एक जाँच अयोग बैठा दिया गया है। यह आयोग जाँच शीघ्र ही पूरी कर लेगा। यह भी सच है कि भारत में साम्प्रदायिक राजनीति विद्यमान है। परन्तु पूर्ण जानकारी न होने के कारण किसी एक दल या संगठन को इसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

Shri Ishaq Sambhali : May I know whether a Hindu Mahasabha worker had got a poster printed saying that we will not allow the murderer of Dr. Shyama Prasad Mukerjee to enter into Meerut. Is it also a fact that all the people killed in the riots, were Muslims ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किस व्यक्ति ने किस समय क्या नारा लगाया है, इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है। यह सम्भव है कि साम्प्रदायिक दंगों के भड़क जाने पर इस प्रकार के नारे अवश्य ही लगाये गये हों। यह सच नहीं है कि प्रभावित व्यक्ति सब मुसलमान थे।

Shri M. A. Khan : There is feeling amongst the minorities that their life and property is not safe here. This feeling is being strengthened by the communal distrubances taking place here during last 20 years. May I know whether Government will take such effective steps as will allay their deep-seated fear.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक बहुत गलत और वास्तविकता से परे का प्रचार है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की जान और माल सुरक्षित नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, उनकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं, जिन पर न्यायोचित रूप से विचार किया जाता है तथा उन्हें दूर किया जाता है।

Shri Hardayal Devgun : May I know whether Government regards the speeches of Sheikh as communal politics ; whether it is on the initiative of Government that the Jamait-ul-Ulema Orgnaizes receptions to Shiekh Abdullah at all the places he goes ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह बिल्कुल गलत विचार है कि शेख का सरकार के इशारे पर स्वागत किया जाता है। शेख अब्दुल्ला के वक्तव्यों की जांच की जा रही है।

शेख के कुछ वक्तव्य अवश्य ही आपत्तिजनक हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम उससे सहमत हों परन्तु फिर भी सब बातों पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : सरकार शेख के भाषणों का अध्ययन कर रही है ; यह मंत्री महोदय ने बताया है। क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि देश में शेख के भाषणों से साम्प्रदायिक शान्ति भंग हो रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: चाहे उसके भाषणों से साम्प्रदायिक शान्ति बनी रहती है या भंग होती है परन्तु उनका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी से करना चाहिये।

(अन्तर्बाधाएं)

Shri Madhu Limaye : Two or three years ago a joint statement of Dr. Ram Manohar Lohia and Pandit Deen Dayal Upadhyaya was issued for Hindu-Muslim Unity.May I know whether Government will circulate this statement in public after getting it translated in various languages ?

अध्यक्ष महोदय: यह विषय से सम्बद्ध नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे प्रसन्नता है कि उपरोक्त दोनों नेताओं ने ऐसा वक्तव्य जारी किया था। परन्तु हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रश्न एक सतत् प्रश्न है चूंकि यह धर्म-निर्पेक्ष लोकतंत्र का मूल आधार है। अतः किसी एक वक्तव्य को छांटने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री क० नारायण राव : क्या हाल के साम्प्रदायिक दंगों में पकिस्तान का हाथ था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether Sri Shah Nawaz had his hand in communal riots in Meerut, and whether Government have taken any action against Shri Shah Nawaz; secondly, whether the Government have been assured that Sheikh Abdullah will not indulge in such activities as may incite communal disturbances ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री शाहनवाज के बारे में ऐसी बात तब तक नहीं कहनी चाहिये जब तक उसके लिये ठोस आधार न हों। मेरी जानकारी के अनुसार यह बात सच नहीं है। जहाँ तक शेख अब्दुल्ला का सम्बन्ध, उस बारे में मैं स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ।

Shri K. N. Pandey : Is it a fact that the communal tension was created due to the decision that Sheikh Abdullah should be welcomed with black flags and that the riots continued as long as the meeting continued ?

Shri Y. B. Chavan : My information is also like this.

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में मेरठ, राँची जमशेदपुर आदि स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं जिनसे भारतीय प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के दिल में भय पैठ गया है, क्या सरकार इन घटनाओं के प्रति आत्म-आलोचना पर आधारित रुख अपनायेगी और इनके लिये शेख के वक्तव्यों को दोषी न ठहरायेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे माननीय सदस्य ने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने यह नहीं कहा था कि हम इस स्थिति की आत्मालोचना पर आधारित मूल्यांकन नहीं करेंगे। इन घटनाओं की जांच के लिये एक जांच आयोग नियुक्त कर दिया गया है। यदि इसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी तो सरकार सभा के सामने स्वीकार करेगी। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि साम्प्रदायिक भावना को भड़काने के लिये शेख अब्दुल्ला जिम्मेदार हैं। मैंने यह भी कहा है कि शेख के कुछ ऐसे वक्तव्य आपत्तिजनक हैं कि वह भारत का अस्थायी नागरिक है। साथ ही मैंने यह भी कहा था कि इन सब प्रश्नों पर हमें निष्पक्षता से विचार करना चाहिये।

Shri Sheo Narain : May I know whether it is a fact that the Chief Minister of U.P. went to Meerut five days later ? Shri Shah Nawaz Khan was attacked, he has been our I.N.A. leader. I want to know from the Government as to what action was taken against the persons who waved black flags and what compensation has been given to those who werekilled ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वाभाविक रूप से ही सरकार द्वारा कार्यवाही करना अपेक्षित था। मैं जानता हूँ कि मुख्य मंत्री पहले ही दिन वहाँ नहीं गये। परन्तु उनके प्रति निष्पक्ष भाव से मुझे कहना चाहिये कि इस विषय पर मैंने उनसे बात-चीत की थी और मुख्य मंत्री ने कहा था कि यदि वह वहाँ गये, तो इससे इसका कोई हल निकलने के स्थान पर उलटे अधिकारियों के सामान्य कर्त्तव्यों में बाधा पड़ेगी ; अतः यह लाभप्रद न होगा। दो-तीन दिन पश्चात् वह वहाँ गए तथा दोनों सम्प्रदायों के नेताओं की बैठक बुलाई। मेरे विचार से उस समय उनके व्यक्तिगत रूप से जाने से कुछ अच्छा ही हुआ।

श्री म० ला० सोंधी : मुसलमान भारत के माननीय नागरिक हैं तथा उनमें से जिनकी आर्थिक अवस्था बहुत बुरी है वे भी उसी प्रकार सम्वेदना और चिन्तन के पात्र हैं जैसे हमारे सम्प्रादय के अन्य लोग। भारतीय जनसंघ सहित समस्त राजनैतिक दल, इस देश के माननीय नागरिक-गण के रूप में मुसलमानों के कल्याण हेतु अत्यन्त चिन्ता की भावना रखते हैं। वर्तमान राजनैतिक स्थिति में इस देश में मुस्लिम राजनीति के नाम से भी कुछ है। काँग्रेस दल और गृह-मंत्री ऐसा आभास क्यों देते हैं कि वे मुसलमानों के एक सम्प्रदाय का पक्ष लेते हैं यथा कभी सौदी अरबिया के समर्थकों के विरुद्ध नासर के समर्थकों का, तो कभी जायिर के विरुद्ध जमयतों का। एक प्रकार से ऐसी संक्रिया मेरठ की घटनाओं में भी है। इन बातों में सरकार का गहरा ध्यान होना चाहिये। मुस्लिम सम्प्रदाय को नेतृत्व की आवश्यकता है और नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान से प्राप्त हो सकता है। सरकार उन्हें क्यों नहीं लाती ? वह उन्हें यहाँ आने से क्यों रोक रही है ? शाहनवाज खां और मेहर चन्द खन्ना जैसे व्यक्तियों ने खान अब्दुल गफ्फार खां को चार लाख रुपये से वंचित किया है। मैं समझता हूँ गृह-मंत्री इसे जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, I have been to Meerut personally. I was much grieved on reaching there. Through you I want to ask the Home Minister whether the local administration

of Meerut in particular, and the Government of the State, has not proved to be communal ? Why did they permit the communal procession to pass in front of the college where this conference was to be held. When General Shah Nawaz Khan wanted to co-operate with other Muslim leaders to maintain peace and order in the city, then why did not the local administrtion there co-operate with him.

At eleven O'clock, after Sheikh Abdullah's speach ended and he wanted to go; Shri Shah Nawaz Khan asked for police escort but it was not given and when he reached Modinagar without police help, he found a big mob there ; but suddently he crossed the crowd and went away; but had there been some lawlessness, would it not have strengthened the hands of Pakistan; and weakened India's position in the world ? All this happened owing to non-co-oporation of the District Administration and U. P. Government. I want to know wehther the District Administration and Government of U. P. is not responsible for all this ?

अध्यक्ष महोदय : सेठ अचल सिंह । वह आपका भाषण सुन चुके है में अनुमति नही देता ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वाभाविक रूप से ही जिला प्रशासन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार उत्तरदायी है । यह तो बिलकुल स्पष्ट बात है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो अत्यन्त सरल है ।

Shri Achal Singh : The Home Minister had recently said that he was going to call a National Integration Conference in the country. May I know as to when is he calling that conference?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में प्रयत्न जारी है ।

श्री श्रीधरन : हमारा धर्म-निरपेक्ष प्रजातंत्र आज संकट में है तथा साम्प्रदायिकता का गन्दा सिर फिर ऊपर उठ रहा है तथा यह प्रजातंत्र की जड़ों पर चोट कर रहा है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने बढ़ती हुई इन विखंडन और साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों पर ध्यान दिया है और क्या सरकार ने इस चुनौती का सामना करने , इसे दबाने तथा देश में साम्प्रदायिक शान्ति उत्पन्न करने के लिये कोई योजना आरम्भ की है ? इस दिशा में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह केवल एक कदम, एक वक्तव्य अथवा एक भाषण नहीं हैं जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है । हमको हर स्तर पर, हर कोण से तथा हर व्यक्ति की ओर से निरंतर प्रयत्न करने हैं । यह इतना ही महत्वपूर्ण व आधारभूत प्रश्न है । मैं कह चुका हूँ कि अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात संगत है तथा उनके कुछ कष्ट हैं और उन पर ध्यान दिया जाना है । मैं इस देश के किसी व्यक्ति के मन में कोई शंका उत्पन्न करना नहीं चाहता । निश्चित रूप से वे अल्पसंख्यक हैं तथा वे अधिक सुरक्षा के पात्र हैं और यही बात है कि हमें विभिन्न कदम उठाने हैं । जहां तक साम्प्रदायिक राजनीति का प्रश्न है, आपके माध्यम से सदन से तथा सदन के माध्यम से सारे देश से, मैं यह अपील करूँगा कि हमें अनथक प्रयास करने होंगे ताकि साम्प्रदायिक तनाव के लिए उत्तरदायी हर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भावना को समाप्त किया जाये ।

श्री जे० एच पटेल : (कन्नड़ में बोले)

अध्यक्ष महोदय : आपके कन्नड़ में बोलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं । परन्तु सदन का मूल्यवान समय नष्ट होता है । आपने एक बार ऐसा किया था । अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दुसरों का भी समय नष्ट न करें जो कि प्रश्न पूछने को ललायित हैं। आप उन्हें कम से कम एक भी अवसर क्यों नहीं देते ? आप पहले ही इसे कन्नड़ और अंग्रेजी में कह चुके हैं । मैं आप को किसी सिद्धान्त आदि को तोड़ने को नहीं कह रहा हूँ । परन्तु उस दिन आप अंग्रेजी में बोले थे ।

श्री जे० एच० पटेल : वह इसलिये कि आपने अंग्रेजी में प्रश्न करने को कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विनय की थी कि यह अनिवार्य नहीं है ।

श्री जे० एच० पटेल : आपके शब्दों का मान रखने के लिये मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा परन्तु अपनी भाषा में बोलने का हमारा अधिकार विद्यमान है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत पहले ही माना जा चुका है ।

श्री जे० एच० पटेल : आपके साथ-साथ अनुवाद प्राप्त करने के प्रयत्न में विघ्न नहीं पड़ना चाहिये ।

हाल ही में कोई डेढ़ मास पहले मैसूर राज्य के चिकमगलूर जिले में मुसलमानों की लगभग एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति लूट ली गई और मैसूर राज्य तथा जिला अधिकारी चुपचाप दर्शक बने रहे । यह घटनायें इस देश में अल्पसंख्यकों के मन में सभी प्रकार की आशंकाएं उभारती हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस मामले की जांच करने जा रही है और इन साम्प्रदायिक दंगों में जिन मुसलमानों को हानि हुई है उनको प्रतिकर दे रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह उपद्रव हुए तथा मुसलमानों की सम्पत्ति लूटी गई । राज्य सरकार पिछले उपद्रवों में हुई हानि की जांच कर रही है । जब तक मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं आती तब तक कोई भी जानकारी देना मेरे लिये कठिन होगा ।

Shri Onkarlal Bohra : Will the Home Minister be pleased to state whether there is any hand of Communist Party behind communal riots in Bihar ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन उपद्रवों के लिये कौन सी पार्टी उत्तरदायी है मैं नहीं कह सकता । व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी राजनैतिक दल को उत्तरदायी नहीं समझूंगा जब तक कि इसके विपरीत कोई साक्ष्य न हो। आयोग इस मामले की खोज कर रहा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta: All the distrubances which took place here and there in the country, are very unfortunate. None likes them. I think all the cities of the country should protect the minorities. There is no reason to cause disturbance. But as the Hon. Minister has said that several times the disputes or disturbances take place owing to certain grievances of the Muslims ; I want to ask the Hon. Minister as to why the Government has not been removing

what it considers the genuine grievances of the Muslims for the last 20 years, and why donot they create such an atmosphere as may enable all to live together ?

Is it not a fact that a section of people exaggerate the matter and Pakistan exploits it ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आप का प्रश्न स्वंय में ही विरोधाभासी है। सर्वप्रथम तो आपने पूछा कि "आपने क्या किया है ?" दूसरे आप इस मामले में जंनसंघी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं एक जनसंघी हूँ। इस पर मैं कांग्रेसी दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत कर सकता।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरी प्रार्थना है कि अध्यसंख्यक आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामले में कोई दलगत दृष्टिकोण नहीं रखा जाना चाहिये। मुसलमान अत्यसंख्यकों के बारे में कोई जनसंघी, कम्युनिस्ट अथवा कांग्रेसी दृष्टिकोण नहीं हो सकता, वहाँ तो केवल एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो सकता है। जो कुछ सम्भव हुआ हमने किया है परन्तु दुर्भाग्यवश भारत में वर्तमान साम्प्रदायिक राजनीति ही इसके लिये उत्तरदायी है।

Shri Gulam Mohammad Bakshi : A specific point took another trend regarding which a debate has been going on in the Parliament for the last 5 or 6 days on President's address in which it has been emphasized that a national approach is essential for India's unity and there is no alternative to it. All the communities have stressed upon it and I believe that Government alone cannot solve it. All the Members belonging to the Government as well as opposition have the responsibility in this matter. Until there is such an approach, the problem facing the country cannot be solved. Nothing will be achieved simply by blaming someone for having done something and not doing a certain thing. I was listening attentively to what was being said here. It was a simple question as to who is responsible for riots in Meerut on Shiekh Abdullah's visit there. You have clearly said that he was not responsible as he never said anything as such. Now a specific question has been put as to whether it is a fact that the Secretary of the Hindu Mahasaabha had brought out a poster saying that the murderer of late Shyama Prasad Mukerjee was coming to Meerut. It was enough to infuriate those people as crores of people have been and will continue to respect Shri Shyama Prasad Mukerjee.

श्री कंवर लाल गुप्त : आप इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, आप इसकी जांच कर देखें.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति

श्री म० ला० सोंधी : महोदय इस सदन के एक सदस्य श्री ही० ना० मुकर्जी स्वंय जानते थे कि श्री श्यामा प्रसाद मुकर्जी का अन्त एकभेद पूर्ण ढंग से हुआ। वह हमारे दल के नेता हैं। वह हमारे दल के प्रवर्त्तक हैं। उत्तेजित होने का हमें अधिकार है। आज वह हिन्दू महासभा के नेता नहीं प्रत्युत जनसंघ के नेता के रूप में विख्यात हैं। दीन दयाल उपाध्याय के साथ क्या हुआ ? वैदेशिक कार्य के एक अधिकारी द्वारा लिखित **टाईम्स ऑफ इन्डिया** में प्रकाशित एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि उनकी मृत्यु दुर्घटनावश हुई है। हम कहते हैं कि यह एक राजनैतिक हत्या है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस प्रकार खड़े हो कर चिल्लाने का हक नहीं होना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : Why does he talk like that ? He should put questions.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछें ।

Shri Gulam Mohammad Bakshi : My point is that it was enough to incite the people and that caused this all. I don't have even the least objection if there is an inquiry in regard to Shyama Prasad Mukerjee.....

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Introduction of Bills in Hindi

*243. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to starred question No. 637 on the 13th December, 1967and state :

(a) Whether any decision has been taken in regard to the introdution of principal Bills in Parliament in Hindi ;

(b) if not, the reasons for the delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) The matter is still under consideration.

(b) This is an important matter and various implications of the proposal have to be carefully examined.

इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन

*244. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में इंडिया आफिस लाइब्रेरी की पुस्तकों आदि का भारत तथा पाकिस्तान के बीच बंटवारा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तावित न्यायाधिकरण की अन्तिम रूप से नियुक्ति कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस न्यायाधिकरण के सदस्य कौन-कौन हैं,

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस न्यायाधिकरण को नियुक्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) अभी तक सभी संबंधित देश प्रस्तावित ट्रिब्यूनल के विचार्य विषयों के संबंध में सहमत नहीं हैं। प्रश्न के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा प्रयोग की जाने वाली कानून-पद्धति के संबंध में यूनाइटेड किंगडम की सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने रजामंदी दे दी है किन्तु इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही है । इस प्रश्न को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता का निर्देश दिसम्बर,

1967 में राष्ट्र मंडलीय मामलों के लिए ब्रिटिश राज्य सचिव को दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार का उत्तर पाने के प्रयास जारी हैं।

नेफा (उपूसी)

*246. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1967 में नेफा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने नेफा के लोगों का आसाम के आसपास के क्षेत्रों के लोगों के साथ सामाजिक मेल-जोल को रोकने वाली आंतरिक-रेखा नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त करने के प्रश्न का अध्ययन किया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी नवीनतम यात्रा को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिसम्बर में नेफा के सीमा क्षेत्र के कुछ स्थानों का दौरा किया।

(ख) सारे महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया तथा उनकी जाँच की गई।

(ग) अन्तर्रेखा प्रबन्ध वापिस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान कार्य-पद्धति के अनुसार नेफा की जनता के लिए मैदानी क्षेत्रों में आने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु मैदानी क्षेत्रों के व्यक्तियों को नेफा में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा के कारणों से परमिट लेना होता है।

बौद्ध पर्यटक

*248. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटक विभाग का भारत में बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक पैकेज प्रोग्राम कार्यान्वित करने का विचार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार नालंदा, साँची तथा बौद्धों की रुचि के अन्य स्थानों के लिए बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये एक विशेष योजना बनाने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस योजना के कब तक कार्यान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित एक-मुश्त कार्य-क्रम (पैकेज प्रोग्राम) के अन्तर्गत नालंदा, साँची और बौद्धों की रुचि के अन्य चुने गये स्थान आ जाते हैं।

(ग) बोध गया, साँची, कुशीनगर और अजन्ता में पहले से ही आवास सुविधाएँ मौजूद हैं। चौथी योजना अवधि के दौरान इनका और आगे विस्तार और सुधार किया

जायेगा। राजगीर में एक पर्यटक-शाला का निर्माण हो रहा है और यात्रियों को ऊपर रत्नगिरी पहाड़ी पर ले जाने के लिए एक 'चेयर लिफ्ट' भी लगायी जा रही है।

इन स्थानों पर और बौद्धों की रुचि के अन्य स्थानों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने की स्कीमों के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में।

जॉन स्मिथ की "आई वाज ए सी० आई० ए० एजेंट" पुस्तक

*249. **श्री चक्रपाणि :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री उमानाथ : **श्री देवेन सेन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जॉन स्मिथ द्वारा लिखी गई "आई वाज ए सी० आई० ए० एजेंट इन इंडिया" नामक साम्यवादी दल द्वारा प्रकाशित पुस्तक को देखा है ;

(ख) क्या इस पुस्तक में उल्लिखित प्रत्येक मामले की अच्छी तरह छानबीन की गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो किस के द्वारा तथा कब ; और

(घ) क्या कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख), (ग) तथा (घ) पुस्तक की जाँच करने पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है।

दिल्ली में अपराध

*250 **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री गणेश घोष : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री रमानी : **श्री वेदव्रत वर्था :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वर्ष 1966 की अपेक्षा 1967 में अपराधों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1967 में हत्याएँ, अपहरण और छुरेबाजी के कुल कितने मामले हुए ; और

(ग) ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सन् 1966 के 16,934 मामलों के मुकाबले में सन् 1967 के दौरान भारतीय दंड संहिता से संबन्धित 17,422 मामले दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में दर्ज हुए।

(ख) हत्याएँ	..	65
व्यपहरण (अपहरण समेत)		261
छुरेबाजी	..	158

(ग) (i) जब कभी शांति भंग होने की आशंका होती है, कानून की विभिन्न उपबंधों के अधीन निरोधक कार्यवाही की जाती है।

(ii) प्रशासन द्वारा अपराधों की स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है तथा स्थिति को काबू में रखने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(iii) अधिक उत्तम संचार-सुविधाएँ तथा अपराधों की जांच के लिए वैज्ञानिक सहायक-सामग्री दे कर दिल्ली पुलिस को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हाल ही में कुछ योजनाएँ स्वीकार की गई हैं तथा ऐसी आशा है कि इन कार्यवाहियों से अपराध की स्थिति में काफी सुधार होगा।

हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा

*251. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की गई है और क्या सरकार को यह संकल्प प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार अभी इस संघ राज्य क्षेत्र की मौजूदा स्थिति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं रखती ।

राजनैतिक बन्दी

*252. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार ने देश में राजनैतिक बन्दियों के साथ व्यवहार के सम्बन्ध में वर्तमान नियमों तथा विनियमों में सुधार करने का निर्णय किया है ? और

(ख) यदि नहीं, तो इसके पक्ष में जनमत होने के बावजूद भी कोई निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 'जेल' राज्य विषय होने के कारण जन आन्दोलनों के विषय में गिरफ्तार तथा सिद्धदोष कैदियों सहित कैदियों का वर्गीकरण और जेल में उनके साथ होने वाला व्यवहार राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । अधिकतम राज्यों में जेल नियमों में राजनैतिक बन्दियों के लिए प्रथक वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है ।

यद्यपि सन् 1964 में अखिल भारतीय जेल मेनुअल समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की थी कि राजनैतिक

बन्दियों को सामान्य सिद्ध-दोष व्यक्तियों से पृथक रखा जाय पर उनमें भी अन्य अपराधियों के समान आधार पर तीन उप-भेद किये जायं।

गोआ में औद्योगिक परियोजनाएँ

*253. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1968 को 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि गोआ के उप राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच उत्पन्न हुए गम्भीर मतभेदों के कारण उस राज्य में 55 करोड़ रुपये की लागत की दो विशाल औद्योगिक परियोजनाओं की क्रियान्विति रुक गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार के बारे में कोई जाँच की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने उल्लिखित समाचार देखा है।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 44 (i) के उपबन्ध के अधीन किसी मामले में प्रशासक और मंत्री परिषद के बीच मतभेद होने पर प्रशासक को उसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजना होता है। समाचार में उल्लिखित मामलों के बारे में प्रशासक से ऐसा कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में स्थानों का आरक्षण

*254. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'स्टेट्समैन' दैनिक समाचार के कलकत्ता संस्करण में 14 जनवरी, 1968 को छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में बड़ी प्रतिशतता में स्थानों का आरक्षण उड़ानों की तारीखों से महीनों अपितु वर्षों पहले ही कर दिया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) : जी, हाँ।

(ग) विदेशी पर्यटकों के लिए खास कर बड़े दलों के लिए बुकिंग अक्सर काफी पहले कर दी जाती है ताकि उन्हें निश्चित रूप से स्थान मिल सके।

शिव सेना

*255. **श्री एस्थोस** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वम्भरन :
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में शिव सेना की गति-विधियों को अवैध माना गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) शिव सेना की गति-विधियां प्रतिक्रियावादी तथा हानिकारक हैं । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से निकट सम्बन्ध बनाए हुए हैं जिन्होंने बताया है कि पुलिस अत्यन्त सतर्कता से काम ले रही तथा हर उस घटना में कार्यवाही की गई है जिसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्पष्ट मामला था ।

"मुक्ति सेना"

*256. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में एक "मुक्ति सेना" बनाई गई है जिसे चीनियों तथा राष्ट्र-विरोधी तत्वों ने व्यापक प्रशिक्षण दिया है ; और

(ख) सामरिक महत्व के इस सीमा क्षेत्र में ऐसे विध्वंसक लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत-नेपाल सीमा के आसपास "मुक्ति सेना" के बनने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम में लचित सेना की गतिविधियां

*258. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **श्री गणेश घोष** :
श्री वेणीशंकर शर्मा : **श्री भगवान दास** :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम निवासियों में एक वर्ग के लोगों को 'लचित सेना' द्वारा हस्तलिखित ऐसे नोटिस मिले हैं जिनमें उनको दो महीनों के अन्दर अन्दर उस राज्य को छोड़ देने के लिए कहा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत कई महीनों में 'आसाम आसामियों के लिए' ऐसी घोषणा करने वाले इश्तहार आसाम के विभिन्न नगरों में लगे हुए देखे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसे इश्तहार आए हैं जिनमें आसाम से बाहर के लोगों से आसाम छोड़ देने को कहा गया है ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) राज्य की सुरक्षा और लोक-व्यवस्था के प्रतिकूल इन गतिविधियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से निकट सम्बन्ध स्थापित किया है।

कच्छ विवाद सम्बन्धी पाकिस्तानी सलाहकार के साथ स्वतंत्र पार्टी के नेताओं के कथित सम्बन्ध

*259. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ब्रिटिश पत्रकार, मिस्टर विलियम रशब्रुक के साथ, जो कच्छ विवाद के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा था कच्छ के कुछ स्वतंत्र नेताओं के कथित निकट संबंधों के बारे में 29 जनवरी, 1968 को गुजरात विधान सभा के एक सदस्य द्वारा दिये गए वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार ने इस बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार देखा है । हमारे पास कच्छ के कुछ स्वतन्त्र नेताओं के मिस्टर विलियम रशब्रुक के साथ कथित निकट सम्बन्धों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

डा० धर्म तेजा के विरुद्ध डिग्री

260. **श्री कृ० मा० कौशिक** : **श्री बसवन्त** :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी के प्रतिनिधि के नाते डा० धर्म तेजा और उसकी पत्नी के विरुद्ध एक डिग्री जारी की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने डिग्री में लिखित राशि वसूल कर ली है,

(ग) यदि नहीं, तो डिग्री में लिखित राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(घ) क्या यह डिग्री डा० धर्म तेजा और उसकी पत्नी के विरुद्ध जारी की गई व्यक्तिगत डिग्री है अथवा डा० धर्म तेजा और उसकी पत्नी के अधिकार में जयन्ती शिपिंग कम्पनी की आस्तियों के विरुद्ध है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अभी तक जयन्ती शिपिंग कम्पनी के पक्ष में दो डिगरियाँ पास हो गई हैं । पहली 15,66,068.19 रु० की 6 प्रतिशत वार्षिक सूद सहित जब तक लागत वसूल न हो जाए डा० तेजा के विरुद्ध मई, 1967 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पास की डिगरी है । दूसरी डा० तेजा और वरुणा कारपोरेशन वादुस के विपरीत 82,92,348.20 रुपए तथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिसम्बर, 1967 में बंबई हाई कोर्ट द्वारा पास की गई है । इनमें से कोई भी डिगरी डा० तेजा की पत्नी के विरुद्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) डिगरी की हुई राशि की वसूली जयन्ती शिपिंग कम्पनी द्वारा

को जायेगी भारत सरकार द्वारा नहीं। दिल्ली और बम्बई हाई कोर्ट दोनों औपचारिक डिगरियों को ड्रा और सील करेंगे। जयन्ती शिपिंग कम्पनी के सालिसिटरों ने औपचारिक डिगरियों को ड्रा करने और सील करवाने के लिए जरूरी कार्यवाही की है जिसके बाद उन्हें डा० तेजा के विरुद्ध कार्यान्वित करने की कार्यवाही की जाएगी। बम्बई हाइ कोर्ट में कंपनी की प्रार्थना पर कि हाई कोर्ट में जयन्ती शिपिंग कंपनी में डा० तेजा के नाम में सब शेयरों को पहले ही जबत कर लिया है। इन शेयरों का कुल प्रत्यक्ष मूल्य 2,12,47,200 रुपये है।

(घ) दोनों डिगरियाँ व्यक्तिगत तौर पर डा० तेजा के विपरीत हैं और उन पर लागू होती हैं। डिगरी की हुई राशि डा० तेजा की किसी परिसंपति या धन से वसूल की जा सकती है।

अमरीकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) की गतिविधियां

*261. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अमरीकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या किन्हीं संगठनों को अब भी अमरीकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से धन मिल रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार भारत में विदेशी शक्तियों की प्रेरणा पर की जाने वाली जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों के बारे में सतर्क है तथा उनके प्रतिकार के लिए उचित कार्यवाही करती है।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Pay Scales for Pilots of Air India and I. A. C.

*262. **Shri Madhu Limaye : Shri Bhogendra Jha :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the industrial tribunal set up to resolve the dispute regarding comparative pay scales and allowances of the pilots of Air India and Indian Airlines Corporation has given its Award ; and

(b) if so, the details of the award of the tribunal ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष

*263. **श्री वासुदेवन नायर : श्री म० ला० सोंधी :**
श्री चंद्र शेखर सिंह : श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन-वर्ष के दौरान भारत में पर्यटन के विकास बारे में किए गए संवर्द्धन कार्य के प्रभाव का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के दो मुख्य उद्देश्य विदेशों से भारत के लिए यात्रा को प्रोत्साहन देना और देश में पर्यटन के महत्व की चेतना उत्पन्न करना है ।

अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह अनुमान लगाना उचित है कि 1967 में पर्यटकों की संख्या और साथ ही उनसे होने वाली आय, अब तक रखे गए इनके आँकड़ों में सबसे अधिक होगी ।

देश के विभिन्न भागों में मनाये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताहों और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष से सम्बन्धित अन्य कार्य-कलापों ने नागरिकों व नगर-निकायों को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में पर्यटन के महत्व को और पर्यटकों को सहायता प्रदान करने के महत्व को अनुभव करने में सहायता दी है ।

पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के छात्रों की केन्द्रीय एसोसिएशन

*264 **श्री गु० सिं० ढिल्लों** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों के प्रधानाचार्यों की मांगों के बारे में सीधे या पंजाब राज्य के शिक्षा विभाग के माध्यम से दिसम्बर, 1967 में इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि पंजाब विश्वविद्यालय (जो अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय है) से सम्बद्ध कालेजों के छात्रों की केन्द्रीय एसोसिएशन के वर्तमान स्वरू० में कोई परिवर्तन न किया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) उत्तर 'नहीं' में है । यह उल्लेखनीय है कि पंजाब विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यपालों की नियुक्ति

*265. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के लिए कोई सूत्र तैयार किया है ; और

(ख) क्या सरकार राज्यपालों के पद पर नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की एक सूची तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राज्यपाल के उच्च पद पर नियुक्तियाँ करने में व्यक्ति की उपयुक्तता पर ही मुख्य विचार किया जाता है । साथ ही, एक संविधान के बाहर की परिपाटी के रूप में ऐसी नियुक्ति करने से पूर्व, सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री से अनौपचारिक तौर पर परामर्श ले लिया जाता है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

भूतपूर्व नरेशों के परिवारों को ब्रिटिश अनुदान

*266. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा भूतपूर्व नरेशों के परिवारों को दिये जा रहे अनुदानों को समाप्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आम चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग

*267. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनैतिक दलों ने गत आम चुनावों में विदेशी धन के प्रयोग के बारे में लगाए गए गम्भीर आरोपों की जाँच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की मांग की है क्योंकि केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा की गई जाँच सर्वथा संतोषजनक नहीं थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आयोग की स्थापना कब की जाएगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) गुप्तवार्ता विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण पूरा हो जाने पर ही अगले कदमों के बारे में विचार किया जा सकता है ।

बड़े पत्तन

*268. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 दिसम्बर, 1967 के "टाइम्स आफ इंडिया" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत में पेकिंग साम्यवादियों के एजेंट तोड़फोड़ की अपनी राष्ट्रव्यापी योजना के एक अंग के रूप में भारत के बड़े पत्तनों म तोड़फोड़ करने के लिए षड्यन्त्र रच रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ भूमिगत नेता जिन्होंने नक्सलबाड़ी आन्दोलन का सूत्रपात किया था, तोड़फोड़ की इस योजना को क्रमबद्ध रूप से मदद दे रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले के बारे में जाँच की है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) जब कि सरकार के पास बड़े पत्तनों की तोड़फोड़ के प्रयत्नों के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं है फिर भी पत्तनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की उचित व्यवस्था की गई है ।

जहाजरानी और जहाज-निर्माण के बारे में सम्मेलन

269. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** **श्री बी० चं० शर्मा :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजरानी, जहाज-निर्माण तथा पत्तनों के विकास कार्यों पर विचार करने के लिए हाल ही में सम्मेलन हुआ था,

(ख) यदि हाँ, तो उस सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किए गए ;

(ग) योजनाबद्ध प्रभावशाली विकास करने के लिए कितनी भारतीय तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ; और

(घ) इस प्रकार के विकास के लिए धन देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ, सम्मेलन 16 से 18 दिसम्बर, 1967 तक हुआ था ।

(ख) सम्मेलन के मोटे निर्णयों को सूचित करने वाला एक विवरण लोक-सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 204/68**]

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं । सिफारिशों की वित्तीय स्थिति भविष्य में नौवहन, पोत-निर्माण और पत्तन के विकास के लिए बनाये जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रकाश में निर्धारित की जा सकती है ।

एक मूर्ति की चोरी

1651. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मिदनापुर में पास्कूरा से रघुनाथ जी की एक बहुत पुरानी मूर्ति चुराये जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है, जो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दिनांक 3 जनवरी, 1968 के जुगान्तर नामक समाचार-पत्र में छपा है ;

(ख) क्या इस समाचार की सचाई का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है कि अष्टधातु से बनी हुई मूर्ति में 1 मन 20 सेर सोना था, और

(ग) यदि यह समाचार सही है तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क), (ख) और (ग) : सरकार को मामले की जानकारी नहीं है । क्योंकि कथित चोरी केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक स्थान से नहीं हुई है अतः यह सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह मामले की जाँच-पड़ताल करे ।

Air Strip at Rai Bareilly

1652. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Toursim and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a temporary air-strip was constructed at Rai Bareilly when the Prime Minister went on a tour of Rai Bariilly and Varanasi in January 1968 ; and

(b) if so, the amount spent thereon and name of the Ministry who spent it ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) The Government of India has not undertaken any such construction.

(b) Does not arise.

पहाड़ी लोगों के लिए स्वतन्त्र राज्य

1653 **श्री सीताराम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा स्वतन्त्र राज्यों की मांग की जा रही है, क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों के सभी लोगों को स्वीकार्य तथा सब पर लागू होने वाला कोई सामान्य तरीका निकालने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)

(क) तथा (ख) कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जनता के कुछ भागों से अलग पहाड़ी राज्य या राज्य-स्तर की माँगें हुई हैं । परन्तु सारे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति तथा उनकी आवश्यकताएँ एक समान नहीं हैं और इन क्षेत्रों के लिए एक समान सूत्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Amendment of Law Regarding Obscenity

1654. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the writers have demanded an amendment in the law regarding obscenity ;

(b) whether Government propose to introduce any Bill based on the suggestion given by the writers ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a), (b) and (c) Certain suggestions in this regard were made before a Select Committee of Rajya Sabha which was examining a Private Member's Bill on this subject. The Bill in this regard has been passed by the other House and is due to come up before this House in due course.

Communications through Artificial Satellites

1655. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team of U.N.E.S.C.O. experts visited India recently and it explored the possibilities of communications through artificial setellites ; and

(b) if so, the recommendations made regarding the expansion of T. V. through artificial satellites ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):

(a) Yes, Sir.

(b) The report of the team has not so far been received from UNESCO.

चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में लागू कानून

1656. **श्री बीरेन्द्र गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में लागू कानून देश के अन्य संघ राज्यक्षेत्रों में लागू कानूनों के समान नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) अधिकतम केन्द्रीय अधिनियम, यदि वे स्थानीय आधार पर ही लागू न हों तो, राज्यों के समान सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं। जो मामले ऐसे केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनसे सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नियम एक से नहीं हैं क्योंकि ऐसे सभी मामलों में उनकी आवश्कताएं समान नहीं हैं। अतः इस विषय में एक-रूपता लाना सम्भव नहीं है ।

मंत्रियों द्वारा अपनी विदेश यात्राओं की संसद् को रिपोर्ट

1657. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह प्रथा है कि सरकारी कार्य पर विदेशों की यात्रा करने वाले मंत्रियों और उपमंत्रियों के लिये अपनी यात्रा की रिपोर्ट संसद् को देना आवश्यक है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार ऐसी प्रथा आरम्भ करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी):

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

American Magazine's Report Regarding Kerala Minister :

1658. **Shi Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the report appearing in the American magazine "Washington Post" that a Minister of Kerala State has agreed to act against the State Cabinet on payment of Rs.3 lakhs to him by U. S. A. ;

(b) whether any enquiry has been conducted in regard thereto ; and

(c) if so, the findings thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Sari Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.

(b) The State Government did not think it necessary to mke any inquiry.

(c) Does not arise.

Bridge near Shanti Vana, Delhi

1660. **Shri Bal Raj Madhok :** **Shri Ram Gopal Swhalwale :**
Shri Hardayal Devgun, **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to seate :

(a) whether it a fact that the Delhi Corporation has submitted a scheme for constructing a permanent bridge near Shanti Vana, Delhi in order to remove the transport difficulties of the people living across the Jamuna ;

(b) whether it a also a fact that the Delhi Development Authority has rejected this scheme on the recommendation of the Shanti Vana Committee there by ignoring the difficulties being faced by more than five lakhs people living across the Jamuna ;

(c) whether Government have prepared any alternative scheme to provide them transport facilities ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Sipping (Shri Bhakt Darshan):

(a) No Sir. However, such a bridge is contemplated in the Master Plan for the development of Delhi ; and the Delhi Administration have under consideration the question of its construction.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

दिल्ली में बिक्री-कर की बकाया राशि

1661. **श्री बशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 तक दिल्ली में बिक्री कर की वसूल न की गई राशि कितनी थी ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत दिल्ली में 31-12-67 तक वसूल न की जा सकने वाली बिक्री-कर की राशि की स्थिति निम्नलिखित है :

स्थानीय	केन्द्रीय
(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)
141.68	61.09

(ख) बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(1) भूमि-राजस्व के बकाया धन की तरह, विलम्बित राशि की वसूली के लिये कलक्टर को पत्र जारी किये जाते हैं ।

(2) चूक के मामलों में अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार दंडनीय कार्यवाही की जाती है ।

(3) उन सभी मामलों में जमानत मांगने की व्यवस्था लागू की जाती है जहाँ या तो व्यापारी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या वह कर से बचने वाली गतिविधियों मे भाग ले रहा हो ।

(4) उन व्यापारियों के पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द करने की कार्यवाही की जाती है, जो कर की अदायगी रोक रहे हैं ।

(5) 'संयुक्त वसूली अभियान' हर वित्तीय वर्ष में दो बार चलाये जाते हैं । इस अवधि के दौरान बिक्री कर निरीक्षक तथा सहायक कलक्टर (बिक्री-कर) दोनों मिल कर भारी राशियों के चूक-कर्ताओं से सम्पर्क करते हैं ।

(6) मूल्यांकन प्राधिकारियों को अपनी माँग और वसूली रजिस्टर हर सप्ताह अध्ययन करने तथा बकाया राशि की वसूली के लिये की जाने वाली कार्यवाही के लिये, अपने क्षेत्रीय स्टाफ से विचार-विमर्श करने को कहा जाता है ।

(7) वार्ड अधिकारियों के लिये, एक नियमित कार्य पद्धति के रूप में, 2000 रु० से अधिक माँग वाले मामलों का मासिक विवरण निर्धारित किया गया है । और इन मामलों की प्रगति पर वसूली कार्य के कार्यभारी सहायक आयुक्त द्वारा नजर रखी जाती है ।

Expenses on Detention of Sheikh Abdullah

1662. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on boarding, lodging, medical treatment, security etc. of Sheikh Abdullah since the date of his detention ;

(b) the number of places where he had been shifted during this detention and the amount paid by Government as fare on each shifting ; and

(c) whether it a fact that Sheikh Abudllah's son is working in the Central Secretariat, Delhi and that during the period of his father's detention he was permitted to stay with his father and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs: (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) During his internment from May, 1965 to January, 1968 the expenditure incurred on following items are as indicated :

Food charges	Rs.48,865
Lodging	Rs.31,126
Medical treatment	Rs.11,737
Maintenance grant at Rs.1,500 p. m. to Sheikh Abdullah with effect from 1-10-1967.	Rs.6,000
Security arrangement	Rs.6,23,000
Other expenses	Rs.70,272

(b) He was taken from Delhi to Ootacamund, later shifted to Kodaikanal and from there to

Delhi. The air fare from Delhi to Bangalore was Rs.386. The fare from Kodaikanal Road to Delhi was Rs.399. The other journeys were by Government car.

(c) No, Sir.

Bridges over Narmada River

1663. **Shri Y. S. Kushwah:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the inaugural ceremony of the newly constructed bridge over the Narmada river (Madhya Pradesh) was performed on the 17th January, 1968 ;

(b) if so, the total expenditure incurred on the construction of the bridge and the amount paid by the State Government and the Central Government ;

(c) the length, breadth and the height of the newly constructed bridge ; and

(d) the number of bridges proposed to be constructed over the Narmada river and the location thereof ?

The Deputy Minister in the Ministery of Transport and Shipping(Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) This bridge is a State project. The total expenditure is stated to be Rs.56.02 lakhs out of which an amount of Rs.13.34 lakhs has been provided by the Central Goveanment as grant-in-aid.

(c) Length of the bridge—2483 feet.

Width of clear roadway on the bridge—24 feet.

Height—71 feet from low water level.

(d) So far as National Highways are concerned only the construction of a bridge across Narbda near Zadeshwar in Gujarat State on National Highway No. 8 has been sanctioned recently.

Border Roads

1664. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work going on at the National Highways and lateral roads in the Champaran District on Indo-Nepal border has now been suspended ;

(b) if so, the reasons for the suspension of work in the context of continued hostility by China ; and

(c) if not, the maximum time like to be taken for their completion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (ShriBhakt Darshan): (a) (b) and (c) Due to the current actute financial stringency, the progress of the work on the lateral roads has been slowed down. It is proposed to limit the scope of further work on this Project in such a way that the expenditure already incurred does not become infructuous. This will obviously take some more time.

The work on the other National Highway No. 28-A will, however, go on according to availability of funds.

जनवरी, 1968 में कच्छ में भूकम्प

1665. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 और 4 जनवरी, 1968 को कच्छ में भूकम्प के झटके आए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन झटकों का क्या परिणाम हुआ तथा इनसे कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) 3 और 4 जनवरी, 1968 को भूकम्प के बहुत से झटके रिकार्ड किये गये जिनका अधिकेन्द्र (एपीसेन्टर) कोयना क्षेत्र में था । मौसम विज्ञान विभाग के उपकरणों से उपलब्ध रिकार्ड यह सूचित नहीं करते कि कच्छ में भूकम्प के झटके आये ।

(ख) कच्छ में कोई हानि की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

Seized Documents of Century Mills

1666 : **Shri Y.S. Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Presidency Magistrate, Bombay has ordered that the documents, records and other things of Centruy Mills which were seized by the C. B. I. in a raid in June last be returned immediately ;

(b) whether the said order has been carried out ;

(c) whether the documents pertaining to other Birla concerns were also seized by the C.B.I. simultaneously and whether those documents have also been returned ; and

(d) the reasons for the seizure of documents ?

The Minister in the ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla) :

(a) In pursuance of the working arrangement, the Magistrate passed orders for the return of documents, duly initialled, to be produced as and when ordered by the Magistrate. On an application by the C.B.I. the documents required for the purpose of investigation have been ordered by the Magistrate to be given to the C.B.I.

(b) The documents not required for the purpose of investigation have been returned and those required for the purpose of investigation have been ordered to be given to the C.B.I.

(c) The records seized from other Birla concerns by the C.B.I. have been returned in pursuance of the working arrangement or are being returned, but those, required for purpose of investigation, have been ordered to be given to the CBI for the purposes of investigation, or the Magistrate is being approached for this purpose.

(d) The documents were seized after a search for purposes of investigation.

पाकिस्तानियों द्वारा छापे मारना

1667. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सशस्त्र पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारतीय राज्यक्षेत्र में, राज्यवार कुल कितनी बार घुसे और उन्होंने कितनी बार सीमाओं पर छापे मारे ;

(ख) कितने भारतीय राष्ट्रजनों, पुरूष अथवा स्त्रियों का अपहरण किया गया, उनके नाम, संख्या और व्यवसाय क्या थे और उनमें से कितने व्यक्ति अब तक वापस लाये गये हैं ;

(ग) इन छुटपुट हमलों के परिणामस्वरूप भारतीय व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को किस किस्म की क्षति पहुंची और कितने रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ ;

(घ) इन छापों में कुल कितने पशु लापता हुए अथवा मारे गये और उनका मूल्य लगभग कितना था ; और

(ङ) भारतीय राज्य क्षेत्र में इन सशस्त्र छुटपुट हमलों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कार्य–गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) एक विवरण, जिसमें सन् 1966 तथा 1967 की सूचना दी गई है सदन के सभा -पटल पर रख दिया गया हैं। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 205/68]

(ङ.) सीमाओं पर सीमा सुरक्षा दल द्वारा गश्त तीव्र कर दी गई है और कड़ी सतर्कता बरती जा रही है ।

पालम हवाई अड्डे पर पड़े हुए उपकरण

1668. **श्री दे० अमात :** **श्री मृत्युंजय प्रसाद :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 58 लाख रुपये के मूल्य के ग्राउंड उपकरण, अधिकतर इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया के केरावैल विमानों की सीटें जिन्हें फ्रांस तथा अमरीका से खरीदा गया था, पालम हवाई अड्डे पर वर्ष 1963 से पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क), (ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पहले दो कारवेल विमानों पर लगी ढलवाँ पीठ वाली 168 सिवमा सीटों को 1967 में बदल कर उनके स्थान पर आगे को खिसकने वाली एयरोथर्म सीटें लगा दी गयीं जिससे पीछे बैठे हुए यात्रियों को होने वाली असुविधा दूर हो गयी तथा विमान में अतिरिक्त सीटों की जगह मिल गयी । फालतू हुई सीटों में से 100 का इंडियन एयर फोर्स से खरीदे गये विमानों में उपयोग किया जा चुका है तथा 5 को सफदरजंग एयरपोर्ट पर केबिन परिचारकों को क्रियात्मक प्रशिक्षण देने के लिये 'कारवेल मॉक-अप' में लगा दिया गया है। 63 सीटें जिनकी कीमत लगभग 1.06 लाख रुपये है दिल्ली और बम्बई में आई० ए० सी० के स्टोरों में रख दी गयी हैं ;

आई० ए० सी० ने 1967 में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास इत्यादि में विमानों की भूमि पर व्यवस्था (ग्राउंड हैंडलिंग) का प्रबन्ध मशीनों द्वारा करने के लिये ताकि

विमानों की 'टर्न ओवर' अवधि को कम किया जा सके तथा उनकी उपयोगिता को और अधिक बढ़ाया जा सके कुल 49–42 लाख रुपये की लागत के कई प्रकार के उपस्कर खरीदे। उनमें से 9.37 लाख रुपये के उपस्कर का पालम पर उपयोग किया जा रहा है, तथा लगभग 1.68 लाख रुपये की लागत के तीन टॉस्लेट सर्विस यूनिटों को छोड़ कर जिन्हें कुछ सहायक उपकरणों के, जिनकी सप्लाई-कर्ताओं से प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है, न होने के कारण प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, शेष उपस्कर का अन्य हवाई अड्डों पर उपयोग किया जा रहा है ।

Army's Assistance During Guahati Riots

1669. **Shri Balraj Madhok** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Army was called in for suppressing riots in Gauhati on the 27th January, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that a request to send the Army was also made on the 26th January; and

(c) if so, the reason for which the army was sent late to the disturbed areas ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs :(Shri Vidya Charan Shukla) ;

(a), (b) and (c) The District Magistrate, Gauhati made a request for army assistance on 26-1-1968 at 12.30 p.m. The troops arrived at the scence at about 13.00 hours the same day. The army was withdrawn on the morning of 5th February, 1968.

नेफा (उपूसी) में सामाजिक सुधार

1670. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा प्रदेश में अखिल भारतीय स्वरूप का पंचायती राज्य लागू करने तथा नेफा के आसपास के क्षेत्रों के अनुरूप उस प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने से संबंधित नेफा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार वहां सामाजिक सुधार करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : एरिंग समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । पंचायत राज्य के संबंध नेफा पंचायत राज्य विनियम, 1967 नामक विनियम की अधिघोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है ।

अंचल समितियाँ, जिला परिषद तथा एजेन्सी कौंसिल जैसे विभिन्न स्थानीय निकायों की स्थापना के लिये तैयारियाँ की जा रही हैं ।

बिहार के पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों द्वारा भूमि की खरीद

1671. **श्री बेणीशंकर शर्मा :** **श्री लीलाधर कटकी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की मुस्लिम जनता में से कुछ पाकिस्तान समर्थक लोगों ने हमारी सीमा के निकट पाकिस्तान के साथ लगने वाले जिलों में ऊँचे दाम दे कर कृषि वाली भूमि खरीदी है और उनमें से कुछ लोगों ने उस भूमि पर रिहायशी मकान भी बना लिये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनको धन किन साधनों से प्राप्त हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

माओ की पुस्तक के बारे में रेडियो पेकिंग से प्रसारण

1672. **श्री मयावन : श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग रेडियों से 26 सितम्बर, 1967 को किये गये प्रसारण की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिस में बताया गया था कि माओ की रचनाओं वाली 'रेड ट्रैयर्ड बुक' भारत में पंजाबी भाषा में अनुदित और प्रकाशित हो चुकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस समाचार की सत्यता का पता लगाया है ; और

(ग) प्रकाशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग) यह रिपोर्ट मिली है कि "प्रधान माओत्सेतुगं कथनावाली" नामक एक पुस्तक पंजाबी में जालन्धर से प्रकाशित हुई है राज्य सरकार मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की वाछंनीयता पर विचार कर रही है ।

बम्बई में तमिल भाषा में बनी फिल्मों के शो रद्द किये जाना

1674. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार-पत्रों में छपी इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बम्बई और पूना दोनों स्थानों में शिव सेना के स्वयंसेवकों ने दक्षिण भारत की भाषाओं में विशेषकर तमिल में बनी फिल्मों के मालिकों को बाध्य कर दिया है कि वह दक्षिण भारत की भाषाओं की फिल्मों के शो रद्द कर दें ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) इस संबंध में बम्बई और पूना दोनों में मामले दर्ज किये गये हैं और जाँच पड़ताल की जा रही है । पूना में पुलिस ने 6 व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया है । दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्में दिखाने वाले प्रबन्धों को पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जाता है ।

विदेशों में बन बम

1675. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा पता लगा है कि पश्चिम बंगाल ने हाल में हुए आन्दोलनों में आन्दोलनकर्त्ताओं ने विदेशों मे बने हुए कुछ बमों का प्रयोग किया था ; और

(ख) सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे ऐसे बम भारत में चोरी-छिपे न लाये जा सकें ?

कार्य-गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

एयर इंडिया की उद्घाटन उड़ानें

1676. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 15 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इंडिया की उद्घाटन उड़ानों के लिये विभिन्न दलों के संसद् सदस्यों के चयन का आधार क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : एयर इंडिया अपनी उद्घाटकीय उड़ानों में संसद् सदस्यों को सरकार से परामर्श करके आमंत्रित करती है । एयर इंडिया को इस मामले में परामर्श देते समय सरकार संसद् के विभिन्न राजनैतिक पार्टियों/दलों के प्रतिनिधित्व का उचित ध्यान रखती है ।

इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यहार

1677. **श्री अ० वि० पाटिल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के टिकट घर पर अथवा हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों का प्रायः अपमान किया जाता है अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी शिकायतों की संभावना को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) बुकिंग आफिसों पर अथवा हवाई अड्डों पर आई० ए० सी० के कर्मचारियों के असद्-व्यवहार के बारे में कुछ शिकायतें हुई हैं । कारपोरेशन द्वारा प्रत्येक शिकायत की पूरी जांच की जाती है और कर्मचारियों के बारे में विभागीय कार्यवाही की जाती है।

मोहित चौधरी का मामला

1678. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहित चौधरी के मामले की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक इस मामले का निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जांच पूरा होने पर अतिरिक्त प्रेजीडेन्सी मैजिस्ट्रेट, कलकत्ता के न्यायालय में इस मामले पर एक अभियोग-पत्र पेश किया गया है । कलकत्ता से उच्च-न्यायालय ने, उच्च न्यायालय के समक्ष एक संशोधन याचिका प्रस्तुत होने के कारण, जांच न्यायालय की कार्यवाही के प्रति अन्तरिम रोधन आदेश जारी किया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत मामले

1679. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कुल कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) इन मामलों पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि इतनी बड़ी संख्या में अनिर्णीत मामले इकट्ठे न हों, क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) 1-2-1968 को 5,526.

(ख) और (ग) अनिर्णीत मामलों में से केवल 1,790 मामले सुनवाई के लिये तैयार हैं । अनिर्णीत मामलों की कुछ स्थिति को ध्यान में रखकर प्रत्येक सत्र में या बाद में उच्चतम न्यायालयों में विभिन्न श्रेणियों के तात्कालिक मामलों को निपटाने के लिये विशेष न्यायालय गठित किये जाते हैं और लंबन को कम करने के लिये प्रत्येक प्रयास किया जाता है । उच्चतम न्यायालय ने भी मामलों का शीघ्र निपटान करने की दृष्टि से मार्च, 1966 में अपने नियमों का संशोधन किया था ।

सीमा पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना

1680. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना के रूप में बिहार की उत्तरी सीमा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से होती हुई सड़कों के निर्माण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी सड़कों का निर्माण कार्य चालू है और उनके कब तक पूर्ण होने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क), (ख) और (ग) बरेली (उत्तर-प्रदेश) से सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) और फिर आगे अमीगांव (आसाम) तक पार्श्व सड़क का निर्माण 1964 में शुरू किया गया था । पार्श्व सड़क योजना के रूप से निम्न लिंक सड़कों का भी निर्माण किया जाता था ।

(1) कसिया से पदरौना (उ० प्र०)

(2) सगोली से बेतिया (बिहार)

(3) मुजफ्फरपूर से दरभंगा (बिहार)

(4) अररिया से फारबेसगंज और फिर आगे मरीचा/डागमारा तक (बिहार)

भी तक कसिया से पदरौना और अररिया-फारबेसगंज मरीचा लिंक सड़क के फारबेसगंज-मरीचा अनुभाग का संरेखण निश्चित नहीं किया गया है क्यों कि वह गंडक और कोसी नदियों

के पुलों के स्थान निश्चयन पर निर्भर करता है। इन सड़कों के अलावा, सब सड़कों पर काम शुरू किया जा चुका है मगर चालू वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रगति में बाधा पड़ गई है। अब आगे काम के क्षेत्र को इस प्रकार सीमित करने का विचार है कि किया हुआ व्यय व्यर्थ न हो जाये और मुख्य पार्श्व सड़क गाड़ी यातायात के लिये ठीक हो जाए।

Firing by Nagas at Military Helecopter

1681. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news dated he 20th December 1967 to the effect that Naga rebels fired at a Military helicopter flying North of Mao, Manipur situated at the ceasefire line ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard :

The Minister in the Ministry of Home Affairs: (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) A rifle shot was fired at an IAF helicopter on 14th December, 1967 by some hostiles at a place about 26 miles North-west of Ukhrul. There was no damage caused to the helicopter.

(b) Security forces have intensified patrolling in the areas.

गणतंत्र-दिवस पुरस्कार

1682. **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में कुछ लोगों ने गणतंत्र-दिवस पुरस्कार लेने से इन्कार कर दिया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) पूछी गई सूचना को प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा।

पत्राचार के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम

1683. **श्री बे० कु० दास चधौरी** : **श्री मोहन स्वरूप** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि उच्चतर माध्यामिक छात्रों वाला चार वर्षीय पाठ्यक्रम देश के समस्त छेत्रों के लिये खोल देना चाहिये;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) :

(क) और (ख) कला और वाणिज्य में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के चार वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम की अवधि को आरम्भ करने के लिए 1-5-1968 से, प्रयोगात्मक आधार पर, शुरू करने का विचार है। यह पाठ्यक्रम दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा हिन्दी माध्यम से चलाया जाएगा और देश

भर के उन सभी प्रत्याक्षियों के लिये खोला जाएगा जो नियमित रूप से अपना अध्ययन स्कूल में जारी रखने में असमर्थ हैं अपितु अपनी शिक्षा योग्यताओं को बढ़ाने के इच्छुक हैं।

(ग) 1967-68 वर्षों के लिए दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के बजट में 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

Lateral Road Project

1684. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work on Lateral road passing though Pilibhit and Lakhimpur Districts in Uttar Pradesh has been suspended ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) when this is to be taken up ?

TheDeputy Minister in the Ministry of Transport andShipping(Shri Bhakt Darshan): (a) , (b) and(c) Due to the current acute financial stringency, the progress of the work has been slowed down. It is proposed to limit the scope of further work in such a way that the expenditure already incurred does not become infructuous.

Settlement of people in Rajasthan Border areas

1685. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that views have been expressed in Rajasthan to the effect that in case sturdy people are settled in the areas adjoining Indo-Pak. borders, they would be much helpful in guarding the borders ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) Government of India have not received any specific proposal in this regard, apart from the proposals to develop and colonise the area commanded by the Rajasthan Canal Project. These proposals are being examined by the concerned Ministries.

हिन्दी में पत्राचार पाठ्यक्रम

1686. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **शिक्षा** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहिन्दी-भाषा क्षेत्रों में रहने वाले और विदेशों में रहने वाले लोगों के लिये हिन्दी में पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में रहने वाले कितने विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम को अपनाया है ; और

(घ) विदेशों में रहने वाले कितने विद्यार्थियों ने इसे अपनाया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ पहला प्रारम्भिक पाठ्यक्रम मार्च, 1968 से आरंभ होगा।

(ग) 1343 व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे किन्तु केवल 594 व्यक्तियों ने अपनी फीस भेजी है और उन्हें दाखिल कर लिया गया है।

(घ) अभी तक विदेशों से 200 व्यक्तियों ने पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये फार्मों के वास्ते सीधे ही आवेदन किया है। विदेशों से विद्यार्थियों के दाखिले की अन्तिम तारीख 1 मार्च, 1968 है। कुछ और आवेदन-पत्र प्राप्त होने की आशा है।

उप-राज्यपाल का दिल्ली नगर निगम सम्बन्धी नोट (टिप्पण)

1687. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उप-राज्यपाल के दिल्ली नगर निगम सम्बन्धी गोपनीय नोट (टिप्पण) का जो इस मंत्रालय के पास भेजा गया था, भेद खुल जाने के बारे में छान-बीन का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) उप-राज्यपाल के नोट पर आधारित कही जाने वाली कुछ रिपोर्टें समाचार-पत्रों में छपी थीं। एक अनौपचारिक जांच का आदेश दिया गया था, किन्तु समाचार-पत्रों द्वारा यह जानकारी प्राप्त किये जाने के सूत्र का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका। इसलिये कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा।

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली

1688. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सफदरजंग हवाई अड्डे को दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में, जिसका अब पूर्ण विकास हो चुका है, रहने वाले लोगों के लिये यह हवाई अड्डा एक समस्या बन गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे को अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली के लिए मास्टर-प्लान में किये गये प्रस्तावों को दृष्टि में रखते हुए सफदरजंग से हवाई अड्डे को हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ग) अन्तिम निर्णय बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा, विशेषतया दिल्ली से उचित दूरी के अन्दर एक ऐसे दूसरे स्थान की उपलब्धि जो ग्लाइडर तथा फ्लाइंग क्लबों के इस समय सफदरजंग पर किये जा रहे क्रिया-कलापों के लिए उचित होगा।

शिव सेना के व्यक्तियों द्वारा कार्मिक संघ के कार्यलय पर हमला

1689. **श्री चक्रपाणि :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
डा० रानेन सेन : **श्री अनिरुद्धन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री नायनार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1967 में शिव सेना द्वारा बम्बई में कार्मिक संघ के कार्यालय पर किये गये हमले की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो शिव सेना की ऐसी कार्यवाहियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) हुल्लड़बाजों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है । घटना स्थल पर तैंतीस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । एक मामला दर्ज किया गया है और जाँच-पड़ताल की जा रही ।

गोआ में विकास परियोजनायें

1690. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मण्डवी नदी सम्बन्धी परियोजना समेत गोआ की सभी विकास परियोजनाओं का काम धीमी गति से हो रहा है और निर्धारित समय से पीछे है तथापि 1967-68 में गोआ के विकास के लिये निर्धारित धनराशि में से आधे से अधिक धनराशि अभी व्यय नहीं हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गोआ में विकास परियोजनाओं का काम शीघ्रता से हो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान् । गोआ के लिये 822 लाख रुपये के कुल प्रावधान में से मार्च तक 720 लाख रुपये खर्च हो जाने का अनुमान है । जहाँ तक मण्डवी पुल का सम्बन्ध है कार्य में थोड़ा सा बिलम्ब भूमि अधिग्रहण कार्यवाही , सामग्री के उपलब्ध न होने, इत्यादि कारणों से हुआ । यह कार्य अब प्रगति पर है ।

(ग) योजना की प्रगति पर पुनर्विलोकन करने तथा अड़चनों को दूर करने के लिये समय-समय पर उच्च स्तर की बैठकें की जाती हैं ।

सतर्कता आयोग

1691. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आँध्र प्रदेश के राज्यपाल के इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय तथा राज्य सतर्कता आयोग को कानूनी आधार दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय की घोषणा के बारे में 12-2-68 को संसद के दोनों सदनों को दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण के निम्नलिखित उद्धरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :-

"इस प्रयोग के सामने नागरिकों की शिकायतें दूर करने की समस्या थी और उन्होंने कुछ सिफारिशों भी की हैं। सरकार ने अब यह फैसला किया है कि एक ऐसे सांविधिक तंत्र की स्थापना की जाए जो कुप्रशासन से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार और अन्याय की कथित शिकायतों की जांच करे। इस तंत्र का अध्यक्ष होगा एक लोकपाल ; जिसे केन्द्रीय मंत्रियों और सचिवों के प्रशासनिक कार्य से उत्पन्न होने वाले आरोपों की जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह लोकपाल लोकयुक्त के दर्जे के दो अन्य प्राधिकारियों के कार्य संचालन में भी तालमेल रखेगा। पहला तो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा और दूसरा सचिवों के दर्जे से कम दर्जे के केन्द्रीय सरकारी नौकरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। संसद् के वर्तमान सत्र में इस आशय का एक बिल पेश किया जाएगा।"

इंडियन असेम्बली ऑफ यूथ की कार्यकारिणी की बैठक के बारे में जांच

1692. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री एस्थोस :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** 13 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3990 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन असेम्बली ऑफ यूथ की कार्यकारिणी की बैठक के बारे में, जो पश्चिमी जर्मनी के एक अधिकारी के निवासस्थान पर हुई थी, की जा रही जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो बिलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) उस संगठन के महामंत्री ने लिखा है कि किसी जर्मन अधिकारी के निवासस्थान पर कार्य-कारिणी समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आसाम में विदेशी धर्म-प्रचारक

1693. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में अनेक धर्म-प्रचारकों को जनवरी, 1968 में भारत छोड़ देने का नोटिस दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो उनके नाम क्या हैं और उनको भारत से निकालने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वे सभी भारत छोड़ कर चले गये हैं और यदि नहीं, तो वे इस समय कहां पर हैं ;

(घ) आसाम में अभी कितने धर्म-प्रचारक काम कर रहे हैं ; और

(ङ) उनकी गतिविधियों पर निगाह रखने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 206/68]

(ग) वे अभी भारत से वापिस नहीं गये और अभी शिलांग में हैं।

(घ) 329

(ङ) स्थानीय अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्रबन्ध किये हैं।

शेख अब्दुल्ला के दौरों पर खर्च

1694. **श्री हरदयाल देवगुण : श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला की हाल में जेल से रिहाई होने के बाद उसके दौरों का पूरा अथवा आंशिक खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वहन किया जा रहा है अथवा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

V. I. P. Treatment to Sheikh Abdullah at Government Function

1695. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah has been accorded V.I.P. treatment in all Government functions ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) On a request made on behalf of Sheikh Abdullah, the Government had extended invitations to him to attend the Republic Day Parade and Beating Retreat Ceremony 1968. Having regard to the position he has held, he was allotted a seat in V-1 Enclosure meant for dignitaries including Members of Parliament.

कोवालम का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

1696. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में कोवालम का एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो योजना के अन्तिम रूप देने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कोवालम के विकास की एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

'Anand Marg' Religious Organisation

1697. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state

(a) whether it is a fact that a Hindu religious organisation known as ' Anand Marg' has been receiving twenty lakhs of rupees annually from Moral Rearmament Association and financial assistance to the tune of one crore erupees from the PL 480 funds annually for the last three years;

(b) if so, whether Government have gone into the aims, activities and financial resources of the organisation ; and

(c) if so, the result thereof ?

TheMinister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) The Government have no such information.

(b) and (c) We had received from the office bearers of this organisation an account of their aims, objects and activities and they claim that it is "a philanthropic Mission founded on the convergent path of socio-spirtual development. To this end it is materialising its wide programme of education, relief and welfare by rendering social service to the suffering humantity in varied ways".

Arrests under Preventative Detention Act

1698. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons detained under the Preventive Detention Act and the number of days they had to spend in jail in West Bengal during the tenure of the United Front Government formed under the leadership of Shri Ajoy Mukherji ;

(b) the number of political workers, blackmarketeers and other anti-social elements amongst them separately ;

(c) the number of persons detained under the said Act by the new Ministry formed under the leadership of Dr. P. C. Ghosh ;

(d) the number of plitical leaders and workers, profiteers, blackmarketeers as well as other anti-social elements amongst them separately ; and

(e) the reasons for detaining the political workers ?

The Minister of State in the Ministry of HomeAffairs(ShriVidya Charan Shukla) :

(a) 1416 persons were detained for periods varying from 3 to 150 days.

(b) 483 of those detenus were black marketers, and 933 were anti-social elements.

(c) 1008.

(d) Of those detained 203 are political leaders and workers, 7 profiteers and blackmarketeers and 798 anti-social elements ; and

(e) They were detained with a view to preventing them from acting in a manner prejudicial to the maintenance of public order.

Mithila University at Darbhanga

†1699. **Shri Ramavatar Shastri** : **Shri Bhogendra Jha** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a delegation of the University Grants Commission under the leadership of its Chairman recently visited Darbhanga ;

(b) whether a number of educationists and other people met the delegation here and emphasised the need for the establishment of Mithila University at Darbhanga ;

(c) whether it is a fact the the Chairman of the University Grants Commission told the press, on reaching Patna from Darbhanga, that the establishment of Mithila University was a necessity ;

(d) whether he has also made a recommendation to the University Grants Commission to this effect ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Trigun Sen) :

(a) A Committee appointed by the University Grants Commission under the Chairmaship of Prof. M.V. Mathur, Vice-Chancellor, Rajasthan University to consider the pattern and development needs of the K. S. Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya, Darbhanga, visited Darbhanga on January 21 and 22, 1968.

(b) The Committee held discussions with the authorities of the University and met a number of other people.

(c) The Committee did not hold any press conference or issue any press statement.

(d) and (e) The report of the Committee is awaited.

Hindi Medium in Delhi University

1700. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state† :

(a) whether it is a fact that a demand has been put forth by passing a resolution recently at the Delhi regional conference of the Communist Party of India that Hindi be made the medium of instruction in the Delhi University ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government propose to give advice to the Delhi University to this effect ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) No such resolution has been received in the Ministry of Education.

(b) to (d) Do not arise.

Appointments of defeated candidates in Elections

1701. **Shri N. S. Sharma :** **Shri Ram Gopal Shalwale ;**
Shri Sharda Nand : **Shri Kanwar Lal Gupta ;**
Shri R. S. Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of candidates who were defeated in the Fourth and Third General Elections appointed as Governors or Ambassadors or to serve on any other Government job and were paip salaries and allowances or were provided residential accommodation by Government ; and

(b) the number of persons among them belonging to the opposition and the Congrss Parties separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) The main consideration in making an appointment to the office of the Governor or any post under Government is the suitability of the individual for the particular office or post and defeat in the elections is not regarded as a disquali fication for such appointments. The rquired information is not available, and the time and labour involved in its collection would not be commensurate with the results achieved.

पर्यटन से आय

1702. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पर्यटन से 1967 में कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ख) यह आय 1966 की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और जल्दी ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी । प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 1966 के 22.61 करोड़ रूपयों से 10%-15% की वृद्धि हुई मालूम होती है ।

Alleged Abduction of Parmeshwari Handoo in Srinagar

1703. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any directions were issued to settle promptly the case of a Hindu girl, Parmeshwari Handoo, which resulted in distrubances in Kashmir sometime back ;

(b) if so, the present positition of the case ; and

(c) whether it is a fact that the atomoshere of tesion still prevails there due to this case ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidyacharan Shukla):

(a) and (b) Some time back representations were received from the Kashmir Hindu Action Committee Srinagar calling upon the Central Government to see that the confidence of the minority community in J and K was restored. The State Government have been themselves anxious to maintain and promote communal amity and to ensure that all sections of the people, especially the minorities, live with a feeling of complete security and confidence. Attention is invited to the reply given to unstarred question no. 480 in this House on 15th November, 1967. As the House is aware, the Central Government have appointed a Commission headed by Shri Justice Raghubar Dayal to enquire into the causes and courses of certain communal incidents and to recommend measures for preventing such disturbances. The Government of J & K have appointed a Commission with the same personnel and the same terms of reference to enquire into certain incidents of a communal nature which took place last year in the State.

(c) No, Sir.

Announcements at Airports and During Flight

1704. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civl Aviation** be pleased to state :

(a) whether Hindi and other Indian languages are still not preferred while making announcements at airports and during flights of the Indian Airlines Corporation ;

(b) whether the policy formulated by Government in this connection has undergone any change; and

(c) if not, the reasons for giving preference to English ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) The general practice is to make announcements on the aircraft first in Hindi and then in English. Announcements on the ground at Airports are made first in Hindi and then in English except in the Eastern and Southern Regions where announcements are made in the Regional languages in place of Hindi..

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Capital outlay on Airlines

1705. **Shri Mahraj Singh Bharati** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the capital outlay of Airlines in India and the amount of foreign exchange likely to be spent thereon during the current year ; and

(b) the number of passengers who travelled during the last three years and the estimated profit thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) The estimated capital expenditure of the two Air Corporations during 1967-68 and the foreign exchange content thereof are as follows :

	Capital outlay	Foreign exchange content
	(Rupees in lakhs)	
Air-India	859.65	549.61
Indian Airlines ..	1,177.48	457.95

(b) (i) The number of passengers who travelled during the last three years were as follows :-

	1964-65	1965-66	1966-67
Air-India ..	237,996	218,458	254,736
Indian Airlines ..	1,235,310	1,205,110	1,409,503

(ii) The Corporations showed net profits/loss during the last three years as follows :

	1964-65	1965-66	1966-67
		(Rupees in lakhs)	
Air-India	+304.15	+163.56	+389.15
Indian Airlines	+133.01	+32.33	—423.50 (loss)

भारत और सिंगापुर के बीच विमान सम्बन्धी वार्ता

1706. **श्री अंबचेजियान** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर के बीच ऐसा कोई समझौता हुआ है जिससे इन देशों की राष्ट्रीय विमान सेवाओं के विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ान कर सकेंगे ;

(ख) क्या ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इसके कबसे लागू होने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) भारत सरकार और सिंगापुर गणराज्य को सरकार के बीच विमान सेवाओं के संबंध में एक करार पर सिंगापुर में 23 जनवरी, 1968 को हस्ताक्षर हुए ।

(ग) इस करार के अनुसार (i) भारत सरकार द्वारा नामजद हवाई कम्पनी सिंगापुर को/से हो कर विमान सेवाएं चलायेगी और (ii) सिंगापुर सरकार द्वारा नामजद हवाई कम्पनी भारत को/से हो कर विमान सेवाएं चलायेगी ।

(घ) जैसे ही प्रत्येक सरकार एक दूसरे को अपनी-अपनी सांविधिक क्रिया-विधियों के अनुसार करार का अनुसमर्थन कर के अधिसूचित कर देगी, करार औपचारिक रूप से लागू हो जायेगा । लेकिन, एयर इंडिया परस्पर सम्मत प्रबंधों के अनुसार पहले से ही सिंगापुर से हो कर विमान सेवाएं चला रहा है ।

भारत मंगोलिया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

1707. **श्री अंबचेजियान :** **श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और मंगोलिया के बीच स्थायी आधार पर द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के बारे में दोनों देशों में समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस समझौते की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ । 1967-69 के लिए एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार किया गया है और उस पर हस्ताक्षार कर दिये गये हैं ।

(ख) 1967–69 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम में पुरातत्व, संग्रहालयों, कला तथा संस्कृति, रेडियो तथा टेलीविजन और खेल, संगीतज्ञों, कलाकारों तथा लेखकों का एक दूसरे देश में दौरा, राष्ट्रीय संग्रहालयों और राष्ट्रीय पुस्तकालयों में प्रकाशन विनिमय, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अभिरुचि के रेडियो कार्यक्रमों और संगीत के रिकार्डों का विनिमय रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में व्यक्तियों और प्रतिनिधिमण्डलों का विनिमय तथा खेल-टीमों का विनिमय शामिल है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान-चालकों की भर्ती

1708. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने हाल ही में कितने विमान-चालक नियुक्त किये हैं और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अब तक कितने घण्टे उड़ाने की हुई हैं और प्रत्येक विमान-चालक का वेतन-क्रम तथा सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ख) ये नियुक्तियाँ किस आधार पर की गई हैं—उनके उड़ान के अनुभव के आधार पर या अन्यथा ;

(ग) क्या यह सच है कि 12 उम्मीदवारों को जिन्होंने मुश्किल से 200 घण्टे तक उड़ानें भरी थीं, नियुक्त कर लिया गया है जब कि 4 उम्मीदवारों को जो 900 से 2000 घण्टे तक उड़ानें भर चुके हैं, अस्वीकार कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 1967 में कोई विमान-चालक भर्ती नहीं किये। कारपोरेशन ने विमान-चालकों के चुनाव के लिए 25 जनवरी, 1968 को एक 'इन्टरव्यू' किया जिसमें 43 उम्मीदवार बुलाए गये थे। चुनाव का अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ;

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एयर इंडियन की विमान-सेवाएं

1709. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत वर्ष एयर इंडिया के विमानों में भारतीय और विदेशी कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की और उनसे कितना किराया वसूल हुआ ;

(ख) भारत और विदेशों के 20 बड़े अधिकृत यात्रा अभिकर्ताओं के नाम क्या हैं, प्रत्येक को कितने प्रतिशत कमीशन दिया गया और प्रत्येक के माध्यम से कितने-कितने मूल्य के टिकट बेचे गये और गत वर्ष प्रत्येक का कमीशन कितना था ;

(ग) पिछले वर्ष 20 बड़े यात्रा अभिकर्ताओं से कितनी राशि वसूलनी बकाया है और उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) पिछले वर्ष यात्रा अभिकर्ताओं से वसूल न होने योग्य कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई, उन यात्रा अधिकर्ताओं के क्या नाम हैं और प्रत्येक से कितनी-कितनी राशि वसूल करनी बकाया थी ; और

(ङ) उन यात्रा अभिकर्ताओं के नाम क्या हैं, जिनके द्वारा राशि न दिये जाने के बावजूद उनको यह काम जारी रखने की अनुमति है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गौहाटी में बमों का बरामद किया जाना

1710. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक व्यक्ति के पास से, जब वह गोहाटी में शनिवार, 16 दिसम्बर, 1967 को या उसके आसपास एक रिक्शा में चढ़ रहा था, पचास अत्यन्त विस्फोटक गैलेटिन बम बरामद किये गये ;

(ख) उस व्यक्ति का संबंध किस राजनीतिक दल से था ; और

(ग) उसके तथा रिक्शा-चालक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 16 दिसम्बर, 1967 को गोहाटी में एक रिक्शा में जाते हुए एक व्यक्ति के कब्जे से 181 गैलेटिन स्टिकें बरामद की गई ।

(ख) अब तक असम सरकार द्वारा की गई जाँचों से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि उसका सम्बन्ध किसी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल से था ।

(ग) उसे गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है तथा जाँच की जा रही है । रिक्शा खींचने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ,क्योंकि उपर्युक्त मामले में वह एक गवाह है ।

'सरदार सेन जुसी' संगठन

1711 **श्री एस्थोस :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि शिव सेना के ढंग का 'सरदार सेन जुसी' नामक एक संगठन गुजरात में बनाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संगठन के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं ; और

(ग) इस संगठन की गतिविधियों को दबाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) अहमदाबाद नगर के छात्र नेताओं ने सरदार सेना नामक एक संगठन बनाया है ?

(ख) इस संगठन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार बताये गये हैं :—

(i) गुजरात के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें बनाए रखना और

(ii) उद्योगों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग द्वारा गुजराती युवकों के लिये रोजगार के मार्ग उन्नत करना ।

(ग) राज्य सरकार कड़ी निगरानी रख रही है ।

सिलीगुड़ी विश्वविद्यालय में घटनाएं

1712. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले वर्ष उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुड़ी, में हुई घटनाओं के बारे में पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है ; और

(ख) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार ने उन दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने उस मौके पर अहाते में हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने से जानबूझ कर इन्कार कर दिया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय में अराजकता की गतिविधियों को दबाने के लिये पुलिस ने तमाम आवश्यक कदम उठाये और इस प्रकार दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तरी बंगाल में अत्यावश्यक सेवाओं में वामपंथी साम्यवादियों तथा उग्रपंथियों का घुसना

1713. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल में पुलिस, टेलीफोन आदि अत्यावश्यक सेवाओं में वामपंथी साम्यवादियों और उग्रपंथियों के घुस जाने के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये समुचित कार्यवाही की है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी तत्व तोड़फोड़ की कार्यवाही न करने पाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) तथा (ख) राज्य सरकार से तथ्यों की पुछताछ की जा रही है ।

दिल्ली के मुअत्तिल पुलिस कर्मचारी

1714. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री अब्राहम :**
श्री नम्बियार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने पिछले वर्ष हुए आन्दोलन के संबंध में मुअत्तिल किये गये पुलिस कर्मचारियों को पदोन्नति की परीक्षा में बैठने के लिये अनुमति दिये जाने के लिये सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के अध्यापकों में अनुसूचित जातियों के लोग

1716. **श्री राम चरण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अधीन अध्यापकों के पदों पर अनुसूचित जातियों के बहुत कम लोग काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पदों पर अनुसूचित जातियों के अधिक लोगों को नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हाँ, प्रतिनिधित्व समुचित नहीं है ।

(ख) (i) संरक्षित खाली स्थानों पर नियुक्ति के लिये, रोजगार कार्यालयों से अनुसूचित जाति के उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों को भेजने के लिये अनुरोध किया जाता है ।

(ii) उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने पर, खाली स्थानों के लिये प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है ।

(iii) समाज की विख्यात संस्थाओं / संगठनों से भी उपयुक्त उम्मीदवार भेजने के लिये पत्र-व्यवहार किया जाता है ।

साम्प्रदायिक दंगे

1717. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री मोहसिन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के कुछ महीनों में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन दंगों के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने तथा उन्हें दण्ड दिलाने के लिये कोई जाँच की है ; और

(ग) क्या साम्प्रदायिक सदभावना बनाये रखने के लिये कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से सभी राजनैतिक और धार्मिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) पहली अगस्त 1967 के पश्चात् हुये कुछ प्रमुख साम्प्रदायिक दंगो की जाँच करने के लिये एक सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग की नियुक्ति की गई है । संबंधित राज्य सरकारों ने भी आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाहियां जैसे रोकथाम के उपाय, मामलों का रजिस्ट्रेशन और जाँच-पड़ताल इत्यादि की है ।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनः स्थापित करने का निश्चय किया गया है, आशा की जाती है कि वह साम्प्रदायिकता तथा भाषा पर विचार करेगी और सरकार को सिफारिशें भेजेगी ।

Return of Presidential Awards

1718. **Shri Sitaram Kesri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons who have returned the award conferred on them by the President ; and

(b) the reaction of Government to the return of awards by citizens honoured by the President ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)

(a) Six.

(b) Government regret that the persons concerned should have decided to give up the awards made to them in recognition of the distinguished services to Hindi.

भारतीय खिलाड़ियों के खेल का स्तर

1719. **श्री सीताराम केसरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाकी सहित विभिन्न प्रकार के खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के खेल का स्तर हाल के वर्षों में उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस गिरावट के कारणों की जाँच की है और उनके स्तर को ऊँचा उठाने के लिये कोई योजनायें तैयार की हैं,

(ग) क्या विदेश जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की टीमें देश के सम्मान को बनाये रखने में असफल रही हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो क्या स्तर में सुधार होने तक कुछ वर्षों के लिये भारतीय टीमों के विदेश जाने पर नियंत्रण लागू करने का सरकार विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी नहीं। समग्र रूप से यह कहना ठीक नहीं होगा कि विभिन्न खेलों मे भारतीय खिलाड़ियों के खेल का स्तर हाल के वर्षों में उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है। पिछले ओलिम्पिक और एशियाई खेलों के परिणामस्वरूप, भारत स समय सर्वोपरि विश्व और एशियाई हाकी चैम्पियन है।

(ख) राष्ट्रीय खेल संघ विभिन्न खेलों के स्तर को ऊँचा करने के लिए योजनाएँ बनाते हैं। वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाओं के लिए इन निकायों से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय खेल परिषद् के परामर्श से सम्यक रूप से विचार दिया जाता है।

(ग) वे आशा के अनुरूप नहीं हैं।

(घ) भारतीय टीमों को विदेश भेजने के प्रत्येक प्रस्ताव की, सरकार द्वारा भली-भांति जाँच की जाती रही है। सरकार का ऐसा विचार है कि टीमों को विदेश जाने के स्थान पर देश में ही रह कर अपने आपको सुदृढ़ करना चाहिए और अपना-अपना स्तर ऊँचा करना चाहिए।

भारतीय पर्यटन विकास निगम

1721. **श्री जुगल मंडल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम में निदेशक बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों के मामले में कोई परिवर्तन किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) निदेशक का मौजूदा बोर्ड एक वर्ष की अवधि के लिए 1-10-1967 से स्थापित किया गया इस बोर्ड के कार्यकाल के दौरान कोई तबदीली करने का विचार नहीं है।

सरकार प्रबंध निदेशक के पद पर काम करने वाले व्यक्ति को स्वयं उसके अनुरोध पर सेवा मुक्त करने के लिये रजामन्द हो गयी है। उसके उत्तरवर्ती (सक्सेसर) के जल्दी ही नियुक्त किये जाने की आशा है। कारपोरेशन के वित्तीय सलाकार का पद, जो रिक्त था, 1 फरवरी, 1968 से भर दिया गया है। कारपोरेशन में अन्य सभी नियुक्तियां स्वयं कारपोरेशन द्वारा की जाती हैं, सरकार द्वारा नहीं।

National Highway Connecting Mohonia to Arrah City in Shahabad District

1722. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for the construction of a National Highway from Mohonia to Arrah City via Vikramganj road on G. T. Road in District Shahabad ; and

(b) if so, when the work is likely to be taken up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b) Yes, Sir. Sanction has been given to the acquisition of land for the construction of two sections on the permanent alignment of the road via Dinara, Karsar and Anait to Arrah. The question of land acquisition for the third section is under consideration. The construction work may take some more time on account of the prevailing financial stringency.

मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल एण्ड कम्पनी लिमिटेड

1723. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने मेसर्स अमीचन्द प्यारे लाल एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के विरुद्ध कोई मामला दायर किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस तिथि को और विधि के किन उपबन्धों के अन्तर्गत दायर किया गया है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हां।

(ख) चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता, के न्यायालय में धारा 120 बी / 420, 420 आई० पी० सी० और विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 23 के अन्तर्गत 16-12-67 को चार्जशीट पेश कर दी गयी है।

(ग) अभियुक्त पर कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों को धोखा देने, डुप्लीकेट कागज पर सीमा शुल्क क्लेरेंस परमिट लोहा और इस्पात नियंत्रक से प्राप्त करने और विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के विरुद्ध भाड़ा प्रभार विदेशी मुद्रा में चुकाने के लिए मुकदमा दायर किया गया है।

Smugglers on Indo-Pak. Border

1724. **Shri Y. S. Kushwah :** **Shri Shiv Kumar Shsatri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian smuggler was killed in an armed clash with the Indian Border Security Police party near Bharopal border post on the 22nd January, 1968 and his accomplice escaped into Pakistan territory ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps taken by Government to check such smuggling cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) No such incident took place on 22-1-1968. However, some smugglers going from India to Pakistan from the border village of Bharopal were intercepted by a Border Security Force party at 7.00 p.m. on 21-1- 1968. In the exchange of fire which followed, one Indian smgguler was shot dead. The others managed to escape to Pakistan under cover of darkness and high shrubbery.

(c) Intensive patrolling is carried on to check the actitivies of smugglers.

Road accidents in Delhi

1725. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of accidents in Delhi has increased manifold consequent upon permitting the private buses to ply on the D.T.U. routes ;

(b) if so, the action taken to prevent the occurrence of the accidents ;

(c) the number of accidents that took place since the private buses were permitted to ply and the number of persons killed or injured in the accidents ;

(d) the number of cases in which compensation has not been paid to the dependents of the person killed or injured ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c), (d) and (e) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Republic Day Celebrations, 1968

1726. **Shri Y. S. Kushwah :** **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons killed and injured during the 26th January, 1968 celebrations ;

(b) whether some children had also been reported missing on that day who are yet to be traced ; and

(c) if so, the number thereof and the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a), (b) and (c) According to information available with Delhi Police no one was killed or injured. 51 boys and girls were reported missing on that day and all of them were restored to their guardians. The Missing Persons Squad of the Crime Branch (Delhi Police) had, as usual, set up booths at different places on that day to deal with such cases.

Visakhapatnam Shipyard

†1727. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of ships being built in the Visakhapatnam Shipyard is much less than the target ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken for the development of Idian Shipping and ship-building in the country ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) and (b) No Sir. With the existing facilities, the Shipyard is capable of constructing 2½ to 3 ships per year of 12,500 DWT each. During this year, the target of 3 ships will be reached.

(c) In order to increase the capacity of the yard for building four ships in 1968-69, Government have approved proposals at an estimated cost of Rs.54 lakhs for the acquisition of some urgently needed items of machinery and equipment. These would improve the handling facilities at Hull Shops and the cranage facilities at the berths. Further proposals estimated to cost Rs.82 lakhs for the development of the Yard are also under consideration of the Government.

Government have also approved recently the Cochin Shipyard Project for building vessels of 66,000 DWT class.

Measures taken or proposed to be taken for increasing the Indian shipping tonnage include grant of loans at concessional rates of interest from the shipping Development Fund securing credit facilities from foreign countries for acquisition of ships on deferred payment terms.

Historical Research

†1728. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri P. Gopalan :**
Shri Umanath : **Sri K.N. Abraham :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by 228 delegates of the Indian History Congress in which they have made an allegation that there is foreign interference and pressure in the field of historical research ;

(b) whether they have also made an allegation with the distribution of money by certain organizations to obtain secret information for foreign countries; and

(c) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State for Education P. R. (Shri Sher Singh):

(a) , (b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

हैदराबाद के निज़ाम को केन्द्र का प्रमाण पत्र

1729. **श्री रवि राय :** **श्री वे० कु० दासचौधरी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायाल ने केन्द्र द्वारा हैदराबाद के वर्तमान निजाम को दिया गया उसके पितामाह की विशाल धन-सम्पत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा वर्तमान निजाम को भूतपूर्व निज़ाम द्वारा हैदराबाद के शासक के रूप में धारण की गई सम्पूर्ण वैयक्तिक सम्पत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी होने का प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

नौवहन टनभार

1730. **श्री रवि राय :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी क्षेत्र कितने नौवहन टनभार का मालिक है;

(ख) चौथी योजनावधि में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का विचार है; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में विकास की दर सन्तोषजनक है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) (१) शिपिंग कारपोरेशन आफ इडिया लि० बम्बई...417479 जी० आर० टी०

(2) मोगल लाइन्स लि० बम्बई ...42368 " " "

जोड़ : 459848 " " "

(ख) चूंकि चतुर्थ योजना को आन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी आशा है कि शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया मार्च 1971 तक 1 मिलियन जी० आर० टी० की सीमा पार कर लेगा।

(ग) जी हाँ।

पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद

1731. **श्री रवि राय** **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से पाठ्य पुस्तकों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिये योजनाएँ प्रस्तुत करने को कहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राज्य सरकारों ने ये योजनाएँ भेजी हैं और कितनी सरकारों ने अभी तक ये योजनाएँ नहीं भेजी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अनुवाद करने के लिये राज्य सरकारों को कितना धन दिया जायगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):

(क) जी हाँ । राज्य सरकारों से प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों के निर्माण तथा अनुवाद से सम्बधित अपनी-अपनी योजना भेजने के लिए कहा गया है ।

(ख) अब तक केवल एक राज्य सरकार ने अपना प्रस्ताव भेजा है ।

(ग) इसका निर्णय, राज्यों के प्रस्ताव प्राप्त होने और उनकी जाँच करने के बाद किया जा सकता है ।

कालीकट तथा एरणाकुलम में विश्वविद्यालय

1732. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प० गोपालन :

क्या शिक्षा मंत्री 20 दिसम्बर, 1967 के आतारांकित प्रश्न संख्या 5129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट तथा एरणाकुलम् में विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) और (ख) : प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है ।

मंगलौर पत्तन

1733. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 15 नवम्बर, 1967 के आतरांकित प्रश्न संख्या 485 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 तक मंगलौर बन्दरगाह को पूरा करने के प्राक्कलन इस बीच मंजूर कर लिये गये हैं और धन नियत कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1968 से 1971 तक के लिये प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितनी धनराशि मंजूर की गई है और क्या यह पर्याप्त है; और

(ग) लौह अयस्क के निर्यात में स्थायित्व लाने के लिये कोट्टूर-हरिहर रेलवे लाइन और हसन-मंगलौर रेलवे के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) और (ख) 24.30 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर मंगलौर में सब ऋतुओं में काम आने योग्य बड़े पत्तन का निर्माण मंजूर हो चुका है । परियोजना के कार्यान्वित करने के लिये धन की व्यवस्था वार्षिक योजनायें बनाने के समय साधन स्थिति का विचार रखते हुये वर्ष

प्रतिवर्ष आधार पर निश्चित की जायेगी। इस कारण अभी यह सूचित करना सम्भव नहीं है कि चतुर्थ योजनाकाल में वर्ष प्रति वर्ष पर कितनी धन राशि उपलब्ध की जायेगी।

(ग) फिलहाल धातुक को ले जाने के लिय कोट्टुर-हरिहर रेल-लिंक के निर्माण का विचार नहीं किया जा रहा है।

23.73 करोड़ रुपये की लागत का मंगलौर-हसन रेल-लिंक का निर्माण अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है। मौजूदा मंगलौर स्टेशन से नये मंगलौर पत्तन (26 कि० मी०) तक की बड़ी लाइन-लिंक के 1968 के मध्य तक तैयार हो जाने की आशा हैं इस भाग पर दिसम्बर 1967 के अन्त तक सब मिला कर 63.5 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है हसन से मंगलौर पत्तन तक छोटी लाइन-लिंक पर कार्य मंगलौर पत्तन परियोजना की पूर्ति से समकाल किया जा रहा है दिसम्बर, 1967 के अन्त तक 22 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में बम विस्फोट

1734. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 30 जनवरी, 1968 को दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक बम-विस्फोट हुआ था ?

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) सरकार अथवा विश्वविद्यालय अधिकारियों ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में पुलिस की बर्बरता

1736. **श्री ल० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में की गई पुलिस का बर्बरता की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया गया है ;

(ख) यदि हाँ तो किसी केन्द्रीय अभिकरण ने इसके बारे में जाँच पड़ताल की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) बंगाल में तथाकथिक पुलिस-ज्यादतियों की कुछ शिकायतें सरकार द्वारा प्राप्त हुई थीं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) लोक-व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होने के कारण शिकायत उनके ध्यान में लाई गई थी। पुलिस-ज्यादतियों को उन्होंने नहीं माना है।

रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के कर्मचारी

1737. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के सभी कर्मचारियों को अन्यत्र रोजगार पर लगा दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों के लिये अब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) उन्हें अन्यत्र रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) जी नहीं ।

(ख) उसके समाप्त किये जाने से पूर्व नदी वाष्प नौवहन कम्पनी के लगभग 8170 कर्मचारियों में से लगभग 5064 व्यक्ति अभी तक, केन्द्रीय अन्तर्देशी जल परिवहन निगम और विभिन्न गैरसरकारी और सरकारी क्षेत्रों की संस्थानों में सरकार और उसके एजेंटों की सहायता से नियुक्त दिये जा चुके है ।

(ग) नदी वाष्प नौवहन कम्पनी के अधिशेष कर्मचारियों के लिये फिर से रोजगार अवसर पाने के लिये अवसर खोजने के लिये कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई है । संतत आधार पर अधिशेष आदमियों के पुनस्थापन के लिये शिलांग और कलकत्ता में श्रमरोजगार अधिकारी तैनात किये गये है । पब्लिक इन्टरपाइज के ब्यूरो ने समस्त सरकारी क्षेत्र संस्थानों को सूचित कर दिया है कि अधिशेष व्यक्तियों को खपा लिया जाये, जहाँ तक हो सके, तरजीही आधार पर, यदि वे अन्यथा उपयुक्त हों तो जहाँ कही रिक्त स्थान हो या भाविष्य में होने वाली हो। केन्द्रीय अन्तर्देशी जल परिवहन निगम ने भी बेकार व्यक्यिों से जब कभी उन्हें कोई रिक्त स्थान की सूचना मिले प्रतिवेदन भेज देने को कहा है। श्रम रोजगार और पुर्नस्थापन मंत्रालय ने सम्बन्धित लोगों को आदेश दे दिये हैं कि अधिशेष व्यक्तियों को पंजीकृत किया जाये और हर तरह की नौकरी की सहायता दी जाये ।

शिक्षकों के लिये त्रिलाभ योजना

1738 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य ने शिक्षकों के लिये त्रिलाभ योजना को क्रियान्वित कर दिया है ; और

(क) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस योजना का क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) अधिकांश राज्य इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही कदम उठा चुके हैं। कुछ राज्य इस मामले पर अभी विचार कर रहे हैं, जब कि अन्य विभिन्न कारणों से इस कार्यान्वित करने के लिए विचार नहीं रखते हैं, इसमें निम्न कारण शामिल हैं :—

(i) वित्तीय खर्च।

(ii) सहायताप्राप्त स्कूलों का भार उठाने की सम्भावना।

(iii) सहायताप्राप्त स्कूलों की संख्या की कमी।

(ग) त्रिनाभ योजना को 'शिक्षकों के वेतन-सुधार' की राज्य क्षेत्र योजना के भाग के रूप में माना गया था, जिसके लिए तीसरा आयोजना के अन्त तक कुल व्यय के 50 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके बाद इस योजना के लिए—यदि आयोजना में राज्य द्वारा शामिल की गई हों—उस पर होने वाले कुल व्यय का 40 प्रतिशत है। फिर भी, चूंकि राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता पूर्ण विकास के शीर्षक के लिए दी जाती है, और अलग-अलग प्रत्येक योजना के लिए नहीं, इसलिए यह सम्भव नहीं है कि इस विशेष योजना के क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली राशि प्रकट की जाए।

पुराने जलयानों की खरीद

1739. **श्री दोवीकन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालयों ने उन विकासशील देशों को, जिनके पास धन की कमी है, यह सुझाव दिया है कि वे नये जलयानों के स्थान पर अच्छे पुराने जलयान खरीदें;

(ख) क्या भारत ने इस सुझाव पर विचार किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में पुराने जलयान खरीदने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो किस देश से ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास समेलन से सचिवालय ने विकासशील देशों के व्यापारिक जहाजों के विस्तार या सिबंदी पर अपनी एक प्रारम्भिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि पुराने जहाज खरीदने से पूंजीगत लागत कम की जा सकती है। पुराने जहाजों को खरीदना आर्थिक दृष्टि से उत्तम है कि नहीं यह इन बातों पर निर्भर करता है—उन्हें किस प्रकार प्रयुक्त किया जाये, खरीद-ऋण पर किस दर से ब्याज लिया जाता है, देश में मरम्मत की पर्याप्त सुविधाओं, जहाजों की बाजार कीमत और कई अन्य बातों पर।

(ख) से (घ) जैसा कि स्वयं प्रतिवेदन में बताया गया है पुराने जहाजों को खरीदने के आर्थिक लाभ कई बातों पर निर्भर करते हैं। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, हमारा यह मत है कि बड़े टैंकर और बड़े माल वाहक पुराने जहाज उपयुक्त न होंगे। तटीय व्यापार के लिये भारत पहले ही जहाज खरीदता रहा है। ऐसा कोई विशिष्ट देश नहीं है जिससे ये जहाज खरीदे गये हैं। जहाज के मालिक अपनी आवश्यकता के पुराने जहाजों का संसार के किसी भी भाग में पता लगा लेते हैं।

भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था

1740. **श्री नायनार :** **श्री उमानाथ :**

श्री भगवान दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था का समस्त एशिया व्यय फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है जिसे सी० आई० ए० से धन प्राप्त होता है ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था के कामकाज की जाँच की है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) सरकार से निष्कासन प्राप्त करने के पश्चात् संस्थान के कुछ विशिष्ट परियोजनाओं को एशिया फांउडेशन द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। यह कहना सही नहीं है कि संस्थान को केवल फांउडेशन द्वारा ही धन दिया गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Pay Scales of Teachers

†1741. **Shri Madhu Limaye :** Will the Miniser of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Universities/Colleges which have revised the pay scales of their teachers in accordance with the recommendations of the University Grants Commission ;

(b) the progress made in this connection during the past six months ; and

(c) the steps Government propose to take for the implementation of the new suggestion made in this connection ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) Besides the four Central Universities, the Governments of Assam, West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Madras, Kerala, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana and Jammu and Kashmir and the Union Territory of Pondicherry have so far issued orders revising the pay scales of University/College teachers in their States in accordance with the recommendations of the University Grants Commission.

(b) During this period, orders revising the pay scales of University /College teachers were issued by the Governments of U. P., Haryana, Maharashtra and Gujarat. Also, proposals were received during the period from the Governments of Bihar and Mysore and the Union Territory of Goa, Damand and Diu. These are under consideration of the Central Government.

(c) The suggestions and modifications made by the State Governments are given due consideration within the frame work of the scheme of the revised salary scales.

Quit Orders on Foreign Missionaries and Planters

1742. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 549 on the 15h November, 1967 and state :

(a) whether any other foreign missionary or planter in North-Eastern India has been served with orders to leave the country since the 15th November, 1967 ;

(b) if so, the particulars thereof ;

(c) whether Government propose to expel all the foreign missionaries from North-Eastern India; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :(a) and (b) A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library, See. No. L. T. 207/68]**

(c) and (d) No, Sir. Government's policy is that foreign missionaries should be progressively replaced by Indian missionaries.The Government do not propose and seeno reasons to issuel orders of expulsion except where a foreign missionary is found indulging in activities prejudicai to national interests.

English as Optional Subject

1743. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of States which have declared English as optional subject at the Secondary School Certificate stage and in Universities ; and

(b) the reaction of the Central Govrnment thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) According to information available with the Ministry, two States, viz., Bihar and Uttar Pradehs have so far decided to make English an optional subject at the Secondary stage.

Information regarding Universities is not available.

(b) The matter is primarily the concern of the State Governments/Universities.

स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास

1744. **श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखवाने पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और कितने खण्ड प्रकाशित हुए है और इनका मूल्य कितना है ;

(ख) उन पर इतिहासकारों तथा सामान्य पाठकों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये इस समय प्रति मास सिब्बंदी तथा अन्य मदों पर कितना व्यय किया जा रहा है तथा इस कार्य पर कितनी और लागत आयेगी और इसके पूरा होने में कितना समय और लगने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क), (ख) और (ग) स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास तीन खंडों का होगा जिनमें अंग्रेजी के दो खंड अब तक प्रकाशित हो चुके है । इतिहास का तीसरा और अंतिम खंड, जिसको तैयार करने का काम इस समय हाथ में है, दिसम्बर, 1969 तक पूरा होने की आशा है । पहले खंड का हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है और दूसरे खंड का हिन्दी संस्करण तैयार हो रहा है ।

1953 से अब तक स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास तैयार करने पर 9.22 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस रकम में अब तक प्रकाशित खंडों, जिनमें खंड–1 (अंग्रेजी) का पुनर्मुद्रण भी शामिल है, के मुद्रण और प्रकाशन का 93,000 रुपये की व्यय सम्मिलित नहीं है ।

जनता और इतिहासकारों की प्रतिक्रिया प्रायः अनुकूल रही है जिसका निर्णय इस तथ्य पर आधारित है कि पहले खंड की सभी प्रतियां बिक गई और उसका दूसरा संस्करण निकालना पड़ा । दूसरे खंड के संबंध में जनता और इतिहासकारों की सामान्य प्रतिक्रिया का निर्धारण करने में अभी समय लगेगा ।

सिब्बन्दी पर औसत खर्च 5,000 रुपये मास रहा है । अनुमान है कि इस दर से दिसम्बर, 1969 तक जब कि प्रायोजना के पूर्ण होने की आशा है 1.05 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय सिब्बन्दी पर करना होगा । अंग्रेजी के तीसरे खंड और हिन्दी संस्करण के दूसरे और तीसरे खंड के मुद्रण और प्रकाशन की लागत के आंकड़ अभी तैयार नहीं किए गए हैं ।

भीड़ के समय दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा

1745. **श्री अदिचन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यात्रियों की अधिक भीड़ के समय दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों में से 5 नये पैसे अधिक लेने का दिल्ली परिवहन उपक्रम का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिये दिल्ली परिवहन उपक्रम ने क्या कारण बताये हैं ?

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने 5 पैसे प्रति टिकट के अधिभार से इक्सप्रेस सेवायें चलाने का दिल्ली परिवहन संस्थान का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है ।

(ख) ऐसा कहा जाता है कि यह कार्यवाही मुख्यतः भीड़ के समय में यात्रियों के लिये परिवहन के तीव्रतर माध्यम की व्यवस्था करने के लिये की गई है ।

(ग) जी नहीं । दिल्ली नगर निगम प्रस्ताव को मंजूर करने के लिये सक्षम है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मिजो विद्रोहियों द्वारा पाकिस्तान से चोरी-छिपे लाये गये शस्त्रास्त्र

1746. **श्री गु० सिं० ढिल्लों** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मिजो विद्रोहियों को पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शस्त्रास्त्र लाते समय कई बार देखा गया था ;

(ख) क्या दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में इन शस्त्रास्त्रों को लाने वाला विद्रोहियों का एक बड़ा गिरोह एजल-लुंगलेह रोड पार करके बर्मा की सीमा की ओर गया था ; और

(ग) इन विद्रोहियों और हमारी सीमा सुरक्षा सेना के बीच कितनी बार मुठभेड़ हुई तथा दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में कितने विद्रोही मारे गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) ऐसी सूचना मिली है कि हाल के महीनों में कुछ मिजो उपद्रवी पूर्वी पाकिस्तान से लौटे हैं जिनमें से कुछ के पास शस्त्र थे ।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) इन महीनों में, सुरक्षा दल और लौटते हुए गिरोहों के बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी । फिर भी इस अवधि में मिजो पहाड़ी जिलों के विभिन्न भागों में 41 मुठभेड़ें हुई जिनमें 34 मिजो विद्रोही मारे गये ।

Pro-Pak Slogans Raised in Ratlam

1747. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the reports in the newspapers that a procession of 5,000 Mohammedans raised slogans of "Pakistan Zindabad", "Narac-Tak-bir", "Pak ka Kashmir" etc. in Ratlam on the day of Id ;

(b) whether it is also a fact that the procession was led by a former leader of Congress and Chairman of the Municipal Committee ;

(c) whether the Central Government have also called for any information from the State Government in regard therto ; and

(d) if so, the details thereof and the action taken by Government in regard thereto ?

TheMinister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) , (b), (c) and (d) : The informatin is being collected and will be laid on the table oft he house.

चंडीगढ़ प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों के लिये मंहगाई-भत्ता

1748. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा के लिये नियत किये गये चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को उसी दर पर मंहगाई-भत्ता नहीं दिया जाता, जिस दर पर पंजाब

के लिये नियत किये गये चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को मंहगाई-भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस विषमता के क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि एक ही सरकार के कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव या असमानता नहीं होनी चाहिये ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) तथा (ख) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी जो पंजाब तथा हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर हैं, केन्द्रीय दरों पर मंहगाई-भत्ता प्राप्त कर रहे हैं । अन्तर केवल यह है कि उन कर्मचारियों पर मंहगाई-भत्ते की बढ़ी दरें उस दिन से लागू होती हैं जिस दिन से वे मूल सरकारों द्वारा स्वीकृत की गई हैं ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान् ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

चंडीगढ़ के लिये बसें

1749. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने अधिक बसें चलाने के लिये धन की माँग की है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की माँग की गई है ; और

(ग) कब तक धनराशि की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क), (ख) और (ग) चंडीगढ़ प्रशासन ने 1967-68 में 8 बसें खरीदने के लिए 4.80 लाख रुपये और 1968-69 में 18 बसें खरीदने के लिए 9 लाख रुपये की माँग की थी । 1968-69 के बजट अनुमानों में 4 बसों की खरीद के लिए 2.50 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

मद्रास पत्तन

1750. **श्री काशीनाथ पाण्डे** :
श्री अंबुचेजियान :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सम्बन्धन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन की क्षमता को 20 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 लाख मीट्रिक टन करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (ड० वी० के० आर० वी० राव) : (क) संभवत:

माननीय सदस्य के विचार में लौह धातुक की धरा-उठाई के लिये मद्रास पत्तन की क्षमता है । वर्तमान समय में इस पत्तन में लौह धातुक की 2 मिलियन वार्षिक धरा-उठाई होती है । मौजूदा घाटों में कुछ सुधारों के हो जाने से क्षमता बढ़कर 2.5 मिलियन वार्षिक हो जायेगी । एक आधुनिक यान्त्रिक धातुक लादन संयंत्र के लगाये जाने का प्रस्ताव है जो नये आउटर पत्तन में जो निर्माणाधीन है, लगभग 5 मिलियन टन वार्षिक धरा-उठाई करने में सक्षम होगा ।

(ख) मद्रास पत्तन में नई यांत्रिक धातुक धरा-उठाई सुविधाओं की व्यवस्था करने मे लगभग 9.85 करोड़ रुपये की लागत प्राक्कलित की जाती है ।

गांधी हत्या ड्यंत्र जांच आयोग

1751. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी हत्या षडयंत्र आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह जाँच कब तक पूरी हो जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ऐसी आशा है कि आयोग मार्च के अन्त तक अपना काम पूरा कर देगा ।

तेलवाहक जहाज और भारी माल के जहाज

1752. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक तेलवाहक जहाज और भारी माल के जहाज प्राप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किस देश से ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस प्रकार के पोतों की प्राप्ति के लिए अन्तिम स्वीकृति जुलाई 1967 में दो तेलवाहकों के लिये और नवम्बर, 1967 में 3 खुला माल-वाहकों के लिये जारी की गई थी । उसके बाद से अभी तक इस प्रकार के पोतों के लिये कोई मंजूरी जारी नहीं की गई है किन्तु सरकार की नीति तेलवाहकों और माल-वाहकों की प्राप्ति करने पर जोर देने की है । फिर भी अन्य प्रकार के पोतों की प्राप्ति के विपरीत कोई रोक नहीं है ।

(ख) उपरोक्त सन्दर्भित सभी पोत यूगोस्लाविया से खरीदे गये थे । आगे के लिये और पोत लेने के बारे में यह ठीक-ठीक कहना संभव नहीं है कि किन देशों को उनके क्रय-आदेश दिये जायेंगे किन्तु आशा है कि कुछ भविष्य क्रय-आदेश यूगोस्लाविया में जा सकते हैं ।

रिंग रोड, दिल्ली

1753. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रिंग रोड पर, जहाँ खूब यातायात रहता है, पिछले लगभग दस वर्षों से रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या उन स्थानों पर जहाँ खम्बे खड़े कर दिये गये हैं, तथा केवल डाल दिये गये हैं, कनेक्शन अभी नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो रिंग रोड़ विशेष कर उसके धौला कुंआ से लाजपतनगर तक के टुकड़े पर बिजली की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा ?

परिवहन तथा नौवहन उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) रिंग रोड जो कई राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के लिये दिल्ली की उप-मार्ग के रूप में सेवा करती है अधिकांशतः सीधा यातायात ले जाती है। राष्ट्रीय मुख्य-मार्गों तथा उप-मार्गों में गाड़ियाँ रात में अपनी स्वयं की रोशनी से चलती हैं। रिंग रोड में रोशनी लगाने की जरूरत तब हुई जब इस सड़क के दोनों ओर रिहायशी बस्तियाँ विकसित हुईं और स्थानी यातायात की उत्पत्ति हुई। जहाँ बस्तियाँ विकसित हुई हैं वहाँ या तो रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है या की जा रही है। जहाँ नई बस्तियाँ पैदा हो रही हैं वहाँ रोशनी की व्यवस्था करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) कुछ स्थानों में जहाँ खम्भे लगा दिये गये हैं और केवल डाल दिये गये हैं वहाँ सड़क रोशनी फिर करने के पुर्जों की सप्लाई में कमी के कारण रोशनी नहीं दी जा सकी है।

(ग) धौलाकुआ से लाजपतनगर को अनुभाग में अंशतः रोशनी लग गई है। शेष अनुभाग में मई, 1968 के अंत तक रोशनी लग जाने की आशा हैं।

दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान विषय का पढ़ाया जाना

1754. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिक्षा शास्त्रियों के इन विचारों की जानकारी है कि दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है, और इसके बावजूद भी पाठ्य पुस्तकों ने नोटों (टिप्पणियों) का रूप ले लिया है और वे बिल्कुल अपर्याप्त हैं और अधिकांश स्कूलों में छात्र प्रयोगशाला उपकरणों को प्रयोग में ही नहीं लाते है ; और

(ख) विज्ञान की पढ़ाई में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने के विचार हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) सरकार को ऐसे कोई विचार प्राप्त नहीं हुए हैं और सरकार इस बात को तथ्यपूर्ण नहीं मानती कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई या पाठ्य पुस्तकों का स्तर गिरा है अथवा प्रयोगशाला के उपकरणों के प्रयोग में कमी हुई है। फिर भी विज्ञान की पढ़ाई में आगे सुधार करने के बहुत से कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक (इंस्ट्रक्टर)

1755. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 नवम्बर, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2638 के उत्तर में उन्होंने आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों (इंस्ट्रक्टरों) को अखिल भारतीय संवर्ग में रखने के बारे में फरवरी, 1967 के अन्त तक निर्णय कर लिया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों (इंस्ट्रक्टरों) की कठिनाइयों को दूर करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ।

(ख), (ग) और (घ) यह निश्चय कर लिया गया है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को राज्यों को स्थानांतरित कर दिया जाए। तदनुसार राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि प्रशिक्षकों (इंस्ट्रक्टरों) को उनके वर्तमान वेतन और वरीयता को बनाए रखकर, अपने कर्मचारियों के रूप में खपा लें। क्योंकि राज्य सरकारें उन शर्तों से सहमत नहीं हुईं अतः अन्तिम निश्चय नहीं किया जा सका। राज्य सरकारों की स्वीकार्य शर्तों की अब पुनः जाँच की जा रही है।

दिल्ली प्रशासन से सम्बन्धित आरक्षित विषय

1756. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन अधिनियम में आरक्षित विषय के रूप में केवल 'विधि तथा व्यवस्था' की व्यवस्था थी लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना से आरक्षित विषयों की सूची में 'आवास-गृह तथा सेवायें' और जोड़ दी गई हैं ;

(ख) क्या दिल्ली कार्यकारी परिषद् ने अब इन विषयों को दिल्ली प्रशासन को सौंपने की माँग की हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'नाइट रनर्ज आफ बंगाल' नामक पुस्तक

1757. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक पुस्तक 'नाइट रनर्ज आफ बंगाल' के नाम से काशित हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त पुस्तक में हमारे देश के निवासियों के विरुद्ध अनेक अपमानजनक कंडिकाएं हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि नई दिल्ली की भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था को इंजीनियरी छात्रों के लिये वह पुस्तक अध्ययन के लिये निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या उस पुस्तक को निषिद्ध घोषित करने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं । जब इसे पूर्वापर सम्बन्ध से पढ़ा जाए ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पत्तन विकास-कार्य

1758. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1967-68 में बड़े पत्तनों के विकास के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) क्या इस राशि को राज्य सरकारों को दिया जा रहा है जिनसे इसके बदले यह आशा की जाती है कि वे केन्द्र की ओर से पत्तन विकास-कार्य करेंगी, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार सारे विकास-कार्य की स्वयं देख-भाल करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1967-68 में बड़े पत्तनों के विकास के लिए कुल 43.48 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर किया गया है जिसमें से केन्द्रीय सरकार सहायता 15.88 करोड़ रुपये तक सीमित है और शेष को पत्तनों द्वारा अपने साधनों से जुटाए जाने की संभावना है । इस व्यवस्था का बड़ा भाग मौजूदा बड़े पत्तनों पर की सुविधाओं के नवीनीकरण और विकास के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, 9.55 करोड़ रुपये की राशि, जैसे नीचे दिया गया है मौजूदा पत्तनों में दो बड़ी अनुपूरक योजनाओं और तूतीकोरिन और मंगलोर पत्तनों को बड़े पत्तनों में विकसित करने में व्यय किया जाएगा :—

	(रु० करोड़ों में)
हल्दिया में नई डाक पद्धति	4.55
मद्रास बाहरी हारबार योजना	3.00
तूतीकोरिन पत्तन प्रायोजना	1.00
मंगलोर पत्तन आयोजना	1.00
	9.55

(ख) जी नहीं।

(ग) मौजूदा बड़े पत्तनों का विकास-कार्य संवैधानिक पत्तन ट्रस्ट बोर्डों द्वारा किया जाता है। मंगलोर और तूतीकोरीन सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्य इंजिनियर और प्रशासकों से बड़े पत्तनों के रूप में विकसित किये जा रहे हैं।

एक विमान का अमौसी हवाई अड्डे पर विवश हो कर उतरना

1759. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बोनांजा विमान को, जो कानपुर जा रहा था, 9 जनवरी, 1967 को अमौसी हवाई अड्डे पर विवश हो कर उतरना पड़ा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) एक हिंद फ्लाइंग क्लब बोनांजा विमान वी० टी० सी० वाई० जे० 9 जनवरी, 1968 को अमौसी हवाई अड्डे (लखनऊ) पर अड्डे से उड़ते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना की जांच की जा रही है।

Scholarships to students of I. I. T., New Delhi

1760. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the manner and the months in which the scholarships are paid to the students of the Polytechnic and Technology Institute (IIT) Hauz Khas, New Delhi ;

(b) whether the first year students are granted scholarships keeping in view the income of their guardians and if so, the amount of income on the basis of which scholarship is granted; and

(c) whether the said scholarships are granted on uniform basis in all the years ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) In the Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi, scholarships are paid to the students in cash quarterly in the months of April, July, October and January. Scholarships in the Polytechnics in Delhi are paid in cash after every-2—3 months.

(b) Yes, Sir. The Merit-cum-Means scholarships at I. I. T., New Delhi are awarded to those students whose parents/guardidns' income does not exceed Rs.500 p.m. In the Polytechnics, the limit of per capita in come of parents/Guardians is Rs. 125 P.m. subject to a maximum of Rs. 625 P.m. in the case of boys, and in the case of girls the per capita income limit is Rs.75 p.m. subject to a maximum of Rs.375 p.m. The income limit is proposed to be revised to Rs.500 p.m. from next year for all students.

(c) Yes, Sir, subject to satisfactory progress.

Scholarships to Students of I. I. T. Delhi

1761. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme to grant scholarships to such students of the Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi who belong to the backward classes and Scheduled Castes, whose guardians have low incomes without taking merit into consideration; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) No such scholarsship are awarded by the Institute itself. The students concerned are covered by the Central Government schemes of scholarships for students of scheduled castes, scheduled tribes, low income groups and other categories.

Lifting of Emergency

1762. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the restrictions imposed at the time of the beginning of the state of emegency have not been lifted in toto;

(b) whether it is also a fact that the Ministry of Home Affairs has issued some instructions to various Ministries in this connection ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Sate in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) No. Sir.

(c) Does not arise.

Road Accidents in Delhi

1763. **Shri Deiveekan** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of road accidents in the capital increased considerably in 1967, as compared with the last three years ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the number of road accidents during each year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The required information is given below :

Year	Total number of road accidents in Delhi
(i) 1964	8006
(ii) 1965	8456
(iii) 1966	8347
(iv) 1967	7995

सीमा सुरक्षा दल तथा कलकत्ता सशस्त्र पुलिस का झगड़ा

1764. **श्री चन्द्र शेखर सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता में सीमा सुरक्षा दल तथा कलकत्ता सशस्त्र पुलिस के कर्मचारियों में हाल ही में कोई हिंसात्मक झगड़ा हुआ था ;

(ख) यदि हाँ , तो इस झगड़े में कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ग) क्या सरकार ने झगड़े के कारणों की जांच कराई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) 22 जनवरी, 1968 को बाडीगार्ड लाइन्स, कलकत्ता में सीमा सुरक्षा दल तथा कलकत्ता सशस्त्र पुलिस के कुछ सैनिकों के बीच एक मामूली झड़प हुई थी। कोई घायल नहीं हुआ।

(ग), (घ) तथा (ङ) राज्य सरकार तथा सीमा सुरक्षा दल के अधिकारी इस मामलें में जांच कर रहे हैं और जाँच के परिणामों के आधार पर उचित कार्यवाही की जायगी।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन

1765. **श्री नायनार**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्री ने, कांग्रेस अधिवेशन के समय लाल बहादुर शास्त्री नगर में महाजन आयोग प्रतिवेदन की कार्यान्विति के बारे में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था ; और

(ख) क्या मंत्री महोदय ने मांग की है कि कासरगोड तालुक को दक्षिण कनारा जिले में शामिल किया जाना चाहिये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तूतीकोरिन पत्तन

1766. **श्री सम्बन्धन**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त दल के प्रातिवेदन पर विचार कर लिया है, जिसने तूतीकोरिन पत्तन की यातायात क्षमता के बारे में अध्ययन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) संयुक्त दल की रिपोर्ट ने सूचित किया है कि योजित और निकट भविष्य में जिनके पूर्ण होने की संभावना है उन विभिन्न औद्योगिक विकासों के आधार पर, 1971–72 में पत्तन से लगभग 22.35 लाख टन के यातायात के आवागमन की संभावना है और 1975–76 तक 35.10 लाख टन के।

(ग) दल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार में तूतीकोरिन में सब ऋतुओं में काम आने योग्य 30 फीट पत्तन के निर्माण का अनुमोदन किया है जिसमें पांच साथ के घाट होंगे जो कोयला, नमक, सीमेंट के लिये एक-एक और 2 सामान्य माल के लिये होंगे। इन सुविधाओं की प्राक्कलित लागत 22.80 करोड़ रुपये है। बाद में होने वाले अतिरिक्त

यातायात की घरा-उठाई में पत्तन को समर्थ होने के लिये एक साथ का घाट और सहायक सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी जिनकी प्राक्कलित लागत 1.60 करोड़ रुपये होगी।

पांडिचेरी पत्तन

1767. **श्री सम्बन्धन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांडिचेरी पत्तन के तत्काल विकास के लिये पांडिचेरी प्रशासन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

कोचीन पत्तन के ड्रेजर

1768. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन पत्तन के लिये कलकत्ता पत्तन से 'गंगा' नामक ड्रेजर खरीदा है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह ड्रेजर 1923 में निर्मित हुआ था और कोचीन पत्तन के वर्तमान ड्रेजर अर्थात् 'लार्ड विलिंगडन' और 'लेडी विलिंगडन' से बहुत पुराना है जो कि 1935 में बनाये गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोचीन पत्तन के वर्तमान ड्रेजरों 'लार्ड विलिंगडन' और 'लेडी विलिंगडन' की मरम्मत की जा सकती है और इसके लिये कोचीन पत्तन के पास फालतू पुर्जे उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो कलकत्ता से एक पुराना और बेकार ड्रेजर खरीदने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस मामले की जाँच करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) :

(क) जी हाँ।

(ख) निकर्षक 'गंगा' 1923 मे बना था और लार्ड विलिंगडन तथा लेडी वेलिंगडन क्रमश: 1926 और 1937 में बने थे।

(ग) जी हाँ। यानों को कुछ और वर्षों तक चालू रखने के लिये कोचीन वर्कशाप में निकर्षकों को मरम्मत की जाती है।

(घ) कोचीन पत्तन के भीतरी जलमार्ग और घाटों में लगभग 8 लाख घन गज का रेग भर जाता है और बड़ी मात्रा पर निकर्षण की जरूरत रहती है। रेग जम जाने के कारण पत्तन में नौवहन योग्य गहराई में कमी होने की कई स्थानों से सरकार को रिपोर्ट मिली है। मौजूदा निकर्षक बेड़े से पत्तन अधिकारी जरूरी निकर्षण कराकर ढेर को साफ नहीं करा सकते हैं। पोर्ट ट्रस्ट ने निकर्षण का कार्य ठेके पर तथा दूसरे पत्तन से निकर्षक

मंग कर भी कराया था मगर वह असफल रहा। पोर्ट अधिकारियों ने इसलिये निकर्षक 'गंगा' को खरीदने का निर्णय किया। कलकत्ता पत्तन कमिश्नरी ने इसके लिये सहमति दे दी है।

यह कहना ठीक नहीं है कि निकर्षक 'गंगा' रद्दी निकर्षक है। यद्यपि वह 1923 में बना था, उसका पुनः नवीयन और फिर से मरम्मत इत्यादि कलकत्ता पोर्ट कमश्निर द्वारा 1959 में लगभग 63 लाख रुपये की लागत से की गई थी। और उसकी मरम्मत तथा देखरेख पर 1963 से पोर्ट कमिश्नर द्वारा लगभग 15 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। तकनीकी विशेषज्ञों की राय में निकर्षक कोचीन पत्तन को लगभग 8 वर्ष और उपयोगी सेवा दे सकता है।

ड्रेजिंग सेक्शन कोचीन पत्तन

1769. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन में ड्रेजिंग सैक्शन के अधिकारियों के वेतन हाल ही में बढ़ाये गये हैं जब कि वहाँ तलकर्षण का कोई काम नहीं हो रहा था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके वेतन पहले कितने थे और उनके पुनरीक्षित वेतन क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) और (ख) कोचीन पत्तन ट्रस्ट नियमित रूप से देखरेख-निकर्षण कर रहा है जो उसका सामान्य कार्य है। इस काम के लिए पत्तन ट्रस्ट कर्मचारियों सहित कुछ निकर्षक रखता है। परन्तु मौजूदा निकर्षकों की सामान्य जीवानावधि पूरी हो गई है और उनकी कार्य कुशलता घट गयी है। निकर्षण बेड़े में वृद्धि करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। निकर्षण अनुभाग के मौजूदा पदों के मूल वेतन मानों में वृद्धि नहीं की गयी है सिवाय लेडी विलिंगडन निकर्षक के जिसे 50 रु० प्रति मास विशेष वेतन इस प्रकाश में दिया गया कि मुख्य इंजिनियर के पद के अन्य समुद्री इंजिनियरों की तुलना में उच्चतर कार्य और जिम्मेदारियां हैं।

एडक्काथिवायल (केरल) में हवाई अड्डा

1770. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में एर्णाकुलम जिले में एडक्काथिवायल में एक हवाई अड्डा बनाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की वर्तमान् स्थिति क्या है ; और

(ग) यह काम कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क), (ख) और (ग) कोचीन में मौजूदा धावन-पथ का उसे वाईकाउण्ट विमानों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, विस्तार करने की व्यवहार्यता की जाँच की जा रही है। एर्णा-

कुलम में हवाई अड्डे के निर्माण का प्रश्न तभी उठेगा यदि मौजूदा धावन-पथ का वाईकाउण्ट की किस्म के विमानों के परिचालन के लिए विकास करना संभव नहीं पाया जाता।

विदेशी धर्मप्रचारक

1771. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1965,1966 और 1967 में कितने विदेशी धर्मप्रचारकों को भारत में आने के वीसा जारी किये गये थे ; और

(ख) भारत में आने के वीसा जारी करने की कसौटी क्या है ;

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) 1965 और 1966 वें वर्षों के दौरान भारत में आने के लिये क्रमशः 448 और 332 विदेशी धर्म-प्रचारकों को वीसा प्रदान किये गये थे। विदेशों में स्थित कुछ भारतीय दूतावासों द्वारा 1967 में प्रदत्त वीसाओं के बारे में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार उस वर्ष में 118 धर्म-प्रचारकों को वीसा प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त 1967 में राष्ट्रमण्डलीय धर्मप्रचारकों के लिये 276 विशेष पृष्ठांकनाएं प्राधिकृत की गई थीं। इससे पहले के वर्षों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्यों कि नवम्बर, 1966 से पूर्व, भारत सरकार को ऐसी पृष्ठांकनाएं प्रदान करने के लिये पूर्वनिर्देश आवश्यक नहीं था। साथ ही विदेशों में भारतीय दूतावासों से ऐसी पृष्ठांकनाओं के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत करना निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) अतिरिक्त सदस्यों के रूप में अथवा मौजूदा धर्मप्रचारकों के बदले में आने वाले विदेशी धर्मप्रचारकों को भारत में केवल तभी प्रवेश करने दिया जाता है यदि उनके पास विशिष्ट योग्यताएं अथवा विशेषोपयुक्त अनुभव हों तथा भारतीय ऐसे पदों के लिये उपलब्ध न हों।

विदेशी धर्मप्रचारक

1772. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम जैसे 'नाजुक क्षेत्रों' में विदेशी धर्मप्रचारकों के बारे में सरकार की क्या निति है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनको वापिस भेजने का है ;

(ग) क्या सरकार केवल मिजो पहाड़ियों से ही कुछ धर्मप्रचारकों को निकाल रही है ; और

(घ) क्या आसाम में अन्य विदेशी धर्मप्रचारकों को रहने दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार की निति आसाम जैसे उन क्षेत्रों समेत भारत में स्थित ईसाई धर्मप्रचारक संस्थाओं का प्रगतिशील भारतीयकरण करने की है। विदेशी धर्मप्रचारकों को भारत छोड़ने के लिये कोई सामान्य आदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे विशेष मामलों

में, जहां ऐसे किसी धर्मप्रचारक की भारत में लगातार उपस्थिति राष्ट्रहितों के प्रतिकूल समझी जाती है, कार्यवाही की जाती है।

(ग) और (घ) नीति यह है कि यथा समय पूर्ण भारतीयकरण किया जाय ।

सड़क परिवहन के लिये पश्चिम क्षेत्र

1774. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन के प्रयोजन हेतु पश्चिम जोन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस जोन के साथ किन-किन राज्यों को जोड़ने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या अन्तर्राज्यीय परिवहन आयुक्तों की बैठक में इस विषय पर बातचीत हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

परिवहन तथा नौवहन उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) जी हां। प्रस्तावित योजना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों और गोआ, दामन और दिऊ के केन्द्रीय क्षेत्र की माल गाड़ियों की एक विशिष्ट संख्या के निर्बाध आवागमन के लिये, इस क्षेत्र के अन्तर्गत, एक स्थान पर कराधान आधार पर है।

(ग) जी हां। 18 जनवरी, 1968 को बम्बई में इन पांच राज्यों के परिवहन आयुक्तों की बैठक मे इस पर विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों की राय पा लेने पर प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा सकता है।

Drama Produced by Utpal Dutta

1775. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that a Drama by a leftist Shri Utpal Dutta, on the basis of the incidents of Nexalbari, was staged at Minerva Threatre in Calcutta ; and

(b) if so, the action taken by Government aginst the staging of the Drama ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) **Yes,** Sir.

(b) **The matter is under examination of the State Government.**

Eflux of Engineers

1776. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Rami Charan** :
Shri M. L. Sondhi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 15.6 percent of Engineers who got education in the Indian Institute of Technology are at present employed in foreign countries ;

(b) whether the students getting admission in I. I. T. would be required to execute a bond that they will have to work in India for a specified period after completing their education ; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :

(a) The Institute of Applied Manpower Research have recently conducted a survey covering those who graduated from Indian Institutes of Technology at Kharagpur, Bombay, Madras and Kanpur during 1961-65. The survey revealed that, out of a total out-turn of 2,164 graduates covered, 338 or 15.6 percent went abroad. Of these, 91 were working abroad at the time of the survey ; the rest were engaged in the persuit of higher studies etc.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Activities of Christian Missionaries

1777. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints to the effect that Christian missionaries are tying to make the Government-run or Government-aided schools unsuccessful with the result that in Madhya Pradesh and other States several Government-run or aided schools have been deserted by students ;

(b) whether it is also a fact that Christian adivasies are being intimidated by Christian missionaries for sending their children to Government-run or aided schools; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Stater in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) and (b) Government of India has received no such report. Even then, we have called for a report from the Government of Madhya Pradesh.

(c) Does not arise.

Research in Agricultural and Mineral Produce

1778. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a regional research laboratory in regard to the use of abundantly available agricultural produce and minerals e.g. China clay, heat proof clay, coal, wood and pulp in the industries ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :
(a) No, Sir.

(b) Paucity of financial resources.

"सिखस्तान" की माँग

1779. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अकाली दल के कुछ वर्गों ने "सिखस्तान" की माँग दुहराई है जैसा कि 1 फरवरी, 1968 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) सरकार की दृष्टि में यह बहुत अनुचित है । इस संबंध में सरकार जागरुक है और किसी गैर-कानूनी कार्यवाही पर तुरन्त काबू कर लेगी ।

Pakistani Spies

1780. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3140 on the 6th December, 1967 and state :

(a) the number of persons convicted and acquitted by the courts out of the twenty-one persons who were prosecuted from among the 116 Pakistani spies, arrested in Kashmir during the past two years ;

(b) the action taken against the Pakistani nationals acquitted by the Court; and

(c) whether Government propose to prsecute the 95 persons under detention ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Seven persons have been convicted. The other cases are pending.

(b) No Pakistani national has been acquitted so far.

(c) State Government have intimated that there is no proposal to prosecute these persons at present.

Pakistani Nationals who visited Madhya Pradesh

1781. **Shri Hakam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4071 on the 13th December, 1967 and state:

(a) whether the requisite information in regard to the Pakistani nationals who visited Madhya Pradesh from 1962 to December, 1967 has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) : The requisite information was laid on the Table of the Lok Sabha on the th February, 1968.

Missing a Ship between Okha and Mandwi Ports

†1782. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a ship which started from Okha carrying 600 bags of cement and other goods, was reported missing beween Okhaand Mandwi ports recently ;

(c) whether the goods booked on the ship were found intact ; and

(d) the name of the firm or the company to which the ship belonged ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a) to (d) : Enquiries made reveal that no such vessel had been involved in an accident recently. However, one sailing vessel 'Haidri' belonging to one Mahmad Ahmed of Okha which sailed from Okha with 440 bags of cement on 19-7-1767 met with an accident near Mandvi due to sudden cyclonic whether and due to heavy floods in the Rukmavati river, the vessel dashed against the breakwaters and sank on 24-7-67. The vessel and the cargo were a total loss. There was no loss of life.

बिहार में पर्यटक केन्द्र

1784. *श्री शिवचन्द्र झा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पटना, बोध गया, राजगीर, नालन्दा और वैशाली को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस कार्य के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है ; और

(ग) बिहार में किन-किन पर्यटक केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार ने कोई रुचि ली है और बिहार में पर्यटन के व्यापक विकास के लिए केन्द्र ने अब तक कुल कितना धन दिया है ?

पर्यटन यथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) चौथी पंच-वर्षीय योजना की अवधि के दौरान बोध गया, राजगीर, नालन्दा, पटना और हजारीबाग तथा राँची क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाएँ राज्य सरकार के साथ मिल कर देने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों पर अंतिम रूप से 52.81 लाख रुपये की लागत का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र में 10.75 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बोध गया और राजगीर में पर्यटक स्वागत केन्द्रों के निर्माण तथा बोध गया में पर्यटक बंगले (श्रेणी 1) के विस्तार का प्रस्ताव है।

(ग) सूचना निम्न प्रकार से है :—

1. **दूसरी पंच वर्षीय योजना से पहले की स्कीमें :**

बोध गया में पर्यटक बंगला 2,34,660.00 रुपये

दूसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान वास्तव में किया गया खर्च :

भाग I स्कीमें

दामोदर वेली कारपोरेशन क्षेत्र में रेस्ट हाउसों का निर्माण तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था; गया, बोध गया, और राजगीर में पर्यटक ब्यूरों की स्थापना ; बोध गया में पर्यटक बंगले का प्रबन्ध।	6,99,891/रु०

3. **तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान वास्तव में किया गया खर्च :**

भाग II स्कीमें

राजगीर में पर्यटक शाला का निर्माण (यह स्कीम आगे चौथी पंच वर्षीय योजना में ले जायी गयी है)।	25,000/ रु०

4. **तीसरी पंच वर्षीय योजना के बाद अब तक वास्तव में किया गया खर्च :**

भाग I स्कीम

बोध गया में पर्यटक बंगले (श्रेणी I) का विस्तार (कार्य पूरा किया जा रहा है)।	72,555/–रु०

भाग II स्कीम

1. राजगीर में पर्यटक शाला (तीसरी पंच वर्षीय योजना से जारी)	75,000/–रु०
2. राजगीर में हवाई रज्जू मार्ग (एरियल रोप-वे)	92,000/–रु०

सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार

1785. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलों में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन-सा है ;

(ख) खेलों के लिए वह राष्ट्रीय पुरस्कार अब तक कितने व्यक्तियों को राज्यवार प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या किसी विदेशी को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उसका नाम क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) अर्जुन पुरस्कार।

(ख) अर्जुन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये पुरस्कार राज्य-वार नहीं दिये जाते हैं। अब तक खेल-वार दिए गए अर्जुन पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है:

एथलेटिक्स	7
बैडमिंटन	3
बास्केट बाल	1
बिलियर्ड	1
मुक्केबाजी	3
शतरंज	1
क्रिकेट	4
फुटबाल	6
गोल्फ	2
व्यायाम	1
हाकी :	
पुरुष	6

महिला	3
पर्वतारोहण	1
पोलो	3
निशानेबाजी	1
स्कवैश रैकेट	1
तैराकी	2
टेबिल टेनिस	3
टेनिस	3
बालीबाल	2
वजन उठाना	5
कुश्ती	5
जोड़ :	64

(ग) जी नहीं ।

भारतीय पर्वतारोहण टीम में जिसने 1965 में टीम पुरस्कार जीता था, कुछ नैपाली भी शामिल थे किन्तु पुरस्कार टीम के कप्तान को दिया गया था और अलग-अलग सदस्यों को नहीं ।

Schemes for Enquiring into alleged case of Corruption

1786. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some State Governments have drawn up schemes for conducting enquiries into the cases of alleged corruption involving public men ; and

(b) if so, the co-ordination maintained between the above schemes and the Centres scheme regarding Lok Pal ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.

(b) After seeking the views of the State Governments, it has been decided to initiate the Lokpal scheme for the Central Government for the time being. However, the possiblity of State Governments participating in the scheme if they ultimately so choose has been kept in view.

Anti-social Activities in a Delhi Hotel

1787. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the management of a Hotel in Chandni Chowk, Delhi have converted their hotel into a centre of illegal transactions and anti-social activities as reported in the Hindustan, dated the 19th January, 1968 ;

(b) if so, whether capitalists and traders from Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan and Gujarat are indulging in illegal speculation in Gur, mustard oil, groundnut oil, mustard, linseed and foodgrains to the tune of crores of rupees in violation of the Forward Trading Act, 1952;

(c) if so, the action taken by Government against the speculators violating the Forward Trading Act, 1952; and

(d) whether employees of telephone Department are also involved in it and if so, the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) , (b), (c) and (d) : On receipt of reports that a number of firms, located in a building in Chandni Chowk, named after a hotel, were indulging in forward trading in violation of the Forwards Contract Act 1952, the Delhi Police raided the premises on different occasions and have, since March 1966, seized the records of 19 traders. 11 persons have already been challaned and some cases are under investigation. No trader belonging to Uttar Pradesh, Punjab, Haryana Delhi, Rajasthan or Gujarat is involved in these cases. There is also no evidence to believe that any employee of the Telephone Department is involved in these cases.

Records of Clss IV Employees

1788. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5395 on the 12th July, 1967 and state:

(a) the practical difficulties which lie in the way of maintaining records of IV Class employees in Hindi ;

(b) whether Government propose to maintain the records of IV class employees in Hindi in future ; and

(c) if so, the time likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a), (b) and (c) Service records of Class IV employees in this Ministry are maintained in accordance with general instructions on the subject issued by Government. At present the prescribed forms for the purpose are printed and supplied in English. Efforts are being made to print the forms in Hindi and Government's decision will be taken to keep the records in Hindi. The Ministry of Education will take necessary action to implement the decision.

Expenditure on Education

1789. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentage of the expenditure incurred by each State on education during 1967-68 against their budget provisions ; and

(b) the amount of grants sanctioned by the Central Government to each State for the development of education ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) As the Financial year has not yet ended, it is not possible to indicate the percentage of expenditure incurred by each State during the current year.

(b) A statement showing the outlay approved and Central Assistance allocated by the Ministry of Finance to each State for development of education during 1967-68 is laid on the table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 208/68].** The grant will be released towards the end of March, 1968.

Hindi Stenographers

1790. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided that Hindi Stenographers, Steno-typists and

Typists who were recruited several years ago for doing Hindi work will in future be required to do English work together with Hindi ;

(b) if so, the reasons therefor and the arrangements made to remove the difficulties likely to be faced by them while doing English work ; and

(c) whether this decision is likely to impede the progressive use of Hindi in Government work as well as the expansion and development of Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

1791. **श्री रा० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारें उस योजना को लागू करने के लिये सहमत हो गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क), (ख) और (ग) सरकार विश्वविद्यालय छात्रों के लिये राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थान पर राष्ट्रीय खेल सेवा से संबंधित एक कार्यक्रम तैयार कर रही है । शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने अपनी अप्रैल, 1967 में हुई बैठक में इस प्रस्तावित कार्यक्रम को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

Delhi Municipal Corporation

1792. **Shri Bal Raj Madhok:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a payment of Rs.9 crores is due from the Central Government to the Delhi Municipal Corporation ;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Municipal Corporation has requested the Centra Government for the payment of the above mentioned amount; and

(c) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Delhi Municipal Corporation have been informed that the various requests of the Corporation for higher grants-in-aid are outside the scope of the existing pattern of grant-in-aid being followed for some years past and that for any change in this pattern, the recommendations of the Commission of Inquiry appointed to enquire into the financial resources and requirements of Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Committee will have to be awaited.

Funds for Delhi Administration

1793. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have curtailed the amount to be given to the Delhi Administration ;

(b) whether it is a fact that out of the five railway over-bridges, the Delhi Administration wuold now be able to construct only one bridge as a result of this curtailment ; and

(c) if so, the reasons for the curtailment ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs(Shri Vidya Charan Shukla):

(a), (b) and (c) Presumably this refers to the provision of an additional sum of Rs.2 crores for Delhi in the May 1967 budget, over and above the amount for Plan Schemes for Delhi provided in the interim budget presented to Parliament in March, 1967.This additional amount of Rs.2 crores was intended for the following schemes :

(i) Loan to Delhi Electric Suply Undertaking (Rs.100.00 lakhs) ;

(ii) Provision for Capital Works of the Delhi Administration : (Rs.50.00 lakhs) ; and

(iii) Grants to Delhi Municipal Corporation for meeting its share of the cost of certain rail road-overbridges ; (Rs.50.00 lakhs)

However, after the budget was passed by the Parliament, the amount in respect of item (ii) above was withheld and the amount in respect of item (iii) was curtailed by the Government. The reasons for withholding/curtailing of the amounts in respect of these items are as under :—

(A) Provision for Capital Works of the Delhi Administration (Rs.50.00 lakhs) :

Due to enforcement of economy in expenditure.

(B) Grants to Delhi Municipal Corporation for Meeting its share of the cost of Certain Rail-Road Overbridges Rs.50.00 lakhs) ;

During the Fourth Five Year Plan period, the construction of the following three overbidges (and not five as mentioned in the question) is to be taken up :—

1. Patel Road over-bridge.
2. Sarai Rohila over-bridge.
3. Widening of Tilak Bridge.

The estimated cost of these works is Rs.144.76 lakhs. The expenditure is to be shared between the Delhi Muncipal Corporation and the Railways. The manner in which the cost was to be shared was under consideration for some time. By the time the pattern of sharing of expenditure was settled, the resources position had deteriorated considerably and it was decided not to utilise this additional sum of Rs.50.00 lakhs during the current financial year (1967-68). However for the Patel Road over-bridge which presents the greatest traffic difficulty, it is proposed to pay a suitable grant to the Delhi Municipal Corporation during 1968-69.The exact quantum of assistance to the Corporation by the Government will be decided in the light of the Report of the Morarka Commission.

In view of the position explained above, out of the extra amount of Rs. 2 crores allotted for Plan Schemes in Delhi during the current year, a sum of Re. 1 crore could not be utilised.

Sanskrit in Higher Secondary Schools

1794. Shri Bal Raj Madhok : Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that out of the 180 Higher Secondary Schools run by the Delhi Administration, Sanskrit is taught in 40 schools only ;

(b) whether it is also a fact that the Principals of most of the schools are not in favour of introduing Sanskrit and if so, on what grounds ; and

(c) whether Government propose to draw up any detailed scheme for introducing Sanskrit ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) No, Sir. Out of 260 Government Higher Secondary Schools Sanskrit is taught in 235 Middle Departments and in 162 Higher Secondary Departments of these Schools.

(b) and (c) Dot not arise.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में आरक्षण रद्द करने का प्रभार

1795. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं में आरक्षणों को रद्द करने के शुल्क संबंधी नियम विश्व के अन्य भागों में लागू नियमों के समतुल्य हैं ;

(ख) आरक्षण रद्द करने के लिये शुल्क की प्राप्ति से गत तीन वर्षों में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को कुल कितनी आय हुई ; और

(ग) सी अवधि में ट्रंकमार्गों पर औसत कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा-सूची में थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) ये नियम सामान्यता प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली के अनुरूप हैं ।

(ख) लगभग 66 लाख रुपया ।

(ग) मुख्य मार्गों पर प्रत्येक सूची में लगभग 10.

हिन्द महासागर की खोज

1796. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत और रूस मिलकर हिन्द महासागर की भौतिक और जीव विज्ञान संबंधी सम्पत्ति और उसके संसाधनों की खोज करेंगे ;

(ख) क्या इस बारे में कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क), (ख) और (ग) भारतीय समुद्र का समुद्रविज्ञानी अध्ययन उन क्षेत्रों में से एक है जो भारत और सोवियत रूस के वैज्ञानिकों के बीच वैज्ञानिक सहकार के लिये स्वीकार किए गए हैं । प्रायोजना का विवरण और उसे हाथ में लेने का समय अभी तय किया जाना है ।

शिक्षा क्षेत्र में बुराइयां

1797. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य दोष व्यापक अनुशासन-हीनता, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर और राजनैतिक शिक्षाशास्त्रियों का होना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) यह कहना ठीक न होगा कि सभी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर गिर गया है। यद्यपि यह ठीक है कि अनुशासनहीनता और राजनीतिज्ञों का शैक्षिक मामलों में हस्तक्षेप, जैसी कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति पर असर पड़ता है।

(ख) अध्ययन और अनुसंधान के लिये अनुकूल और स्वस्थ वातावरण पैदा करने और विद्यार्थियों का ध्यान अवांछनीय कार्यकलापों से हटाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्र कल्याण और स्तर आदि के सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए, विश्वविद्यालयों और कालेजों की सहायता कर रहा है।

पाठ्-क्रमों के पुनर्गठन के संबंध में शिक्षा आयोग ने सिफारिशें की हैं ताकि जन-साधारण के जीवन, उनकी आवश्यकताओं और महत्वकाक्षाओं से शिक्षा का संबंध स्थापित हो सके और जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आमूल परिवर्तन करने के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली माध्यम बन सके। इन सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के पास उनके विचारार्थ और अमल के लिये भेज दिया गया है। जहाँ तक भारत सरकार का संबंध है कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेवा लागू करने की एक योजना विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षा संस्थाओं द्वारा समय-समय पर इस आशय की सिफारिशें भी की जाती रही हैं कि शिक्षा संबंधी मामले पूर्णतया विश्वविद्यालयों पर छोड़ देना चाहिए और इनमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारत सरकार का ऐसा विचार है कि राजनीतिक पार्टियों को विश्वविद्यालयों के मामलों में दखल न देने के लिए राजी हो जाना चाहिए।

दिल्ली में किशोरों द्वारा अपराध

1798. **श्री वेदव्रत बरुआ : श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में किशोरों द्वारा अपराध 50 प्रतिशत बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन बढ़ते अपराधों के कारणों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

1799. **श्री वेदव्रत बरुआ :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री 'रा० रा० सिंह देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में दिल्ली में सी० डी० कारों, डी० टी० यू० की बसों तथा ट्रकों के साथ हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई,

(ख) वर्ष 1964,1965 तथा 1966 की अपेक्षा इस संबंध में आंकड़े कितने कम अथवा अधिक थे, और

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण कम से कम व्यक्तियों की मृत्यु हो, इसके लिये क्या खास कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) और (ख) दिल्ली में 1964, 1965, 1966 और 1967 में उक्त वर्णित गाड़ियों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियोंकी संख्या नीचे दी जाती है :

दुर्घटना वाली गाड़ियों की टाइप	1964	1965	1966	1967
1. सी० डी० मोटर गाड़ियां	2	4	3	2
2. डी० टी० यू० बसें	46	37	52	64
3. ट्रकें	100	133	112	114

(ग) दिल्ली में सड़क दुर्घटना रोकने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है:

(1) दिसम्बर, 1962 से एक सब-इन्स्पेक्टर की अधीक्षता में अलग से कर्मचारी सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिये रखे गये हैं ।

(2) बालकों तथा अन्य सड़क व्यवहार कर्ताओं में सड़क सुरक्षा पर इश्तहार तथा नक्शे बांटे गये हैं।

(3) नगर के लगभग 25 सिनेमाघरों में और विभिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा पर फिल्में दिखाई जाती हैं । स्कूल बालकों के लिये सड़क सुरक्षा पर टेलिविजन शो का भी प्रबन्ध किया गया है।

(4) अत्यधिक तेज स्पीड पर ड्राइवरों का गाड़ी चलाने की प्रकृति को रोकने के लिये कभी-कभी विशेष स्पीड चेक किये जाते हैं।

(5) यातायात उलंघन के मामलों को पकड़ने के लिये और यातायात अवरोध दूर करने के लिये भीड़ के समय में महत्वपूर्ण चालू सड़कों पर चल यातायात पेट्रोल मोटर साइकिलों पर भेजे जाते हैं ।

(6) शीघ्र बढ़ती जनसंख्या, नागरिकीकरण और अन्य तथ्य भविष्य में यातायात कठिनाइयां पैदा न करें इसकी रोक-थाम के लिये मास्टर योजना में दिल्ली नगर और उसके उप-प्रान्तों के विकास के लिये एक नियमित और संगठित योजना बनाई गई है।

(7) शिक्षा संस्थाओं में यातायात नियमों पर आदेश और सड़क-सुरक्षा पर व्याख्यान नियमित रूप से दिये जाते हैं। विद्यार्थियों के लाभ के लिये सड़कों पर व्यावहारिक प्रयोग दिये जाते हैं।

(8) मेसर्स बर्मा शेल आयल स्टोरेज एन्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी की सहायता से इरविन रोड, नइ दिल्ली में एक यातायात प्रशिक्षण पार्क बनाया गया है। यह मार्च, 1964 से काम कर रहा है। सबेरे के समय एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार यातायात पुलिस द्वारा इस पार्क में स्कूली बालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संध्याकाल में एक विशिष्ट वय के बालकों के लिये यह पार्क खुला रहता है।

(9) जहाँ जरूरत है वहाँ बड़ी सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और स्वचालित यातायात-संकेत लगाये गये हैं। कुछ सड़कों पर साइकिल-मार्ग भी बनाये गये हैं। भीड़-भाड़ के क्षेत्रों से बस स्टाप, दूकानें और टैक्सी स्टैंड हटाये जा रहे हैं।

(10) उपयुक्त स्थानों पर स्कूलों के निकट सड़कों पर पैदल यात्रियों के पार-पथ बना दिये गये हैं। महत्वपूर्ण स्थानों और कई चालू सड़कों पर यात्रियों के पैदल पार करने के सूचक-बोर्ड लगा दिये गये हैं। पैदल यात्रियों को पैदल पार-पथों से जाने के लिये विशेष अभियान द्वारा शिक्षित किया गया और मोटर-चालकों को उन्हें सड़क पार करने के लिये अवसर देने की शिक्षा दी गई।

(11) कई चालू और भीड़ की सड़कों पर भारी परिवहन गाड़ियों का चलना कतई रोक दिया गया और कई अन्य सड़कों पर भीड़भाड़ के समय उनका चलना रोक दिया जाता है। नई दिल्ली की 36 चालू सड़कों और पुरानी दिल्ली की 16 सड़कों पर भीड़भाड़ के समय धीमी चलने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाता है। नई दिल्ली की 10 महत्वपूर्ण चालू सड़कों पर 7 से 10 बजे तक प्रातः बैलगाड़ियां चलना रोक दिया गया है। कई भीड़ की सड़कों पर इक्तरफा यातायात कर दिया गया है और कई सड़कों पर भीड़भाड़ के क्षेत्र में पार्किंग बंद कर दी गई है।

(12) जनवरी, 1963 के प्रारंभ से चयनात्मक प्रवर्तन लागू कर दिया गया है। चुने स्थानों में जन-सेवा गाड़ी-चालकों द्वारा किये गये अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना किया जाता है जिससे वे यातायात उल्लंघन की आदत न डाल सकें।

सालारजंग संग्रहालय

1800. **श्री संगण्ण अदानप्पा अगड़ी** : क्या शिक्षा मंत्री 15 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 510 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार, सालारजंग एस्टेट और केन्द्रीय सरकार के सहयोग से सालारजंग संग्रहालय का निर्माण करने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हाँ, तो जब अन्तिम प्रस्ताव किया गया था, तब प्रत्येक पक्ष द्वारा कितनी राशि देने का प्रस्ताव किया था ;

(ग) क्या उक्त पक्षों ने प्रस्तावों का पालन किया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह):

(क) जी हाँ ।

(ख) (i) भारत सरकार 33.65 लाख रुपए

(ii) आंध्र प्रदेश सरकार 12.33 लाख रुपए

(iii) सालारजंग सम्पदा समिति- 10.50 लाख रुपए
(अब निष्प्रभाव)

(ग) जी हाँ ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर राज्य में हवाई अड्डों का निर्माण

1801. **श्री संगण्णा अदानप्पा अगड़ी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 6 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3230 के उत्तर के संम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के बीजापुर, हौस्पेट तथा हसन में हवाई अड्डों के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या हौस्पेट और बीजापुर में हवाई-पट्टियों के लिये स्थान चुनने और प्राक्कलन तैयार करने का काम पूरा हो चुका है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन स्थानों और प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है और निकटतम रेलवे स्टेशन से वे हवाई पट्टियाँ कितनी दूरी पर हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) और (ख) हसन में निर्माण-कार्य अगस्त, 1967 में प्रारंभ हुआ तथा दिसम्बर, 1967 के अन्त तक 15% प्रगति हुई बताई गयी है। बीजापुर और हौस्पेट में हवाई अड्डों के निर्माण के लिये स्थान चुन लिये गये हैं तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं

(ग) बीजापुर और हौस्पेट में हर मौसम के लिये उपयोगी हवाई अड्डों पर मोटे तौर पर क्रमशः 43.55 लाख तथा 55.43 लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है।

बीजापुर और हौस्पेट के लिये हवाई अड्डों के स्थान निकटतम रेलवे स्टेशन से क्रमशः 3 और 1 मील दूर हैं ।

Raising of Pro-Pakistani Slogans in Meerut

1802. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the time of demonstrations againts Sheikh Abdullah in Meerut on the 28th January, 1968, thousands of persons had attacked from the building of Nadir Ali Company raising slogans of Pakistan Zindabad ;

(b) whether it is also a fact that the attack from the said Company was pre-planned and made at the instance of Pakistan ;

(c) if so, whether Government propose to enquire into the affairs of the said company ;

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a), (b), (c) and (d) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली प्रशासन के जांच-अधिकारी

1803. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963-64 में दिल्ली प्रशासन के जिन कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये थे, उनमें से कितने मामलों पर विभागवार जांच-अधिकारियों ने अभी तक निर्णय नहीं दिया है ;

(ख) कितने मामलों में विभागाध्यक्षों तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने यह आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त, 1967 से पहले अनेक मामलों का निपटारा कर दिया जायेगा, किन्तु जो अभी तक जांच अधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़े हुए हैं ; और

(ग) उपरोक्त अधिकारियों के आश्वासनों के बावजूद इतने अधिक विलम्ब के लिये दिल्ली प्रशासन ने इन जांच-अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) जांच-अधिकारियों के पास तीन मामले अनिर्णीत पड़े हैं। सहकारिता विभाग के दो मामलों में जांच के विवरण पूरे किये जा चुके हैं और जाँच-अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। यहाँ विलम्ब, अपचारी अधिकारियों द्वारा अपनाई गई विलम्बकारी चाल और जाँच-अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण हुआ। एक अन्य मामला, जिसका उद्योगों के निदेशक से सम्बन्ध है और जिसके बारे में मुख्य कार्यकारी पार्षद ने एक आश्वासन दिया था, जाँच-अधिकारी के पास, जाँच-अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने और विवादास्पद दस्तावेजों पर सरकारी परीक्षक के प्रतिवेदन के समय पर न मिलने के कारण, अनिर्णीत पड़ा है। प्रतिवादी परीक्षक के प्रतिपरीक्षण के लिये और प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिये आग्रह कर रहा है तथा उसने वर्तमान जांच-अधिकारी से मामले का स्थानान्तरण किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है। चूंकि विलम्ब जांच-अधिकारी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ इसलिये उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश के उप-राज्यपाल का सैनिक सचिव

1804. **श्री सेज़ियान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के उप-राज्यपाल के लिये एक सैनिक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस नियुक्ति की स्वीकृति देने से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से परामर्श किया था ; और

(ग) सैनिक सचिव नियुक्त करने का सुझाव सरकार को किसने दिया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क), (ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन एक विशेष कार्य अधिकारी (सीमा) का पद विद्यमान था। केन्द्रीय सरकार के एक अधिकारी की इस पद पर 28 फरवरी, 1966 को नियुक्ति की गई। उसके तनादले पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत की स्वीकृति से एक सैनिक अधिकारी की इस पद पर नियुक्ति की और उसे विशेष कार्य अधिकारी (सीमा) तथा सैनिक सचिव का पदनाम दिया। पहले से ही चलते आए पद का केवल नाम ही बदला गया है। चूंकि यह प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था इसलिये भारत सरकार का हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से परामर्श करना जरूरी नहीं था।

पांडिचेरी बन्दरगाह

1805. **श्री सेझियान** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी बन्दरगाह की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या मैंगनीज अयस्क का निर्यात और उर्वरकों का आयात पांडिचेरी बन्दरगाह से करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बन्दरगाह से 1968-69 में आयात और निर्यात का लक्ष्य क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):

(क) (ख) और (ग) पांडिचेरी पत्तन की वार्षिक क्षमता 2 और 3 लाख टन के बीच है, परन्तु इस समय वहाँ पर 90,000 टन यातायात की धरा-उठाई होती है। यह पत्तन मुख्यतः लोह धातुक की धरा-उठाई के लिये बनाया गया था। लेकिन यह इस प्रयोजना के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है क्यों कि यहाँ पर मशीनों द्वारा धरा-उठाई करने की आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। मद्रास से मैंगेनीज धातुक निर्यात को अन्य पत्तनों में भेजने का प्रस्ताव नहीं है क्यों कि मौजूदा बाजार की दशाएं इस बात की सलाह नहीं देती हैं। पांडिचेरी पत्तन की क्षमता का अधिकतम संभव इस्तेमाल करने के लिये इस पत्तन से 1968-69 में एक लाख टन उर्वरक आयात करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्री-मैडिकल पाठ्यक्रम

1806. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय में प्री-मैडिकल पाठ्यक्रम समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार उन विद्यार्थियों के लिए कौन से अवसर प्रदान करेगी जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैडिकल पाठ्यक्रम लेने के इच्छुक होते हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई कछार सड़क

1807. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल से कछार तक नई सड़क के निर्माण पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ;

(ख) क्या सड़क का निर्माण-कार्य सेना के इंजीनियरिंग स्टाफ को सौंपा जा रहा है ; और

(ग) निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) असम/मणिपुर सीमावर्ती क्षेत्र में सिलचर से जीरी नदी तक एक सड़क पहले ही मौजूद है। इम्फाल से जीरी तक बनायी जा रही सड़क नयी कछार सड़क कहलाती है। जनवरी, 1968 के अन्त तक 247.00 लाख रु० इस निर्माण-कार्य पर व्यय हो चुका है।

(ख) जी हाँ। 1-4-68 से इस सड़क का निर्माण-कार्य सीमान्त सड़क संस्था को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

(ग) मणीपुर में नयी कछार सड़क की दूरी 148 मील है जिसमें से 10 मील की लम्बाई में सड़क पहले ही मौजूद है। मिट्टी का काम 16 फीट चौड़ाई में 121 मील की लम्बाई में पूरा हो गया है। 21 मील लम्बाई में पत्थर और रोड़ी बिछाने का काम पूरा हो गया है और 17 मील की लम्बाई में यह काम जारी है। 21 मील लम्बाई में पुलियाँ तैयार हो गयी हैं और 23 मील की दूरी में बनायी जा रही है। 6 बड़े पुलों में से एक पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी गयी है। शेष 5 पुलों के प्राक्कलनों में से 3 पुलों को मणीपुर सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है और दो पुलों के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

मनीपुर में कुकी लोगों का अवैध प्रवेश

1808. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या गत कुछ महीनों में बर्मा से बड़ी संख्या में कुकी लोगों ने मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश किया है ;

(ख) यदि हाँ तो कितने कुकी लोगों ने अवैध रूप से प्रवेश किया है ; और

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने पुनर्वास का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है तथा इस काम पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) पिछले कुछ महीनों के दौरान लगभग 2000 कुकी लोगों ने बर्मा से मनीपुर में प्रव्रजन किया। मनीपुर की सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है तथा उनके पुनर्वास के लिये

आवश्यक प्रयत्न कर रही है । अब तक उनकी आर्थिक सहायता के उपायों पर ! लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

निम्न आय-वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता

1809. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967–68 के लिये मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता देने के लिये लाख रुपये की राशि निर्धारित कीगई है ;

(ख) क्या मनीपुर प्रशासन विद्यार्थियों को यह सहायता इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कसौटी के अलावा किसी और कसौटी के आधार पर देगी ; और

(ग) यदि हाँ, तो नया आधार क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना मणिपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रियों द्वारा पुस्तकें लिखा जाना

1810. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई पदासीन मन्त्री जो सरकारी सामान तथा मशीनरी का प्रयोग करके एक पुस्तक लिखता है, किसी गैर-सरकारी प्रकाशन के माध्यम से उसे प्रकाशित करवा सकता है और ऐसी पुस्तक की बिक्री से अर्जित रायल्टी का विनियोजन कर सकता है ;

(ख) यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नियम निर्धारित किये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) सरकारी मशीनरी तथा सामान इस प्रकार से प्रस्तुत किये जाने के लिये नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

नागाओं-मिजो लोगों द्वारा लगाये गये कर

1811. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं और मिजो लोगों की तथा-कथित संघीय सरकार ने उन अपने क्षेत्रों में चलने वाली मोटर गाड़ियों पर कर लगा दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुकी और मिजो विद्रोहियों ने 23 जनवरी, 1968 को तापोऊ नामक स्थान के निकट इमारती लकड़ी से भरे हुए दो ट्रक पकड़ लिये थे और प्रत्येक ट्रक के लिये, 5,000 रुपये की फिरौती माँगी थी ;

(ग) क्या सशस्त्र कुकी और मिजो विद्रोहियों के कई दल पोनलेन और लोनपी से मनीपुर क्षेत्र में लारखोंग की ओर जा रहे थे ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी नहीं, श्रीमान् । परन्तु उपद्रवियों द्वारा अवैधानिक वसूली की कुछ रिपोर्टें हुई हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरी ग्रेज्युएट

1812. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश के इंजीनियरी ग्रेज्युएटों का 22 दिसम्बर, 1967 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था और उन्होंने योजना आयोग से अनुरोध किया था कि वह प्रति वर्ष नियुक्त किये जा सकने वाले इंजीनियरी ग्रेज्युएटों की संख्या का वास्तविक अनुमान लगायें ताकि कालेजों में उनके प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके ;

(ख) क्या विद्यार्थियों ने यह सुझाव भी दिया था कि सरकार विकासशील एशियाई देशों को कहें कि वे भारतीय तकनीकी व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठायें ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) सम्मेलन या उसकी सिफारिशों के बारे में अखबारों में छपी रिपोर्टों को छोड़कर अन्य कोई सूचना सरकार को नहीं है ।

(ग) बेरोजगार इंजीनियरों की सेवाओं का उपयोग करने के सम्बन्ध में विभिन्न उपाय पहले ही सरकार के विचाराधीन हैं ।

कछार में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

1813. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 30 पाकिस्तानी नागरिक, जिनके पास घातक हथियार थे, 4 फरवरी, 1968 को आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर कछार जिले में महादेवपुर गाँव में भारतीय राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आये थे तथा उन्होंने डकैती और लूटमार की और यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) पिछले 3 महीनों में आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा और राज्यस्थान-पाकिस्तान सीमा पार करके पाकिस्तानी डाकुओं ने कितनी बार अवैध रूप से भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्होंने कितने आदमियों को मारा और इसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ; और

(ग) सशस्त्र पाकिस्तानी गिरोहों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से घुसने की

इस प्रकार की बार-बार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रभावशाली कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) 4-2-1968 को रात के एक बजे 6000 रुपये की सम्पत्ति की डकैती की एक रिपोर्ट महादेवपुर ग्राम, कछार जिला (आसाम) के एक ग्रामीण ने गुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है।

(ख) पिछले तीन मास के दौरान पाकिस्तानी डाकुओं ने असम-पूर्व पाकिस्तानी सीमा का अतिक्रमण किया। इन वारदातों में पाँच व्यक्ति घायल हुए और एक मारा गया। लगभग 3,249 रुपये की हानि भी हुई।

राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर अक्टूबर-नवम्बर तथा दिसम्बर, 1967 के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण के 38 मामलों की रिपोर्ट मिली है। इनमें कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तानियों द्वारा उठाए गए 628 पशुओं में से 452 अब तक वापस लिए जा चुके हैं।

(ग) भारत-पाक सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई हैं और कड़ी सतर्कता बर्ती जा रही है।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

1814. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 तक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतें को निपटा दिया गया है तथा कितनी शिकायतों को अभी निपटाया जाना बाकी है ; और

(ग) सामान्यतः शिकायतें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) फरवरी, 1964 में आयोग के प्रारम्भ से ले कर 31 जनवरी, 1968 तक, आयोग को 10,192 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ख) 10,143 शिकायतें को निपटा दिया गया है। 49 शिकायतें 31-1-1968 को विचाराधीन थी।

(ग) ये शिकायतें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों तथा प्रशासनिक प्रकार की शिकायतों से सम्बन्धित थीं।

प्रशासनिक सुधार आयोग

1815. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को प्रशासनिक सुधार आयोग के अब तक कितने प्रतिवेदन मिले हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी जाँच की हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो उनमें क्या निष्कर्ष निकाले गये है ?

(घ) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क), (ख) तथा (ग) आयोग ने अब तक सरकार को निम्नलिखित चार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :–

(i) नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएँ ;

(ii) योजना के लिये संगठन ;

(iii) सरकारी क्षेत्र के संस्थान ;

(iv) वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा ।

नागरिकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित इसकी सिफारिशों पर विचार किया गया है तथा भारत सरकार ने दुष्प्रशासन के कारण हुए अन्याय की शिकायतों या भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करने के लिए एक परिनियत संगठन की स्थापना करने का निर्णय किया है । यह संगठन एक ऐसे लोकपाल के अधीन होगा जिसे केन्द्रीय मंत्रियों तथा सचिवों के प्रशासनिक कार्यों से पैदा हुई शिकायतों तथा अभियोगों की जाँच करने का अधिकार होगा । संगठन में दो अन्य कार्यकारी अधिकरणों के कार्य का भी वह समन्वय करेगा, तथा लोक आयुक्तों के लिये आयोग द्वारा प्रस्तावित स्तर का होगा, जिनमें से एक तो प्रधानतः शिकायतों की जाँच करेगा तथा दूसरा सचिवों से निम्न स्तर के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अभियोगों की जाँच करेगा ।

योजना के लिये संस्थान से सम्बन्धित आयोग की सिफारिशों के विषय में 17 जुलाई, 1967 को लोक-सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । ग्रामीण उद्योग योजना समिति तथा लोक सहयोग स्कन्ध के माध्यम से आयोग में किया जाने वाला कार्यपालक गतिविधियों सम्बन्धित मन्त्रालयों को स्थानान्तरित कर दी गई हैं । राष्ट्रीय विकास परिषद् भी पुनः स्थापित किया गया है तथा आयोग के सचिवालय के आन्तरिक पुनर्गठन का कार्य चल रहा है ।

लोक स्कन्ध संस्थानों के विषय में आयोग की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ।

वित्त, लेखा तथा लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में 13–1–68 को आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की भी जाँच की जा रही है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों के वेतन मान

1816. **श्री हेमराज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों ने अपने वेतन-क्रम कोठारा आयोग द्वारा सुझाये गये वेतनक्रमों के अनुरूप बढ़ाये जाने के लिये प्रदर्शन किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनकी माँग का समर्थन किया है, और उसे मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ । अध्यापकों ने अपने वेतनमान पंजाब में संशोधित वेतनमानों के स्तर तक बढ़ाने के लिये प्रदर्शन किया था।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त (क) के आधार पर वेतनमान संशोधित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास अतिरिक्त धन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

Arrest under D. I. R.

1817. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested in the country under the Defence of India Act during November-December, 1967 and January, 1968 ;

(b) the number of persons amongst them prosecuted ;

(c) the number of persons convicted ; and

(d) the number of cases still pending in the courts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1818. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 और 1967-68 में विभिन्न अवसरों पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की हड़तालों के कारण कितनी उड़ानें रद्द की गयी ;

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष में इन हड़तालों के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को राजस्व की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस कारपोरेशन में बराबर हड़तालों को रोकने तथा कर्मचारियों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) 1966, 1967 और 1668 के दौरान रद्द की गयी उड़ानों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हड़ताल की अवधि	रद्द की गयी उड़ानों की संख्या
1966	28/29-6-66	8
	27/28-7-66	17
	28-9-66	4
1967	21/22-1-67	3
	17-5-67	1
	11.8.67 से 20.8.67	147
1968	16.1.68 से 20.1.68	2
	कुल योग :	182

(ख) : इनमें से प्रत्येक वर्ष में इन हड़तालों के कारण इंडियन एयरलान्स को हुई राजस्व की कुल हानि निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हानि (लाख रुपयों में)
1966	3.04
1967	20.12
1968	0.63

(ग) सरकार ने कारपोरेशन के अन्तर्गत सभी संघों/संस्थाओं को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्हें चेतावनी दी गयी है कि भविष्य में अवैध हड़तालों को बड़ी कठोरता की दृष्टि से देखा जायेगा चाहे उन माँगों का कैसा भी औचित्य क्यों न हो जिनके समर्थन में ये अवैध हड़तालें की गयी होंगी । उनका ध्यान उस दण्डात्मक कार्यवाही की ओर भी दिला दिया गया है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उनके खिलाफ़ की जा सकती है ।

दिल्ली में स्कूटरों, कारों की प्लेटों में देवनागरी के अंकों का प्रयोग

1819. **श्री प्र० के० देव :**
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत सी कारों और स्कूटरों की नम्बर प्लेटें हिन्दी (देवनागरी) अंकों में लिखी होती हैं;

(ख) क्या संविधान के अंतर्गत केवल अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करने की व्यवस्था है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) सामान्यतः दिल्ली के केन्द्रीय क्षेत्र में मोटर गाड़ियों और स्कूटर भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप व्यवहृत करते हैं । फिर भी देखा गया है कि मोटरगाड़ियों। स्कूटर अपने पंजीकृत अंक देवनागरी अंकों (हिन्दी) में प्रदर्शित करते हैं ।

(ख) जी हाँ।

(ग) दिल्ली प्रशासन इस बात को देखेगा कि मोटरगाड़ियों की पंजीकृत प्लेटों पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों का व्यवहार किया जाता है ।

कच्छ में पकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी

1820. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ के क्षेत्र में हाल में पाकिस्तानी घुसपैठियों का एक गिरोह गिरफ्तार किया गया था जो कच्छ पंचाट की घोषणा के समय दंगा कराने के अभिप्राय से समुद्र तट पर भारतीय राज्य-क्षेत्र में घुस आया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ;

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) समुद्र तट पर सीमा गार्डों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय तथा पकिस्तानी राष्ट्रिकों को ले जाती हुई कुछ पाकिस्तानी नावें कच्छ समुद्र तट पर पकड़ी गईं । पकड़े गये व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है । कच्छ पंचाट की घोषणा के साथ में इन नावों की गति-विधियों को संबन्धित करने वाला कोई तथ्य अभी तक प्रकाश में नहीं आया ।

(ख) तथा (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) समुद्र तट की देखभाल के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं तथा समुद्रतटीय क्षेत्र में अधिक सतर्कता से काम किया जा रहा है ।

दिल्ली में राजनैतिक पीड़ित

1821. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने सरकार से सिफारिश की है कि राजनैतिक पीड़ितों को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कुल कितनी राशि है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) जी हाँ ।

(ख) 6,900/- रुपये ।

(ग) दिल्ली प्रशासन की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ।

दिल्ली में मनोरंजन-कर

1822. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने मनोरंजन-कर में वृद्धि करने का केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये प्रस्ताव से सहमत हो गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) दिल्ली प्रशासन ने यह सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश मनोरंजन तथा पण-रक (संशोधन) अधिनियम, 1958 दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र पर लागू कर दिया जाय । उक्त अधिनियम के अधीन सरकार को प्रवेश-शुल्क की 50 प्रतिशत राशि तक मनोरंजन कर वसूल करने का अधिकार होता है, जो कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर अधि-सूचित दरों के अनुसार होगा ।

(ख) प्रशासन यह अनुभव करता है कि उत्तर प्रदेश , पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ में वसूल की जाने वाली दरों को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली में कर बढ़ाना न्यायसंगत है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या–5

1823. **श्री स० कुन्दू** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और विद्युत मंत्री ने उड़ीसा राज्य में बालासोर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के पश्चात्, 6 अक्तूबर, 1967 के अपने पत्र संख्या एम० आई० पी० 4370/67 मे बालासोर के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या–5 के साथ–साथ अतिरिक्त जलपथ की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था ,

(ख) क्या सरकार को सम्बन्धित राष्ट्रीय राजपथ डिवीजन की ओर से कोई प्लान और प्राक्कलन मिला है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि और जलपथ बनाये जायें ;

(ग) यदि हाँ, तो प्लान और प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त निर्माण-कार्य के लिये धन मंजूर कर दिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो धन के कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) जी हां।

(ग) अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर राज्य मुख्य मार्ग प्रायोजन, उड़ीसा ने 4 छोटे पुलों और दो मौजूदा छोटे पुलों के विस्तार, जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है, की सिफारिश की है : -

क्र० सं०	रा० मु० मा० संख्या	पुल की स्थिति	राज्य का मुख्य-मार्ग प्रभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव	अनुमानित लागत
(1)	5	मील 110/3-7	प्रत्येक 40 फीट के 3 दर का छोटा पुल	384000

(2)	5	मील 111/0-1 प्रत्येक 60 फीट के 6 दर का छोटा पुल	1465700
(3)	5	मील 114/0 प्रत्येक 20 फीट के 10 दरों का छोटा पुल	573600
(4)	5	मील 114/4-5 प्रत्येक 26 फीट के 3 दरों वाले छोटे पुल का किसी ओर 4 दर बढ़ा कर विस्तार करना	581400
(5)	5	मील 115/2-3 प्रत्येक 20 फीट के 8 दरों का छोटा पुल	413000
(6)	5	मील 115/6 अमुतिया नाला पुल को प्रत्येक 60 फीट के दरों वाला करके विस्तार करना	1106000

(घ) और (ङ) उपरोक्त (4) और (6) मदों, जहाँ सड़क टूट गयी थी, के अनुमान की जाँच कर ली गयी है और अनुमान को मंजूर करने का प्रश्न विचाराधीन है। शेष अनुमान सड़क के जिन टुकड़ों में टूट फूट नहीं हुई उनके लिए अतिरिक्त जलमार्गों की व्यवस्था से संबंधित है। सड़क के इन टुकड़ों की निगरानी करनें का प्रस्ताव है और आगे की कार्यवाही और अनुभव और अध्ययनों के प्रकाश में की जाएगी।

Kashmir Action Committee

1824. **Shri Bramhanandji** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kashmir Action Committee hassought the intervention of the Central Government to protect the Hindus in Kashmir; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard.

The Minister for Home Affairs (Shri Y.. B. Chavan) :

(a) Yes, Sir.

(b) The matter was brough to the notice of the Government of Jammu and Kashmir. Action is also invited to the concluding part of the reply to Unstarred Question No. 480 given in the House on the 15th November, 1967.

As the House is aware, Central Government have appointed a Commission headed by Shri Justice Raghubar Dayal to inquire into causes and courses of certain communal disturbances and to recommend measures for preveating such distrubances. The State Government have appointed a Commission of the same personnel and the same terms of reference to inquire into communal disturbances at certain specified places in the State on the dates mentioned. The State Government, in consultation with the Union Government, have also appointed a Commission under the Chairmanship of Shri P. B. Gajendragadkar whose terms of reference include consideration of the causes that lead to irritations and tensions and to recommend measures.

Age Limit for Entry in Service for Peons

1825. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the age-limit of 25 years has been fixed for persons to enter Government Service as peons ;

(b) whether it is also a fact that persons who joined Government Service as peons after attaining the age of 21 years are not given further promotion inspite of their qualifying the Departmental tests ;

(c) whether some peons who had been working as clerks after qualifying the Departmental test have been reverted to the posts of peons because they were more than 21 yearsold at the time of their joining as peons ; and

(d) if so, whether Government porpose to modify the rules in this regard ?

Thd Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Class IV employees possessing matriculation or higher qualification are eligible for being considered for appointment to the post of Lower Division Clerk in Offices where this post is filled through the Employment Exchange. For this purpose, they have been given age-concession to the extent of the service rendered by them in Class IV. In view of the reduction, w.e.f. 3-12-1959, of the upper age-limit for Class III Clerical Services from 25 to 21 years, those persons who entered Class IV Service before 3-12-'1959 and who had already completed 21 years of age on the date of entry into Class IV have been given futher age concession for appointment ast Lower Division Clerk, i.e Class IV employees of the following categories are eligible for being considered for appointment to the post of Lower Division Clerk, either on nomination by the Employment Exchange, on along with the nominees of the Employment Exchange, in relaxation of the prescribed age-limit of 21 years for that post :

(i) those who (a) joined Class IV Service before 3rd December 1959, in a MinistryD /epartment/ Office, which had no formal recruitment rules for the post of L. D. C. and which had, therefore, adopted, with effect from 3rd December 1959, the revised maximum age limit of 21 years for the post, of L. D. C. and (b) had not completed 25 years of age on the date of entry to Class IV Service ; and

(ii) those who (a) joined Class IV Service in a Ministry/Department/ Office before the date of amendment to the Recruitment Rules for the post of L.D.C. prescribing 21 years as the maximum age limit for that post and (b) had not completed 25 years of age on the date of entry to Class IV Service.

The concession referred to above is not admissible for appointment to the posts of L.D.C. which are quired to be filled by competitive examinations conducted by the Union Public Service Commission.

As far as is known, there have been a few cases where peons, who had been appointed as Celrks, were subsequently revrted, as they were found to be ineligible, on grounds of age, for appointment as clerk.

(d) The general question is under consideration.

कोचीन पत्तन में विस्फोटक सामान के लिये स्थान (एक्सप्लोजिव्स बर्थ)

1826. **श्री नायनार** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोचीन पत्तन में विस्फोटक सामान के लिये एक बर्थ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को अखिल भारतीय निर्माता संगठन से इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ। कोचीन पत्तन में विस्फोटकों की धरा-उठाई के लिये एक घाट के निर्माण का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटक होटल

1827. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जून, 1967 को समाप्त होने वाले 18 महीनों में, मध्य प्रदेश में "कक्षवार" तथा "पलंग-वार" पर्यटकों के लिये स्वीकृत होटलों में प्रति मास औसतन कितने स्थान भरे हुए थे ;

(ख) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास को छोड़ कर अन्य बड़े पर्यटक केन्द्रों में होटलों में औसतन कितने स्थान भरे रहते हैं ; और

(ग) इन पर्यटक होटलों में कम स्थान भरे जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) (ख) और (ग) अनुमोदित होटलों से ऐसी सूचना देना अपेक्षित नहीं है, इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को धन का नियतन

1828. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में अब तक केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ख) इस निधि का किस प्रकार उपयोग किया गया था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) 1967-68 में राज्य सरकार को देने के लिये बजट में 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही आवंटित कर दी जायेगी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा जिन कामों में यह राशि लगाये जाने का प्रस्ताव है उनकी सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 209/68]**

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले

1829. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 31 दिसम्बर 1967 को मूलक्षेत्राधिकार तथा अपीलीय तथा क्षेत्राधिकार के पृथक्-पृथक् कितने मामले अनिर्णीत थे ; और

(ख) इन मामलों का निबटारा करने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) मूल क्षेत्राधिकार	849
अपीलीय क्षेत्राधिकार	9,548

(ख) अनिर्णत मामलों में कुछ मामले कम्पनी-मामलों से सम्बन्धित हैं जिनकी सुनवाई पक्षों की मृत्यु के कारण न हो सकी । निपटान में विलम्ब का कारण अंशतः दो न्यायाधीशों को दूसरे कार्यों में लगाये जाना भी था, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय को, दो न्यायाधीशों के अभाव में ही, 12 से 15 महीनों की अवधि के लिए काम करना पड़ा ।

संसद् सदस्यों की पश्चिम बंगाल की यात्रा

1830. **डा० रानेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों की एक गैर-सरकारी समिति ने 21 नवम्बर, 1967 के पश्चात् पुलिस की तथाकथित बर्बरता की जाँच करने हेतु दिसम्बर, 1967 के मध्य में पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी ;

(ख) क्या समिति के कुछ सदस्यों ने यात्रा के पश्चात् प्रधान मंत्री से मिल कर उनको अपने अनुभव बताये थे ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने संसद् सदस्यों के प्रतिवेदन पर पश्चिम बंगाल को कोई निर्देश दिया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) तथा (ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) राज्य सरकार को एक पत्र भेजा था किन्तु उन्होंने पुलिस ज्यादतियों के आरोपों को नहीं माना है ।

राष्ट्रीय गीत के गाये जाने पर कथित प्रतिबंध

1831. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के खाद्य मंत्री ने कोयम्बतूर नगरपालिका की एक बैठक में राष्ट्रीय गीत के गाये जाने को रोका था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shops in portions of residential houses in Delhi

1832. **Sbri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a very large number of shops exist in portions of residential houses in many colonies like Rajendranagar, Patelnagar and Defence Colony in New Delhi ;

(b) if so, since when ; and

(c) whether any action has been taken by Government to discourage such infrigements of the provisions of the Delhi Municipal Act, 1957 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Yes, Sir.

(b) The shops start coming up immediately on completion of the buildings. In many cases they existed before the existence of the Delhi Municipal Corporation.

(c) Yes, Sir. As the conversion of residential buildings into shops is actionable under section 347 of the Delhi Municipal Corporation Act, prosecutions are being launched against defaulters.In certain cases offences are compounded on payment of one month's rent per year as compounding charges on the undertaking that the owner would remove the mis-use and as and when required by the competent authority. The D.D.A. also has set up a Sub-Committee to go into the question. The Sub-Committees' recommendations are under consideration of the D.D.A.

पाकिस्तानी उच्च आयुक्त का कथित पत्र जिससे अतुल्य घोष पर दोष आता है

1833. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : **श्री मृत्युंजय प्रसाद** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1968 को "करंट वीक्ली" में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि गृह मंत्रालय जाँच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पाकिस्तानी उच्च आयुक्त द्वारा अपने विदेश मंत्री को लिखा गया पत्र, जिससे अतुल्य घोष पर दोष आता है, जालसाजी का मामला है ;

(ख) क्या गुप्तचर विभाग के अनुसार यह पत्र नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के परामर्शदाता श्री यूरी मेडिन द्वारा लिखा गया था ; और

(ग) क्या सरकार ने रूस तथा पाकिस्तान की सरकारों के साथ इस प्रश्न पर बात की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) जाली दस्तावेज के लेखक के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICE

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण): महोदय मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में एक नोटिस दिया था .....

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सभा के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। केवल इस बात को ध्यान में रख कर कि ध्यान दिलाने वाली सूचना में दिये गये मामले को सभा में रखा जाना चाहिए अथवा नहीं, मैं निर्णय लेता हूँ। मुझे नाम पढ़ कर नहीं सुनाये जाते। अतः मुझे इस बात का भी पता नहीं लगता कि ध्यान दिलाने वाली सूचना किस सदस्य ने दी है। मुझे यह भी पता नहीं रहता कि ध्यान दिलाने वाली सूचना कांग्रेस अथवा विरोधी दलों के किसी सदस्य ने दी है।

श्री भोगेन्द्र झा ने बंगाल के राज्यपाल के वक्तव्य में कही गई परस्पर विरोधी बातों के बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैंने उनको बताया था कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा को सभा के समक्ष रखा जाने वाला है और इस मामले को वाद-विवाद के समय उठाया जा सकता है। उक्त उद्घोषणा को सभा के समक्ष रखा जा चुका है अतः मैंने उनको बताया कि मैं इसको विशेषाधीकार का मामला नहीं समझता।

यदि नियमों में परिवर्तन की यह व्यवस्था कर दी जाये कि प्रश्न के घंटे के पश्चात् एक अथवा दो घण्टों के लिये विशेषाधिकार प्रस्ता अथवा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर चर्चा की जानी चाहिए तो मुझे कोई आपति नहीं होगी। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को सरकार को परेशान करने वाली ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं देने का विशेषधिकार नहीं है। यह विशेषाधिकार विरोधी दल के सदस्यों को उपलब्ध है।

श्री हेम बरुआ : सदस्यों में यह भावना है कि ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को प्रायः मनमाने ढंग से रद्द कर दिया जाता है। इसका उपाय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : नियमों में इसका उपाय दिया गया है। सभी दलों के नेताओं को इस बारे में मिल कर कोई निर्णय करना चाहिए। यदि ऐसे मामलों को प्रश्न घंटे के पश्चात् उठाने का निर्णय किया जाता है तो मैं प्रश्न घंटे के पश्चात् इन मामलों को उठाने की अनुमति दूंगा। अतः माननीय सदस्यों द्वारा इस समय कही गई बातों को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(अन्तर्वाधायें) * *

कल मेरे कहने के बावजूद कुछ बातें समाचार-पत्रों ने प्रकाशित कर दी हैं। यह उचित नहीं है। जब मैं यह कहता हूँ कि कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा तब समाचार-पत्रों को कुछ भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

(अन्तर्वाधायें) * *

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इकानामिक सर्वे

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं इकानामिक सर्वे 1967–68 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 199/68]

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 5 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 481 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 200/68]

भारतीय औद्योगिक संस्था, मद्रास

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): मैं भारतीय औद्योगिकी संस्था, मद्रास, के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 201/68]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to lay on the Table a copy of each of the following notifications issued under sub-clause (2) of the clause (3) of the All India Serives Act, 1951 :

(एक) जी० एस० आर० 1906 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनसूची में कतिपय संशोधन किये गये।

(दो) जी० एस० आर० 1907 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(तीन) जी० एस० आर० 34 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(चार) जी एस० आर० 42 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पाँच) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 43 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय प्रशासन सेवा (वरीयता का विनियमन) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 44 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 45 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) जी० एस० आर० 46 जो दिनाँक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(नौ) जी० एस० आर० 47 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 की अनसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 48 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासन सेवा (भर्त्ती) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 49 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) जी० एस० आर० 50 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(तेरह) जी० एस० आर० 52 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(चौदह) भारतीय प्रशासन सेवा (भर्त्ती) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 53 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 54 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(सोलह) जी० एस० आर० 55 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये ।

(सत्रह) जी० एस० आर० 56 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पादाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(अट्ठारह) जी० एस० आर० 57 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(उन्नीस) भारतीय प्रशासन सेवा (वरीयता का विनियमन) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 58 में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 59 में प्रकाशित हुए थे ।

(इक्कीस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 60 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) जी० एस० आर० 61 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेईस) जी० एस० आर० 63 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 11 फरवरी, 1967 की जी० एस० आर० 177 का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

(चौबीस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम 1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 100 में प्रकाशित हुए थे ।

(पच्चीस) जी० एस० आर० 102 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(छब्बीस) जी० एस० आर० 103 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(सत्ताईस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पांचवां संशोधन विनियम,1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 104 में प्रकाशित हुए थे ।

(अट्ठाईस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन,

विनियम, 1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 105 में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्तीस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन, विनियम, 1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 106 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीस) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) चौथा संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 107 में प्रकाशित हुए थे।

(इकत्तीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 108 में प्रकाशित हुए थे ।

(बत्तीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन, विनियम, 1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 109 में प्रकाशित हुए थे ।

(तैंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 110 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) चौथा संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० 111 में प्रकाशित हुए थे ।

(पैंतीस) जी० एस० आर० 149 जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(छत्तीस) जी० एस० आर० 150 जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भरत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(सैंतीस) जी० एस० आर० 183 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(अड़तीस) जी० एस० आर० 184 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 202/68]

भारतीय संग्रहालय न्यासी बोर्ड, कलकत्ता का वर्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं भारतीय संग्रहालय-न्यासी बोर्ड, कलकत्ता के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 203/68]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES' COMMITTEE

30 वां० प्रतिवेदन

श्री वेंकटसुब्बया : मैं वित्त मंत्रालय–विदेशी मुद्रा के बारे में प्राक्कलन समिति का तीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

सदस्य की दोषसिद्धि के बारें में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE: CONVICTION OF A MEMBER

(श्री समर गुह)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूँ कि मुझे कन्टाई के सब-डिविजनल अधिकारी से दिनांक 22 फरवरी, 1968 को वायरलैस द्वारा निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है कि :

"लोक-सभा के सदस्य श्री समर गुह ने प्रसोपा के स्थानीय यूनिट द्वारा आरम्भ किये गये सत्याग्रह के सम्बन्ध में अपने आपको गिरफ्तार करवाया है और प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट श्री बी० सी० मैला की अदालत में दाखिल हुए और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228/ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 के अन्तर्गत कन्टाई में 22 फरवरी, 1968 को अदालत का अवमान करने के कारण 22 फरवरी, 1968 को अदालत के उठने के समय तक का दण्ड दिया गया है ।"

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्री समर गुह ने 12 लाख पीड़ित लोगों को राहत दिलाने के शान्तिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह किया था । उनको गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह सत्याग्रह कर रहे थे । इसलिये उनको अदालत के उठने के समय तक का दण्ड दिया गया था ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री रामसुभग सिंह): मंगलवार 27 फरवरी, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर, जो श्री बलराज मधोक द्वारा पेश किया जायेगा, चर्चा ।

(2) वर्ष 1968-69 के लिये रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा ।

(3) श्री नाथ पाई तथा अन्य सदस्यों द्वारा बुधवार 28 फरवरी, 1968 को 4 बजे म० प० पर एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर बिहार में संवैधानिक गतिविधियों पर चर्चा ।

जैसा कि सदस्यों को मालूम है, वर्ष 1968-69 के लिये सामान्य बजट 29 फरवरी, 1968 को 5 बजे म० प० पर पेश किया जायेगा ।

ShriBhogendra Jha (Jainagar) : Sir, I object to the way of your holding the proceedings. I do not want to make noise. So I am staging a walk-out in protest.

(इसके पश्चात माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये)

(Then the Hon. Member walked out of the House.)

नेशनल फिटनैस कोर के विकेन्द्रीकरण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: DECENTRALISATION OF NATIONAL FITNESS CORPS

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : सभा को पता है कि कुंजरू समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप, कि स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा पद्धति में शामिल एक समेकित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर नामक एक समेकित कार्यक्रम तैयार किया गया था। यह शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और सहायक केडेट कोर कार्यक्रमों का स्थान ग्रहण करेगा।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई थी और इस बातचीत के फलस्वरूप निम्नलिखित निर्णय किये गये थे कि :

(1) 1965-66 के शिक्षा वर्ष से मिडिल, हाई और उच्च माध्यमिक स्कूलों के सभी विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के रूप में एक ही बहुद्देशीय शारीरिक शिक्षा की अनिवार्य पाठ्यचर्या कार्यकलाप कार्यक्रम होना चाहिए और कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसको पद्धतिबद्ध ढंग से सभी स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए । रस कार्यक्रम के लिये हाई तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(2) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लगभग 7000 अनुदेशकों के नियंत्रण को, जो खण्ड में योजना के आरम्भ से केन्द्रीय कर्मचारी थे, विकेन्द्रित कर दिया जाय तथा राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये उनकी संवाओं को राज्यों को सौंप दिया जाये ।

उपरोक्त निर्णयों के फलस्वरूप सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को केन्द्र से राज्यों में हस्तान्तरित करने सम्बन्धी शर्तें तैयार की गई थीं और इस प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत भी की गई थी। इन शर्तों को तैयार करते समय यह सुझाव दिया गया था कि अनुदेशकों के वेतन तथा भत्तों को ज्यों का त्यों रखा जाये यद्यपि उन को राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई शर्तों को स्वीकार कराने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंच वर्षीय योजना की पूर्ण अवधि में राज्यों को स्थान्तरित किये जाने वाले कर्मचारियों का पूरा व्यय वहन करने का विचार व्यक्त किया।

दुर्भाग्यवश, कोई भी राज्य सरकार प्रस्तावित हस्तान्तरण की शर्तों पर सहमत नहीं हुई। इसके निम्नलिखित दो मुख्य कारण हैं :

(1) राज्य सरकारों के लिए इन कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वेतनमान देना सम्भव नहीं बन पड़ा ; और

(2) राज्य सरकारें स्थानीय प्राधिकार के अधीन तथा गैर-सरकारी स्कूलों में नियुक्त किये जाने वाले अनुदेशकों की जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं हैं।

इस बात को देखते हुए स्थानांतरण की नई शर्तें तैयार करना आवश्यक हो गया है जो कि राज्य सरकारों को स्वीकार हों। मामले पर विचार किया जा रहा है। जैसे ही नई शर्तें तैयार कर ली जाती हैं इन अनुदेशकों को स्थानान्तरण करने के लिये राज्य-सरकारों से 1968-69 में बातचीत आरम्भ की जायेगी

हमारा यह प्रयत्न होगा कि राज्य सरकरों, स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं को इन अनुदेशों का हस्तांतरण शान्तिपुर्ण हो। कोई निर्णय लेने से पूर्व अनुदेशकों, शिक्षा की आवश्यकताओं तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पर नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो कुछ समय पश्चात् मैं चर्चा की अनुमति दूँगा। परन्तु प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

दिल्ली में अध्यापकों की हड़ताल के बारे में

RE:TEACHERS' STRIKE IN DELHI

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मेरा निवेदन है कि आप शिक्षा मंत्री को अध्यापकों की हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य देने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था प्रधान मंत्री 2.30 बजे उत्तर देंगी।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : An Hon. Member belonging to a particular party has instigated the communal feelings by saying that our President is a Mohammedan and that is why the communal riots are on the increase now-a-days. I would simply say that the hon. Member has done no good to the country and he should be reprimanded for this part of his speech.

The President in his address has made an appeal to maintain the national unity achieved during the freedom struggle because destructive elements are raising their heads in all parts of the country i.e. from Assam and Nefa to Kutch in Gujarat and from Kashmir to Cape Camorin. In certain parts these anti-national activities have achieved alarming proportions. The President has also appealed to keep the national unity above part-politics. I hope the various political parties will give due attention to this appeal because unless we are united we cannot safeguard our independence.

The language problem is not the concern of the Congress party alone. Whichever party comes in power in Centre will have to face this difficulty. I would, therefore, appeal to all the parties that they should not use the language problem as an instrument for their political ends. There are hundred and one problems now facing the country. Political parties can influence the will of the people through them. But I would appeal that such issues should not be exploited as may hit at the very root of our security. Whatever the reasons may be, the agitations such as "Free Tamilnad' should be condemned at all ends. I have been in Madras for three days. I have seen that the public in general is not taking part in the anti-Hindi agitation.

So far as our economic development is concerned it is deteriorating day by day. There is no doubt that development has taken place but the rate of growth is too slow. We have not been able to fulfil our promises of rich and prosperous life given to the people. After twenty years of independnce we are facing bankruptcy. We have no money to execute our plans. Long talks have been made about socialism but we have not achieved it so far. Efforts on war footing should be made to put the country on road of socialism. Determined efforts should be made to raise the standard of living of the people otherwise many other problems will creep up. Recent riots in Gauhati should be taken as a warning for future.

Non-Congress Governments have come into being in many States after the recent general elections. But they have not worked according to the wishes of the pople thus creating a situation of political uncertainty. In my view only Congress can lead the country in a porper way in such a situation of political uncertainty.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : I am thankful to the Chair for affording me an apportunity to express myself on the President's address.

The President has mentioned many problems in his address. The main problems facing the country are of untouchability and of backward classes. These problems are there due to economic and social imblance. Old age pension, unemployment relief and other facilities as are mentioned in Article 41 of the Constitution are not provided to these people. These facilities should be made available.

Labourers and working classes are exploited by the vested interests. Even today the Minimum Wage Act has not been implemented. Under Article 340 of the Constitution the Backward Classes Commission was constituted but its report has not been considered and has been put in the cold storage.

There is right to equality under Articles 14 and 15 of the Constitution and untouchability has been removed under article 17. Similarly there is a provision for the education of people of Scheduled castes and Scheduled Tribes and protection against exploitation. But none of these has been implemented.

In the villages the agriculture labourers live in the ratio of 50 persons in one acre whereas the people of high caste live in the ratio of one in one acre. Our demand is land to the tiller, Rickshaw to the puller and Jhuggi Jhaunpri to the dweller.

The family planning has failed. You must take the provisions of Child Marriage Act of 1929 as cognizable offence.

The Muslims should not be looked with suspicious eye and Urdu is not their language alone. It should be given a special status.

The pllitical parties are not free from the casteism. Many persons of Scheduled castes and Scheduled Tribes have been murdered because they happen to occupy somewhat elated position in the society.

We want some concrete steps to be taken by the Government in this regard.

श्री वि० ना० शास्त्री (लखीमपुर): महोदय, मैं अपने मित्र श्री चन्द्रजीत यादव के प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपति ने देश के सामने जो मुख्य समस्याएँ हैं उनकी ओर संकेत किया है। दो मुख्य समस्यायें ये हैं, वे हैं: जनता की गरीबी को दूर करना और जनता को ऊँचा उठाना। इन समस्याओं की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये। कुछ गाँवों में तो पीने का पानी भी नहीं है।

देश में फूट की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जो क्षेत्र तथा भाषा के नाम पर पनप रही हैं। इन फूट की प्रवृत्तियों का बड़ा कारण राजनीतिक नहीं, आर्थिक है।

असम में सिचाई की सुविधा होनी चाहिये। असम औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ तेल निकाला जाता है परन्तु वहाँ तेल का भाव अन्य स्थानों से मंहगा है।

प्रत्येक राज्य का कर्त्तव्य है कि कानून तथा व्यवस्था कायम रहे।

भाषा का प्रश्न नौकरियाँ प्राप्त करने के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। गोहाटी में 26 जनवरी की घटनाओं का सम्बन्ध असम की पुनर्गठन की समस्या से जुड़ा हुआ था।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मैं अपना संशोधन संख्या 92 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत है।

श्री वीरभद्रा सिंह (महासू): अध्यक्ष महोदय, संसद् के सामने दिये अभिभाषण के लिये हम राष्ट्रपति के आभारी हैं।

इस वर्ष खाद्यान्न स्थिति सुधरने वाली है । यह शर्म की बात है कि स्वतन्त्रता के 20 वर्ष बाद भी हम अन्न के लिये दूसरों पर आधारित हैं । अब हम इस वर्ष अधिक अन्न उत्पन्न करने की स्थिति में हैं तो हमें आगे के लिये अपने प्रयासों में कमी नहीं आने देनी चाहिये । खाद्यान्न के बारे में क्षेत्रों की नीति पर भी पुनर्विचार करना चाहिये क्योंकि इस से किसी को भी लाभ नहीं हुआ है ।

भाषा के नाम पर देश में विघटन करने वाली शक्तियां कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय ध्वज को भी जलाया गया है और उसके बारे में केवल चार विद्यार्थियों को पकड़ा गया जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । सरकार को राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये । ऐसे मामलों पर सारे राजनीतिक दलों को बैठ कर विचार करना चाहिये जिनका संसदीय लोकतंन्त्र में विश्वास है। मैं तो कहूँगा कि केन्द्रीय सरकार की इस मामले में कमजोर नीति रही है । यहाँ प्रश्न भाषा का नहीं है अपितु राष्ट्र की एकता का है। भारत में बहुत सी भाषायें बोली जाती हैं परन्तु एक सम्पर्क भाषा का होना आवश्यक है और वह भाषा केवल हिन्दी ही हो सकती है।

पाकिस्तान तथा चीन को छोड़ कर हमारे सब राष्ट्रों से अच्छे सम्बन्ध हो रहे हैं।

मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में चीनी शासकों द्वारा तिब्बती लोगों पर किये जाने वाले अत्याचारों का जिक्र नहीं किया गया है । चीन तिब्बती जाति को मिटाने में लगा है। सरकार को तिब्बत के बारे में अपनी नीति बदलनी चाहिये और चीनी साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने हेतु जो संघर्ष वे लोग कर रहे हैं उसमें हमें उनकी हर संम्भव सहायता करनी चाहिये ।

हिमाचल प्रदेश के लोगों की मांग के बारे में मेरा यह निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का स्तर दिया जाये । इस बात पर हिमाचल प्रदेश के लोग एक लम्बे अर्से से असंतुष्ट हैं । जब से पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिले हैं तबसे यह माँग और अधिक जोर से की जा रही है । हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने भी इस आशय का एक संकल्प पास किया है । क्षेत्र या जनसंख्या की कमी और वित्तीय स्थिति की निर्बलता का तर्क देकर इस माँग को टाल दिया जाता है। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के इसमें मिल जाने पर क्षेत्र और जनसंख्या की कमी की बात पुरी हो जाती है । अब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र 22,000 वर्ग मील है जो पंजाब, हरियाणा या केरल के क्षेत्र से अधिक है । यहाँ की 29 लाख की जनसंख्या है, जो जम्मू और काश्मीर की जनसंख्या के बराबर है । जहाँ तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं बताया जा सकता है । इस प्रकार उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हिमाचल प्रदेश को राज्य स्तर नहीं दिया जा सकता। अतः मेरा अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों की उचित माँग पूरी की जाये ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : For the tragic incidents which took place in Gauhati, the Central Government is responsible. The Central Government have been warned of it in advance. There are about 17 lakhs of Paskitani nationals who have infiltrated in Assam. The Central Government propose to give India citizenship to such infiltrators at the initiative of a Cabinet Minister, Sri F. A. Ahmad. He should be asked to resign. The Government already know the actitivities of sheikh Abdullah. It is not known why he has been released. Once he was arrested he should have been tried in the courts. His activities often lead to communal riots. He should be given severe punishment for his undesirable activities. It is due to the vascillating policy and indifference of the Central Governament that riots took place on the language issue causing colossal damage to public and private property. There has been increase in the unemployment in the country on account of wrong planning and wrong policies of the Governmnt. Emphasis should be laid on the small projects and small scale industries, which will provide jobs to more people and the problem of unemployment will be solved . Government should pay due attention to agriculture to increase agricultural production. It is the Central Government which is conspiring against the SUD Governments in States, to make them a failure. The Central Government is not helping, particularly financially, the States as much as it should.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : यह सोचना व्यर्थ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण मात्र से फसलें अधिक अच्छी होंगी या उससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी अथवा लोगों के मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन हो जायेगा । अभिभाषण तो वर्तमान परिस्थितियों में सर्वोत्तम ढंग से काम करने की अभिलाषा मात्र प्रकट करता है। केवल घोषणा करने से हम समाजवादी नहीं बन जाते, बल्कि इसके लिये ठोस कार्य की अवश्यकता होती है। राजनीतिक जीवन से जब समर्पण अथवा त्याग की भावना का मिलन होगा, तभी राष्ट्र प्रगति-पथ पर अग्रसर होगा। इस दृष्टिकोण से हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार करना चाहिये ।

मैं पूर्वी अफ्रीका के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चहता हूँ । अन्य संसद सदस्यों के साथ मैंने पूर्वी अफ्रीक का दौरा किया था । भारत से अनेक लोग व्यापार करने के उद्देश्य से पूर्वी अफ्रीका के देशों में गये थे और वहाँ अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने व्यापार में सफलता प्राप्त की, धन कमाया और वहाँ के लोगों का तथा अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाया। अब कीनिया, तनजानिया, यूगांडा आदि देश स्वतन्त्र होने पर वहाँ बसे भारतीय मूल के लोगों के सामने एक संकट उपस्थित हो गया है । कीनिया की सरकार ऐसे लोगों को अपने

देश से निकालना चाहती है। जिन लोगों के पास ब्रिटेन के पारपत्र हैं वे तो ब्रिटेन जा सकते हैं। परन्तु जिन लोगों के पास ब्रिटेन का पारपत्र नहीं है और जो भारत वापिस आना चाहते हैं उन्हें भारत में शरण दी जानी चाहिये। यद्यपि सरकार की नीति स्पष्ट है कि वह किसी अन्य देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परन्तु साथ ही हमें उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिये और भारत में उन्हें शरण देने से इन्कार नहीं करना चाहिये।

तनजानिया का जहां तक सम्बन्ध है वह समाजवाद की ओर निश्चित रूप से बढ़ रहा है। वहां ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जा रहे है कि कोई भी राजनैतिक नेता किसी कम्पनी में हिस्सेदार नहीं हो सकता, या गैर सरकारी कम्पनी का डायरेक्टर या मैनेजर के पद पर काम नहीं कर सकता। वह किराये पर देने के लिये मकान नहीं रख सकता। इस प्रकार से वह समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। वहां पर यह प्रयास किया जा रहा है कि राजनीति व्यापार पर हावी न होने पाये। मैं चहता हूँ कि भारत में भी राजनीति व्यापार में हस्तक्षेप न करे। राजनीतिज्ञों को तो समर्पण और त्याग का सबक सीखना चाहिये। राजनिति में प्रवेश करना तो अपने आपको जनसेवा के लिये समर्पण करना है, कोटा या लाइसेंस लेकर व्यापार करना और उससे लाभ उठाना नहीं है। व्यापार में राजनिति के प्रवेश का मैं कट्टर विरोधी हूँ। आज से हमे जनसाधारण पर समुचित ध्यान देना है, उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठाना है। यह तभी सम्भव है जब कि प्रत्येक राजनैतिक नेता सच्चे समर्पण की भावना से काम करे और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काम करे। ऐसा करने से विघटनकारी शक्तियां समाप्त होंगी और छोटे-छोटे झगड़े नहीं होंगे। राष्ट्रीय झण्डे, राष्ट्र-गान के अपमान की घटनाएं नहीं होनी चहिये। देश को उन्नत बनाने का हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब कि हम सब निष्ठा से तथा सचाई से अपने आप को देश को समर्पित कर दें। हम सदभावना और सहिष्णुता से काम करें और त्याग का मार्ग अपनाएं।

Shri Deorao Patil : (Yeotmal) The President has mentioned the Mysore.-Maharashtra border dispute and Mahajan Commission Report in his Address. I would like to say something about the border dispute between Mysore and Maharashtra. Some Members accused Maharashtra of not honouring the recommendations contained in Mahajan Commission Report. They said that Maharashtra did not want to solve the border dispute. But the fact is otherwise. Maharashtra State wants to solve this dispute amicably and early because it is a long standing dispute. It is on account of this willingness to solve the dispute that Maharashtra accepted the appointment of Mahajan Commission. But it is not possible for Maharashtra to accept the Report as it is , because the Commission has worked on the basis of double standard while examining the issue . It did not apply the uniform principles while coming to the conclusions. Maharashtra considers this report as disappointing. This is the reason why the Maharashtra Assembly passed a Resolution expressing its inability to accept the Report. Moreover the recommendations of a Commission cannot be treated as an award. Otcourse, it is a valuable record even for Parliament.

The dispute between two States is a national issue. It should be solved as soon as possible. In such cases, where both the States have not been able to solve the dispute

mutually, it becomes the sacred duty of the Parliament to discuss and solve such issues from national point of view.

श्री तन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम): प्राय: ऐसा कहा जाता है कि लोकतन्त्र सरकार पारस्परिक चर्चा पर आधारित है लेकिन हमारी सरकार अविवेकशील सरकार है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। हम आज तक इसी अविवेक के परिणाम स्वरूप नुकसान उठाते रहे हैं। पिछले वर्ष अविवेक का सबसे बड़ा नमूना पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में हमारे सामने आया। राष्ट्रपति के शासन के पश्चात् भी वहाँ अभी भी वही राज्यपाल है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण सरकार द्वारा पिछले सत्र में भाषा विधेयक प्रस्तुत करने पर मिला। लेकिन राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि सरकार का उद्देश्य देश में एकता मजबूत करना है। जब तक उनका रवैया ऐसा रहेगा, यह देश के विभाजन की ओर एक कदम होगा। उनको अपना ऐसा रवैया छोड़ना होगा।

राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की थी कि भाषा विवाद समाप्त हो जायेगा। भाषा विवाद समाप्त हो गया होता यदि भाषा विधेयक से संलग्न संकल्प प्रस्तुत न किया गया होता या विधेयक में संशोधन न किया गया होता। देश की एकता भाषा से ऊपर है। कुछ समय प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह गैर-हिन्दी राज्यों के प्रमुख विचारकों का एक सम्मेलन बुलायेंगी और वह यह प्रयत्न करेंगी कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। प्रधान मंत्री को अपने वचन पर दृढ़ रहना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

समस्याओं का समाधान सड़कों पर नहीं किया जा सकता। परन्तु, सरकार स्वयं लोगों को ऐसा करने के लिये मजबूर करती है। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस संबंध में फिर से विचार करे। आंध्र प्रदेश विधान सभा ने भी एक संकल्प पास कर यही निश्चय किया है कि गैर-हिन्दी भाषा भाषियों पर से हिन्दी के भार को हटाया जाना चाहिए। सरकार को दक्षिण को भी देश का भाग समझना चाहिये।

यह दुर्भाग्य की बात है कि कच्छ में हमने राज्य क्षेत्र का एक बड़ा भाग खो दिया है। न्यायाधीश द्वारा दिये निर्णय से यह प्रकट होता है कि रन आफ कच्छ के बारे में हमारा दावा बड़ा मजबूत है। कुछ लोग इस निर्णय को अस्वीकार करने की बात कहते हैं परन्तु ऐसा करने से न केवल हम 300 वर्ग मील के क्षेत्र को ही खो बैठेंगे बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना सम्मान भी खो बैठेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान कहेगा कि भारत पहले एक समझौता को स्वीकार करने के लिये तैयार होता है और फिर उसे अस्वीकार कर देता है। 300 वर्ग मील का क्या कहना। हमने स्वयं पाकिस्तान को भी खो दिया। पंचाट को अस्वीकार कर हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने बने हुए सम्मान को नहीं खोना चाहिये।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : प्रधान मंत्री से सबसे पहले मैं यह अनुरोध करूँगा कि

वह कच्छ पंचाट के सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख न करें क्यों कि वह नियम 343 के अन्तर्गत ऐसा नहीं कर सकतीं। दूसरे इस प्रस्ताव पर मत विभाजन नहीं किया जाना चाहिये।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): सभा में की गई चर्चा से यह आभास मिलता है कि हमारे विपक्षी मित्रों में अब वह साहस नहीं रहा जो गतवर्ष था। विभिन्न प्रकार के, विभिन्न दलों के और विभिन्न विचार धाराओं वाले संयुक्त मोर्चे एक-एक कर के टूट गये हैं। इसके लिये उन्होंने कांग्रेस दल को दोषी ठहराया है किन्तु वास्तविकता यह है कि उनको अपने बारे में गलत फहमियाँ थीं। वह उनकी अपनी ही कमजोरियों और परस्पर विरोधी बातों ने दूर कर दीं।

आज देश को बहुत गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ की सभा में चर्चा भी की गई है। देश की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। देश की सुरक्षा का प्रश्न किसी दल, प्रदेश या स्थान का मामला नहीं है। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर कुछ भावावेग प्रदर्शित किया गया है। ऐसे समय में जब हमारे नवयुवक और पुराने उपद्रवकारी गोहाटी, मेरठ, राँची, मद्रास और भारत के अन्य भाग में उपद्रव कर रहे हैं, मैं इस भावावेग का स्वागत करती हूँ।

चौथी संसद् के सम्मुख मुख्य समस्या भारत की एकता और अखंडता को बनाये रखना है। हमारा सबका यह कर्तव्य है कि हम दायित्व को निभायें और मतभेदों का सड़क पर हल करने के लिये न ले जा कर विचार-विनिमय द्वारा हल करें।

एक वर्ष पूर्व जब चुनाव के परिणाम घोषित किये गये थे तो विश्व को भारत की स्थिरता के सम्बन्ध में शंका होने लगी थी। यदि देश में स्थिरता है तो यह विरोधी दलों के अजीब गुटों के कारण नहीं बल्कि इस कारण से है कि केन्द्रीय सरकार स्थिर और मजबूत है और वह राज्यों की अस्थिरता को भी पूरी तरह संभालने की शक्ति रखती है। हमने यह आशा की थी की सत्ता धारण करने और अधिक उत्तरदायित्व निभाने का जो अवसर विरोधी दलों को मिला है उससे उन्हें और अधिक जिम्मेदार बनने का अवसर मिलेगा। परन्तु, दुर्भाग्य से हमारी आशाएँ पूरी नहीं हुई। हम विभिन्न सरकारों का स्वागत करते हैं। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि ये लोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि में लगे हुए हैं और वह विभिन्न राज्यों में अपने ही सहयोगियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से नहीं हिचकते। कुछ दल तो अपनी सब असफलताओं के लिये केन्द्र को ही दोषी ठहराते हैं।

इस वर्ष प्रकृति ने हमारा साथ दिया है। इसके साथ ही हमें अनगिनत किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जो सहयोग दिया उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। हम यह चाहते हैं कि ऐसा ही रिकार्ड फसल अगामी वर्षों में भी हो। कोई भी देश समस्याओं से मुक्त नहीं है। हमारी सबसे गम्भीर समस्याओं में एक खाद्य समस्या है। हम वसूली तथा उत्पाद नबढ़ाने के अपने प्रयत्नों में कभी नहीं करेंगे। हम दो लाख पम्प सैट मंगा रहे है और 32,000 नलकूप लगा रहे हैं। अगामी वर्ष हम 17 लाख टन उर्वरक की व्यवस्था करेंगे जब कि इस वर्ष हम केवल 13 लाख टन

की व्यवस्था कर पाये। हमारा यही प्रयत्न है कि जैसे प्रयत्न हम कृषि में कर रहे हैं वैसे ही प्रयत्न हम और क्षेत्रों में करते रहें। हमारे द्वारा किये गये कुछ समझौतों से इंजीनियरिंग उद्योग में सहायता मिलेगी।

शीघ्र ही बजट प्रस्तुत किया जायेगा। मेरे सहयोगी उप प्रधान मंत्री ने आज प्रातः आपके सामने आर्थिक सर्वेक्षण का ब्यौरा रखा जिस पर आप अभी चर्चा करेंगे। आज देश में बेकारों की बहुत बड़ी समस्या है विशेषकर इंजीनियरों की। परन्तु इजीनियरों का होना अच्छा है क्यों कि पूँजी तथा सामान तो प्राप्त हो सकता है परन्तु बुद्धि-जीवियों का प्राप्त होना कठिन है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र के कारखानों का उल्लेख किया है। परन्तु उन्हें भी अब विदित हो गया होगा कि सरकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने की नीति ठीक ही थी क्यों कि जब गत वर्षों में देश पर आक्रमण हुआ तो इनके महत्व का पता चल गया। फिर भी इनमें अकार्यकुशलता का होना ठीक नहीं है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल की एक उप-समिति के सामने है और सरकार का इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र ही सभा के सामने आ जायेगा।

हमारी योजना के रूप में विकास की नीति का समर्थन हुआ है। श्री रंगा का कहना है कि योजना से छुट्टी मिलनी चाहिए। मेरा उत्तर यह है कि देश को योजना से छुट्टी नहीं मिल सकती तथा जब तक हमारा दल सत्ता में है हम ऐसी छुट्टी नहीं करेंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कर सके, इसका हमें दुःख है। हम उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे अन्य अल्पसंख्यकों से भी ऐसी ही सहानुभूति है।

श्री विश्वनाथन ने कहा कि मुझे दृढ़ होना चाहिये। परन्तु यदि मैं उनकी बात मान कर उनके प्रश्न पर दृढ़ होती हूँ तो दूसरे कहेंगे कि मैं दृढ़ नहीं हूँ। मैंने वही किया है जो आश्वासन मेरे स्वर्गीय पिता तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिये थे। भाषा के बारे में अधिक बोझ तो केन्द्रीय सचिवालय पर पड़ेगा क्योंकि वह अनुवाद देगा। यह सच है कि अहिन्दी भाषी राज्यों के लोगों पर हिन्दी भाषी के लोगों की तुलना में अधिक बोझ पड़ेगा।

श्री रंगा तथा श्री सी० सी० देसाई ने मुझे परामर्श दिया है कि मैं त्याग-पत्र दे दूं। श्री रंगा ने इसी प्रकार का परामर्श मेरे पिता जी तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया था। श्री सी० सी० देसाई को ऐसा परामर्श देने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह तो आई० सी० एस० में कार्य करते थे जब कि हमारे देशवासियों को जेल में रखा जाता था तथा फांसी पर लटकाया जाता था। बाद में यह व्यापार-धंधे में लग गये।

श्री नाथपाई (राजापुर) : इन्हें उच्च आयुक्त आपके स्वर्गीय पिता ने नियुक्त किया था। आपने ही इन लोगों को इनाम दिया तथा आप उन पर आश्रित थीं और हैं....

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह भी उसी प्रकार चुनाव जीत कर आये हैं जैसे दूसरे

सदस्य आये हैं। प्रधान मंत्री का यह गर-जिम्मेदारी का बयान है। किसी और विषय पर आप बोलिये, क्यों कि ऐसा कहना ठीक नहीं है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं तो केवल श्री रंगा की बातों का उत्तर दे रही थी। आई० सी० एम० के व्यक्तियों को सेवा तथा त्याग के राजनीतिक स्कूल में शिक्षा नहीं मिली है।

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम व्यवस्था के प्रश्न को सुनते हैं।

श्री मुहम्मद इमाम : मैंने प्रधान मंत्री का भाषण सुना है। प्रधान मंत्री को अपने भाषण में इन सदस्यों के प्रति नम्रता दिखानी चाहिये थी जिन्होंने सरकारी नीति का विरोध किया। परन्तु मुझे दुख है कि उन्होंने विपक्षी दल के सदस्यों पर आक्षेप लगाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब मैं अवश्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे प्रधान मंत्री के उत्तर को सुनें। आपको सभा में बहुत बार अपने विचार करने के अवसर मिलेंगे। आपको विभिन्न प्रस्ताव सभा में लाने का अधिकार है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : जहाँ तक वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध है चर्चा के दौरान वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं कही गई है। सामन्यतः वियतनाम और पश्चिमी ऐशिया के सम्बन्ध में बातें कही गई हैं और इनके सम्बन्ध में हमें अधिक कुछ नहीं कहना है। वियतमान में चल रहे युद्ध से हम काफी दुखी हैं और इससे हमें बड़ी चिन्ता है। दक्षिण एशिया में जो घटनाएँ घटी हैं उनसे भी हम चिन्तित हैं। हमारा हमेशा ही यही मत रहा है कि इस समस्या का समाधान सैनिक बल द्वारा नहीं किया जा सकता। हम अभी भी यही बात कहते हैं कि सबसे पहले वियतनाम पर बमबारी रोकी जानी चाहिये और इसके बाद इस झगड़े को विचार-विमर्श द्वारा सुलझाया जाना चाहिये।

पश्चिमी एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए हमने हमेशा कहा है कि प्रत्येक देश को शान्ति और सुरक्षापूर्वक रहने देना चाहिये।

हिन्द-महासागर में घटने वाली राजनीतिक तथा अन्य घटनाओं की ओर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के सब देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण और सन्तोषजनक है। इन देशों की सुरक्षा और स्थिरता सैनिक गठ-बन्धनों पर नहीं बल्कि आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता पर आधारित है।

कच्छ पंचाट का प्रारम्भिक और अन्तिम भाग सरकार को प्राप्त हो गया है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं इन दस्तावेजों की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ। हम पंचाट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि इस बीच इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है अतः मैं सभा को यह सूचित करना चाहती हूँ कि न्यायधिकरण ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि दशमलव 84, सरदारपुर, बिहारबेट, करीमशाही, बारिवेया बेट, 'सर्फबेलबेट' विगोकोट गैंडावेट तथा नारायण बेट श्रंखला भारतीय सीमा में आते हैं और रहीम के बाजार का दक्षिण का कुछ इलाका जिसमे पिटोल वालुकून, कंचरकोट, घाटावानी तथा छाटवेट के क्षेत्र आते हैं, पाकिस्तान का क्षेत्र माना है। जैसे ही जाँच पूरी हो जायेगी

एक और वक्तव्य दिया जायेगा । यदि हम अपने अन्तर्राष्ट्रीय दिये गये वचनों को पूरा नहीं करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा ।

सड़कों पर हिंसात्मक उपद्रव करना एक गम्भीर मामला है । यह बात समझ में नहीं आती कि इतने थोड़े से लोग इतना उपद्रव कैसे कर सकते हैं जब कि अधिकांश लोग उनके साथ नहीं हैं । अतः इन अल्प-संख्यक हिंसात्मक लोगों के विरुद्ध जनमत जाग्रत करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में देश के राजनीतिक और दूसरे नागरिकों की काफी जिम्मेदारी है।

इस सम्बन्ध में मैं सेनाओं के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूँगी । यह बात समझ में नहीं आती कि ये सेनाएँ कौन सी लड़ाइयां लड़ रहीं है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है वहाँ केवल एक ही लड़ाई है और वह है गरीबी के विरुद्ध युद्ध और उसके लिये केवल एक सेना की आवश्यकता है और वह है भारत के सभी लोगों की सेना । साम्प्रयदिकता और हिंसात्मक के आतंक से उत्पन्न स्थिति को दल, प्रदेश जाति से ऊपर समझना चाहिए। एक भारतीय आरम्भ से अन्त तक एक भारतीय है ।

यह स्पष्ट है कि हम कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुकरण कर रहे हैं । वे नीतियाँ आज की आवश्यकता के अनुसार हैं । परन्तु विपक्षियों ने इन कठिनाइयों को बढ़ाया ही है । अभी भी समय है कि हमें राष्ट्रीय प्रश्नों को साथ बैठ कर, विचार-विमर्श कर हल करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नैयर द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 30 और 31 को सभा में मतदान के लिये रखूंगा :

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

Amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 80 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ :

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 44

विपक्ष में 141

Ayes 44 **Noes 141**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 92 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ :

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मसानी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 98 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ :

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में : 58
विपक्ष में : 144
Ayes 58; Noes 144

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 118 और 126 को मतदान के लिये रखता हूँ :

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए
The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री तन्नेटि विश्वनाथम द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 273 को मतदान के लिए रखता हूँ :—

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The Amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ :

अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए
The other amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने 12 फरवरी 1968 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 149
विपक्ष में 66
Ayes 149 Noes 66

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTION

बीसवाँ प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो 21 फरवरी, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो 21 फरवरी, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

भारत को प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में संकल्प—जारी
RESOLUTION RE: DEFENCE NEEDS OF INDIA—CONTD,

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री रणजीत सिंह द्वारा 22 दिसम्बर, 1967 को प्रस्तावित निम्नलिखित संकल्प के सम्बन्ध में चर्चा पुनः आरम्भ करेंगे।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : आज कोई भी लोकतन्त्र देश अपने देश में युद्ध नहीं चाहता। अतः इस संकल्प पर विचार करते समय हमें अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के विश्लेषण के अतिरिक्त अन्य किसी बात के सम्बन्ध में विचार नहीं करना चाहिये। मुझे आशा है कि इस संकल्प को स्वीकार कर रक्षा मंत्री साहस का परिचय देंगे। इस संकल्प के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी गोपनीयता का तर्क दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। गोपनीयता के सम्बन्ध में आपको एक उदाहरण दूँगा। यदि आप प्रतिरक्षा मंत्री से विजयन्त टैंक के चालन के सम्बन्ध में पूछते हैं तो उनका उत्तर होगा कि यह गोपनीय विषय है, इसका ब्यौर नहीं दिया जा सकता। परन्तु इससे सम्बद्ध सब जानकारी बाजार में मिल जाती है। भारत द्वारा बैल्जियम को मशीनगनों के लिये दिये गये आर्डर के सम्बन्ध में हमारे प्रतिरक्षा मंत्री राष्ट्रहित में जानकारी देने से इन्कार करते हैं। परन्तु जब मैं बेल्जियम गया तो भारत द्वारा मशीनगनों का जो आर्डर दिया गया था वह सर्वविदित था और उसको वहाँ नोटिस बोर्ड पर लगाया गया था।

मैं प्रतिरक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि वे किससे रक्षा सम्बन्धी गोपनीयता रखना चाहते हैं ? क्या अमरीका से ? चीन के आक्रमण के पश्चात् अमरीका का एक दल भारत आया था और उसने ही हमारे सशस्त्र बल के प्रसार के लिये एक योजना बनाई थी।

यह विचार उन्होंने ही व्यक्त किये थे कि हमें चीन का मुकाबला करने के लिये 20 डिवीजनों की आवश्यकता है। वायुरक्षा की भी योजनाओं के सब प्रबन्ध उन्होंने ही किये हैं। आप रूस से ये बातें गुप्त रखना चाहते है। उनके विशेषज्ञ भी यहाँ आते है। हमारी शिक्षा संबंधी प्रणाली रूसी प्रणाली पर आधारित है। हम उनसे उपकरण प्राप्त कर रहे हैं, हम उनसे विमान प्राप्त कर रहे है और हम यहाँ मिग विमानों का निर्माण कर रहे हैं।

ऐसा कहा जाता है कि हम चीन से प्रतिरक्षा सम्बन्धी बातें गोपनीय रखना चाहते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जब रूस को इन सब बातों की जानकारी है तो चीन को कैसे नहीं होगी ? आज दुश्मन को हमारी शक्ति का पता लगाने से रोकने में कोई लाभ नहीं ; हमें इसके प्रयोग से उसे जानकारी देने से रोकना चाहिए।

1960 में कुछ यूनिट आपत् आधार पर बनाये गये थे। इनमें से कुछ यूनिट तो सारे भारत में अभूतपूर्व थे। चीन के आक्रमण करने से तीन महीने पूर्व इन यूनिटों को बन्द कर दिया गया था और यूनिट के सब सैनिकों को घर भेज दिया गया था। चीन के आक्रमण के समय एक ओर तो विशेष आरक्षित सेना को बुलाने के आदेश दिये जा रहे थे और दूसरी ओर सेना में कमी की जा रही थी। पाकिस्तान के कच्छ पर आक्रमण करने के नौ दिन पूर्व ही इन यूनिटों को बन्द कर लिया गया। कच्छ में सन्धि होने के पश्चात् इन लोगों को फिर से बुला दिया गया। छम्ब पर पाकिस्तान द्वारा बढ़ते समय हमारी 6 यूनिटों को समाप्त कर दिया गया था।

इसीलिये रक्षा सम्बन्धी जानकारी आवश्यक है ताकि यह जानकारी प्राप्त हो सके कि ऐसे कठिन समय सेना की शक्ति कम करने के लिये कौन जिम्मेदार है ? यह एक ऐसी समिति होगी जिसमें सब विचारों के लोग होंगे और ऐसी ही समिति ऐसे मामलों के बारे में तथा उनके प्रभाव के बारे में छानबीन कर सकेगी। इस प्रकार की समिति ऐसी गलतियों को दूर करेगी और सैनिकों का मनोबल ऊँचा करेगी।

एक मामले में एक उच्च पदाधिकारी को, जिसने लड़ाई के मैदान में बहुत साहस का परिचय दिया था अधिकारी से राय न मिलने के कारण निकाल दिया गया। इसी प्रकार एक कामांडिंग आफीसर अपने परिवार को भी नगर ले आया था और अपने परिवार के लिये पानी लाने के लिये सैनिकों को भेजता था। पानी बड़ी कठिनाई से वहाँ से 1½ मील की दूरी पर प्राप्त होता था। एक बार उस अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी सैनिक ने उसके विरुद्ध कुछ शब्द कह दिये। अधिकारी ने सारी बैटेलियन का खाना बन्द करवा दिया और कहा कि इस बैटेलियन ने मेरे विरुद्ध बगावत कर दी है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): ऐसे मामलों में समिति क्या कर सकती है?

श्री रणजीत सिंह : आप रक्षा सम्बन्धी विषयों के बारे में नहीं समझ सकते इसी लिये मैंने आपको अन्तराष्ट्रीय रक्षा मंत्री के नाम से सम्बोधित किया है। आप अपने देश की रक्षा करने के लिये चिन्तित नहीं हैं बल्कि आप वियतनाम, कोरिया, इसराइल इत्यादि देशों की रक्षा के सम्बन्ध में अधिक चिन्तित है।

इस समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवाओं के हौसले, उनकी शक्ति, उनकी अपने नेताओं के प्रति सजगता और विश्वास कम न होने पाये। यह समिति प्रतिरक्षा मंत्री के कार्यों में सहायक सिद्ध होगी। अब स्थिति ऐसी है कि जिसमें कोई एक व्यक्ति हमारे सैनिक विश्वास जागृत नहीं कर सकता। इस समिति में हर प्रकार की राय का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। यही समिति सभा तथा प्रधान मंत्री को विश्वास दिला सकेगी कि देश सब प्रकार से अपनी रक्षा करने में समर्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा संकल्प करती है कि भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और निश्चित अवधि के अन्तर से उसकी प्रतिरक्षा तैयारियों की जाँच करते रहने तथा देश के सीमान्तों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये प्रतिरक्षा सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति नियुक्त की जाये।"

श्री नायनार (पालघाट) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Amrit Nahata : (Barmer) : The hon'ble Member has referred to in the Resolution that there are inherent weaknesses of democracy.

[**श्री मनोहरन पीठासीन हुए**
Shri Manoharan in the Chair]

I do not agree with these views. It has been proved that the Governments based on democratic system are quite strong in all respects.It is clear from Vietnam that when people of a country are determined to protect their soverignty, no power on earth can undo them.

I want to say that entire nation should be defence-conscious. It has been accepted here that Civil authority is supreme and as such Parliament is supreme. In may opinion our hon'ble Defence Minister has always been consulting the consultative committeeee in all the important matters. We should not blindly agree with the views of Military authoriries. But on the other hand the hon'ble Minister should give serious thought to the views of Military authorities and then take a decision.

In the last conflict between India and Pakistan, Pakistan had occupied the areas of Jaisalmer and Barmer because no attention was paid towards the defence of this part of the country. I know that something is being done in this respect but it is not adequate. Sufficient border roads should be constructed. A railway line from Jaisalmr to Barmer is quite essential from defence point of view. Rajasthan Canal should be developed on the lines of Ichhogil canal in Pakistan. Sufficient communication facilities should also be provided in this border area. Our military is strong ad brave but our borders cannot be safe until our defence requirements are met.

श्री विश्वनाथन् (वड़ीवाश) : सर्वप्रथम मैं प्रस्तावक का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ने यह संकल्प प्रस्तुत करके प्रतिरक्षा की समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने प्रतिरक्षा की शक्ति बढ़ाने के लिये कई सुझाव भी दिये हैं। हमारे देश में प्रतिरक्षा पर काफी बड़ी धन-राशि खर्च की जा रही है। मैं इसकी निन्दा नहीं करता

परन्तु हमें कृषि, उद्योग तथा दलित वर्ग के कल्याण की ओर भी ध्यान देना है। कुछ अन्य देशों में इतनी बड़ी सेना नहीं है परन्तु इनके पास आरक्षित सेना काफी बड़ी है। हम भी ऐसे देशों का अनुसरण कर सकते हैं।

दो देश हमारे शत्रु हैं। इस सम्बन्ध में बातचीत की नीति अपनानी चाहिये। परन्तु इसके साथ जो भी समझौता किया जाये वह सम्मानजनक होना चाहिये। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये स्वीकृत धन—राशि किस प्रकार खर्च की जाती है। मैं प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में की जाने वाली फजूलखर्ची को घटायें। लेखा—परीक्षा प्रतिवेदन में बहुत सी गलतियों और फजूलखर्ची का उल्लेख किया गया है। मैं प्रस्तावक के इस सुझाव से सहमत हूँ कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के मंत्री और अधिकारी वही लोग होने चाहिये जिनको प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी हो। इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

एक दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिरक्षा—प्रधान पाठ्य—क्रम बनाया जाना चाहिये। विद्यार्थियों को प्रतिरक्षा के बारे में कुछ जानकारी अवश्य देनी चाहिये। यह सुझाव बहुत ही आवश्यक और देश-हित का है।

इसरायल ने अपनी उत्कृष्ट वायु सेना के बल पर ही अरब-राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध जीता है। हमारे 'राडार' व्यवस्था में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। हमारी नौसेना भी अधिक शक्तिशाली नहीं है। हालांकि हमारी समुद्री सीमा काफी लम्बी है परन्तु फिर भी, सरकार ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। मेरे विचार में उनके पास कोई पनडुब्बी नहीं है। हमें निश्चय ही अपनी नौसेना को शक्तिशाली बनाना चाहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं प्रस्तावक की भावना को समझता हूँ। मैं स्वयं सेना के मामले मे काफी रुचि रखता हूँ। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूँ कि इस सम्बन्ध में एक स्थायी संसदीय समिति होनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि हमारे सदस्य आत्मरक्षा में गोली चलाने की कला सीखें लेकिन यह ठीक ही कहा गया है कि असैनिक अधिकारियों के अधीन सैनिक अधिकारियों को कार्य करना चाहिये।

हमें इस बात का गर्व है कि हमारे जवान बड़े बहादुर हैं जिनका संसार में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। हमने पाकिस्तान को पराजित किया है और यदि चीन ने भी हमारे देश पर आक्रमण किया तो उसे भी पराजित होना पड़ेगा। हाल ही में संसद् सदस्यों का एक दल टिथवाल गया था जिससे हमारे जवानों को काफी प्रेरणा मिली थी। मैं संसद् सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे शीतकालीन अधिवेशन के बाद फिर अग्रिम मोर्चों पर जायें और उनके उत्साह को बढ़ायें। उन्हे जिस सामग्री की आवश्यकता है हम वह सप्लाई कर रहे हैं।

प्रतिरक्षा का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें सेना का आधुनिकीकरण करना चाहिये। हमारा देश अभी विकासशील है अतः दूसरे विकसित देशों से सहायता लेने में

कोई हानि नहीं है । हमें अपने रहस्यों को गुप्त रखने में किसी प्रकार की ढील नहीं करनी चाहिये । प्रतिरक्षा एक ऐसा मामला है जिसके सम्बन्ध में सभा में खुल कर चर्चा नहीं की जा सकती । इसी के साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि संसद् सदस्य प्रतिरक्षा के मामले में अधिक रुचि लें । मंत्री महोदय को हमें इस मामले में अधिक जानकारी देनी चाहिये । जहाँ पर प्रतिरक्षा का सामान बनता है, संसद् सदस्यों को वे सभी स्थान दिखाये जाने चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं प्रस्तावक के इस तर्क का समर्थन करता हूँ कि संसद् सदन्यों की एक समिति स्थापित की जानी चाहिये जिसे प्रतिरक्षा के मामले में विश्वास में लिया जाना चाहिये और उसे इस मामले में सरकार को सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करना चाहिये । हमारा दल विभिन्न मंत्रालय में अनौपचारिक सलाहकार समितियों के कार्य से संतुष्ट नहीं है और प्रतिरक्षा के मामले में तो निश्चय ही इस प्रकार की समिति से कोई लाभ नहीं है ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के भूतपूर्व गवर्नर श्री एच० वी० आर० आयंगर ने कहा है कि वर्तमान आर्थिक मंदी का मूल कारण यह है कि हमें प्रतिरक्षा पर अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता है । वर्ष 1962 में प्रतिरक्षा के खर्च को बढ़ा कर 800-900 करोड़ पये तक कर दिया गया था परन्तु उस समय उसकी आवश्यकता थी अत: इस वृद्धि पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी परन्तु अब प्रत्येक व्यक्ति यह बात सोचता है कि क्या इस सम्बन्ध में इतनी बड़ी धन-राशि खर्च की जानी चाहिये या नहीं । मेरे विचार में अब प्रतिरक्षा के बजट को सामान्य बजट का अंग बना देना चाहिये और इस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिये । प्राक्कलन समिति ने हाल ही में प्रतिरक्षा के एक पहलू पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । उसमें कहा गया है कि प्रतिरक्षा अनुसंधान के लिये अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये । हम इसी बात को प्रतिवर्ष कहते रहे हैं क्यों कि हम यह महसूस करते हैं कि अन्य देशों की अपेक्षा प्रतिरक्षा अनुसंधान पर हमारे देश में कम धन खर्च किया जाता है ।

हमे विमानों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है । मैं जानता हूँ कि आधुनिक सैनिक-कार्यवाही के लिये अपेक्षित सभी प्रकार के विमानों के सम्बन्ध में एकाएक आत्मनिर्भर होना कठिन है परन्तु हमें इस दिशा में प्रगति करनी चाहिये । मैं मानता हूँ कि इस सम्बन्ध में कुछ अच्छा कार्य किया गया है परन्तु विमानों के सम्बन्ध में न्यूनतम मानकीकरण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इसका सम्बन्ध फालतू पुर्जों आदि से जुड़ा हुआ है और इसकी उपेक्षा की जा रही है जिसके फलस्वरूप हमे काफी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है ।

देश के अन्दर विमान सम्बन्धी परियोजनाओं की हमें जानकारी दी जानी चाहिये । लोकहित के नाम में हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है । मैं यह जान कर चकित रह गया कि सरकार ने 'एलन ब्राग' नाम के एक अमरीकी व्यक्ति को शिमला में एक वर्कशाप स्थापित करने के लिये 8 लाख रुपये पेशगी दिये थे । इसमे हेलीकाप्टर बनाये जाने थे ।

कई वर्ष बीत गये हैं परन्तु मुझे पता चला है कि वहाँ पर जो मशीनें बनायी गई हैं वह उड़ने में असफल रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार लाखों रुपये क्यों खर्च किये जा रहे है ? संसद् को तथा इस देश को यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिये मैं इस समिति को स्थापित करने का समर्थन करता हूँ जिसका प्रस्तावक ने सुझाव दिया है जिससे हमें कुछ जानकारी मिल सकेगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Mr. Chairman, I am grateful to Shri Ranjit Singh that he has brought forward this resolution and given us an opportunity to discuss the defence affairs. I have myself seen that defence preparedness is now twice and thrice times more than what it was five years ago.

I would congratulate the hon. Home Minister for the good work done in border roads and main supply lines. We have a border of 2500 miles and it is always a vulnerable spot.

Our Jawans are now living in very hazardous conditions on the border and they are defending our country. We should provide them with necessary facilities.

Our Jawans have to remain away from their children for a long time. I suggest that they should be permitted to live with their families for 4-6 months at peace stations after such long periods. I also suggest that the period of their leave should be increased so that they may come after six months. I want more family quarters to be built for them.

When the army personnel return to their homes after retirement, they find that they have to part company with joint family and thus are put to much loss. I want some compulsory deductions to be made from their salaries to be paid to them at the time of their retirement so that they may not be put to unnecessary hardship. It will also inculcate a sense of security in them.

The salaries of the armed forces personnel should be increased. We may not hesitate to impose more taxes on ourselves for this purpose if need be. The army personnel do not have trade unions and other such things and as such we should of our own accord look to their interests. They should be provided with relief.

Some M.Ps. who are interested in defence affairs should be taken to army, air force and naval units during inter-session periods so that the Jawans may feel encouraged and we may know their problems in a better way.

श्री नायनार (पालघाट) : मैं श्री रणजीत सिंह के प्रस्ताव से सहमत हूँ कि सुरक्षा के बारे में एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये परन्तु मेरा एक संशोधन है कि उस समिति के प्रतिवेदन पर संसद् में चर्चा होनी चाहिये।

आधुनिक युद्ध के तरीकों में परिवर्तन हो रहा है। अब हिटलर के तरीके समाप्त हो गये हैं। अमरीका को भी वियतनाम में तीन करोड़ लोगों के देश ने तंग कर दिया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

हमें अपनी सेना में राजनीतिक शिक्षा देनी चाहिये ताकि हमारे जवानों में भी वही जोश पैदा हो। यह दुःख की बात है की जिन व्यक्तियों को 1962 के युद्ध के समय अधिकारियों के रूप में भर्ती किया था उसे अब सेना से अलग किया जा रहा है तथा

साथ ही अन्य नये अधिकारी भर्ती किये जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों को तो केवल इस कारण बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि वह हिन्दी की परीक्षा पास नहीं कर सके। अधिकारियों में अभी तक नौकरशाही की प्रवृत्ति है तथा उनका जवानों के प्रति व्यवहार उचित नहीं है।

सेना में सब प्रकार के समाचार-पत्रों के पढ़ने की छूट देनी चाहिये। जिन्हें सेना की नौकरी से निकाला जा रहा है उन्हें वैकल्पिक नौकरियां मिलनी चाहिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरी) : महोदय मैं संसद् की उस समिति का तो स्वागत कर सकती हूँ जो जवानों की सुविधाओं के बारे में सोचे परन्तु मैं ऐसी समिति के बारे में सहमत नहीं हूँ जो सेना की तैयारी के बारे में पता लगाये। इसी कारण मैं प्रस्ताव का विरोध करती हूँ।

यह कहना उचित नहीं है कि सेना में अधिकारियों का व्यवहार अच्छा नहीं है। अब बहुत से स्कूल सेना में ऐसे हैं जहाँ अधिकारियों तथा नीचे की श्रेणियों के लोग साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई दुःखी व्यक्ति झूठी कहानी संसद सदसयों के सामने आकर कहते हैं और इसलिये सदस्यों को चाहिये कि जाँच करें कि उनकी बात सच है अथवा गलत। यदि संसदीय समिति बन गई तो जो भी व्यक्ति अपनी बदली कराना भी चाहेगा, वह समिति के किसी सदस्य के पास पहुँच जायेगा और कहेगा कि उसे यह दुःख है। इस कारण अनुशासन की दृष्टि से भी यह समिति अच्छी नहीं होगी।

छंटनी के बारे में मेरा कहना यह है कि युद्ध के समय जो अधिक भर्ती होती है, युद्ध के पश्चात् उन्हें निकाला ही जाता है।

हमें सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिये।

इसलिये जवानों की सुविधा आदि के बारे में तो संसदीय समिति ठीक है परन्तु उसका कार्य यह नहीं होना चाहिये कि सेना की तैयारी का पता रखे।

Shri S. C. Jha (Madhubani) : Sir, I want to know from the hon. Defence Minister whether we are prepared against the atomic attack of the enemy. India was very rich and prospersous in the past but has lacked the up-to-date weapons. The result was that we became slave of the Britishers.

In the first battle of Panipat there was enthusiasm in the Indian army but it was defeated because the enemy introduced gun in the war. Again in battle of Surat we had a very good army but the four Britishers opened gun-fire from the fort and our armies were on the return. So the past history of India teaches us that we should be up-to-date in armaments. Some people say that India is a land of Gandhiji, or Budh and Vinobaji. I agree but we should not forget that India is also the land of Chanakhya, Chandragupta, Khudi Ram Bose and Bhagat Singh. We should devise methods so that we may not have to repent later on.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : महोदय, प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है वह केवल सैनिक प्रश्न नहीं अपितु एक राजनीतिक तथा भारत की सेना पर संसद के नियन्त्रण से सम्बन्धित है। सेना के कार्य के ब्यौरे पर संसद् में चर्चा हो तथा लोकतन्त्र के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है उसे आरंभ में ही दूर किया जाना

चाहिये । संसद् को सेना पर नियन्त्रण करना चाहिये परन्तु उसका प्रभाव सेना की कार्य कुशलता पर नहीं पड़ना चाहिये । सेना में एकमात्र नियन्त्रण तथा अनुशासन की बहुत आवश्यकता है । व्यक्तिगत दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिये ।

हमारे देश में गोपनीयता के नाम पर बहुत सी सैनिक बातों को छुपाया जाता है जब कि अमरीकनों को यहाँ की चप्पा-चप्पा भूमि का पता है ।

हमें देखना चाहिये कि सेना में कोई कमी न आवे ।

यदि सरकार स्वीकार करे तो एक संसदीय समिति नियुक्त करे जो सेना के ऊपर हुए व्यय आदि की जाँच करे ।

हमारे देश में जो अधिकारियों तथा नीचे के सैनिकों के बीच सम्बन्ध हैं उनमें सुधार होना चाहिये ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir, I have stood up to support this resolution of Maj. Ranjeet Singh. The argument of secrecy and interference advocated against the constitution of a Defence Committee are not valid. The constitution of such a Committee would make members take interest in the Defence affairs

We are spending about forty percent of our budget on defence and hence we should take interest in our defence affairs.

The defence problems of India are of a standing nature and as such we should have a standing committee for defence.We are facing constant threat of aggression from our enemies. We may have a national Government or not but we should have a Ntional Defence Committee. If you can trust the House, you can trust the Committee also. The proposed Committee on defence should be constituted as it would be representing the views of the people about defence matters.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Sir, I appreciate the sentiments of the mover of this resolution and I greatly admire them. But I am not in favour of the Parliamentary Committee on Defence as the secrecy which is the key-note in the defence affairs would not remain intact if such a Committee is constituted.

Many examples have been given about our defeat in the past in the battle of Panipat and Surat but I think the greatest cuase of our defeat was our disunity.

I want that Government should be vigilant in regard to disruptive elements within the country.

I have to give some suggestions to the Hon. Minister in this regard.The soldiers and J.C.Os. should be given more promotions. Their percentage for promotion is very low now. Secondly, the armymen should be assured that their cultivable land would be theirs after their retirement even if it was being tilled by some one else during their service period. The families of service people should be provided more facilities.

I am not in favour of a Parliamentary Committee being appointed as demanded in this resolution.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I support this resolution. A committee of those members who have knowledge of defence and external affairs matter should be nominated on this committee.

The defence of the country is a non-party question. It is not the concern of ruling party alone. Other parties should also be associated in this matter. This parliamentary committee should be an all-party committee. This committee would work like a watch-dog. It would consider the matters like the service conditions of Jawans and defence production. Government can take into confidence the members of this committee in regard to secret and confidential matters.

We have been told by the Defence Minister that we are well prepared in defence matters but that is not enough. No Minister would say that our army is ill-equipped. This committee will inspire confidence in the country. I know that our Defence Minister is a very competent person. He has proved that in his stewardhip of many Ministeries.

This parliamentary committee would be very useful and would suggest many improvements in our defence set-up. I appeal to the hon. Minister that he should agree to the appointment of this committee.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस संकल्प की परिधि से बाहर की भी इस चर्चा में बातें उठायी गयी हैं। पता चलता है कि माननीय सदस्यों की प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषयों से बहुत रुचि है और वे इन पर ध्यान देते रहते हैं। इन सभी विषयों पर अनुदानों की माँगो पर चर्चा के समय भी चर्चा होगी। उस समय सेवा की शर्तों आदि विषयों पर प्रकाश डाला जायेगा। स संकल्प की मुख्य बात एक संसदीय समिति का गठन है। इस सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। श्रीमती शारदा मुकर्जी, श्री महीडा ने बड़ी अच्छी दलीलें दे कर यह सिद्ध किया है कि इस प्रकार की समिति की आवश्यकता नहीं है। इससे मेरा कार्य सुगम हो गया है। इस प्रकार की समिति के गठन से कोई प्रश्न हल नहीं होगा। हमारी सेना के विभिन्न अधिकारियों को अपने कार्य पालन में अड़चनें खड़ी हो सकती हैं।

संसद् में चर्चा द्वारा संसद् प्रतिरक्षा पर अपना नियन्त्रण रख सकती हैं यहाँ सभी प्रश्नों पर चर्चा हो सकती है और सभी प्रकार की त्रुटियों और शिकायतों पर प्रकाश डाला जा सकता है। संसद् लोक लेखा समिति द्वारा पर्याप्त नियन्त्रण रख सकती है। फिर यहाँ लेखा परीक्षक भी सरकारी खर्चे की छानबीन करते हैं। यह ठीक है कि हमें धन व्यय किये जाने की छानबीन करनी चाहिये परन्तु इस प्रकार की एक संसदीय समिति आवश्यक नहीं है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से सदस्यगण बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अनौपचारिक सलाहकार समिति में भी हम जानकारी देते हैं। हमें संसद सदस्यों में पुरा विश्वास है और उनसे हम कोई भी जानकारी छिपाना नहीं चाहते। यदि हम सभी प्रकार की जानकारी दें तो उससे हमें हथियार प्राप्त करने के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैसे मैं यह कह सकता हूँ कि हम बहुत से स्रोतों से हथियार तथा सामान प्राप्त कर रहे हैं। यह सुझाव दिया गया है कि हमें देश में ही सामान तैयार करना चाहिये। यह सुझाव एक अच्छा सुझाव है। परन्तु ऐसा करने में समय लगेगा। इसलिये हम विदेशों से आवश्यक साज-सामान ले रहे हैं और साथ-साथ अपनी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं। इस बारे में अनुसंधान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमें हथियार देने वालों के हित का भी ध्यान रखना होता है।

हमें कई देशों से हथियार मिल रहे हैं और देने वाले चाहते हैं कि इसको गुप्त रखा जाये, अब तक हम इसमें सफल रहे हैं और इस पर मुझे गर्व है। यदि श्री रणजीत सिंह कोई शिकायत मुझे भेजें तो मैं उन पर ध्यान दूंगा। मेरे विचार में यह समिति न्यायिक मामलों की जाँच नहीं कर सकेगी और इसके लिये ऐसा करना ठीक भी नहीं होगा। माननीय सदस्य को शायद पूरा ज्ञान नहीं है कि राजनैतिक हस्तक्षेप से कोई लाभ नहीं होगा। इससे सेना में अनुशासन को भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा बल्कि अनुशासन-हीनता को बढ़ावा मिलेगा।

सेना में यूनिटें बढ़ाने और कम करने का कार्य सेना के अधिकारियों का है। इस बारे में हमें समिति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। मेरे विचार में तो हम इस सम्बन्ध में सलाह नहीं दे सकते। फिर यह कैसे उचित है कि एक संसदीय समिति सैनिकों के व्यक्तिगत मामलों पर विचार करे? इस प्रकार की समिति से कोई लाभ नहीं होगा। संसद् अपनी लोक-लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और यहाँ पर चर्चा द्वारा नियन्त्रण कर सकती है। एक अलग समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मैं माननीय सदस्य का संकल्प स्वीकार नहीं कर सकता।

Shri Rabi Ray (Puri) : I would like to know whether the Report of General Henderson Brooks of NEFA debacle would be placed on Table of the House, so that we could have a discussion on that ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे सहयोगी श्री चव्हाण ने जो उस समय प्रतिरक्षा मंत्री थे, इस बारे में एक वक्तव्य दिया था। उस रिपोर्ट पर बाद की आवश्यक कार्यवाही पूरी कर दी गई है।

श्री रणजीत सिंह : माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में बहुत से प्रश्न उठाये हैं। मेरे संकल्प में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे सेना के दिन प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप की बात हो। यह समिति सेना के सामारिक कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह समिति सेनाओं के मुख्यालय में भी नहीं जायेगी बाल्कि यह तो प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों के ध्यान में आवश्यक त्रुटियाँ लायेगी। अब भी तो संसद सदस्य सेना अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह समिति रचनात्मक सुझाव देगी। इससे किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं फैलेगी। और यह समिति छोटे-छोटे विषयों पर विचार भी नहीं करेगी। मंत्री महोदय ने कहा है कि मैंने सेना में विशिष्ट समय के लिये और सीमित दायरे में काम किया है अतः मेरा सोचना का तरीका ठीक नहीं। मैं अपनी स्तुति नहीं करना चाहता परन्तु मैंने तो केवल इस समिति के कार्यक्षेत्र के बारे में कुछ कहा है। मैंने कुछ उदाहरण दिये थे कि कैसे शत्रु के आक्रमण के पहले सेना की कुछ यूनिटें समाप्त कर दी गई थीं और कैसे हमें चीन के हाथों पिटना पड़ा था? मैंने कई और उदाहरण दिये थे जिन मामलों में समिति बहुत लाभदायक योगदान दे सकती है।

बड़े खेद की बात है कि स राष्ट्रीय महत्व के विषय को उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनौपचारिक सलाहकार समिति के काम से हम सन्तुष्ट नहीं हैं। इससे कोई विशेष लाभ नहीं हैं। मैंने इसकी बैठक में भाग लिया है। उसमें अधिक समय तक तो

मंत्री महोदय ही बोलते रहे। इस संकल्प में उल्लिखित तथा उस समिति में अन्तर है। मैं नहीं चाहता कि मंत्री हमें सभी बातों की जानकारी दें। हमें ऐसी गुप्त नहीं रखनी चाहिये जिनके बारे में हमारे शत्रुओं को भी जानकारी है।

हमारे राजनैतिक जीवन में चरित्र की शिथिलता आती जा रही है और मन का ह्रास होता जा रहा है। इस चीज को हमारी सेना में नहीं आना चाहिये। को सतर्क रखने के काम में यह समिति सहायक सिद्ध होगी। आज केवल सेना में लगे ही सैनिक नहीं। मैं तो देश के सभी लोगों को सैनिक समझता हूँ। सभी को अनुशासन पालन करना है।

मैं यह नहीं चाहता कि हमारे सैनिक किसी विशेष राजनैतिक विचारधारा का अ रण करें। मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक प्रश्न के सभी पहलुओं का ज्ञान होना चाहिये। माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और रुचि दिखायी मैं उनका आभारी हूँ

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया अस्वीकृत हुआ

The Amendment was put and negatived

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :–

"यह सभा संकल्प करती है कि भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं समस्याओं का अध्ययन करने के लिये और निश्चित अवधि के अन्तर से उसकी प्रति तैयारियों की जाँच करते रहने तथा देश के सीमान्तों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये प्रतिरक्षा सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति नियुक्त की जा

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

स्वर्ण-नियन्त्रण के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: GOLD CONTROL

श्री एस० जेवियर (तिरुनेलवेल्लि): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि..........

Shri Prem Chand Varma : (Hamirpur) : Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब कोरम नहीं है अतः सभा स्थगित की जाती

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 27 फरवरी, 1968/8 फाल्गुन, 18 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Elven of the Clock on Tuesday, Phalguna 1889 (Saka) February 27, 1968.

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad-3,